खण्ड-340, अंक-1
गुरूवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(31 मई, 1979 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९८०

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

9211

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | 1–4 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 5–46 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. | 46–47 |
| हरदोई जिले की सण्डीला तहसील के सरेहरी माइनर मील नं0 10 के पास से निकलने वाले बरसाती नाले के बन्द होन से फसल को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. | 47–48 |
| कृषि निदेशालय प्रांगण में कर्मचारियों के अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 48 |
| बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील की कतिपय ड्रेनों का निर्माण एवं खुदाई का कार्य ठप हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. | 48 |
| लखनऊ जिले में अग्नि काण्ड की घटनाओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 48–49 |
| देवरिया जनपद के ग्राम बहोरवां में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 49 |
| आगरा विद्युत-गृह के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता तथा लाखों रुपये के घोटाले की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 49–50 |
| खीरी जिले की गोला गोकरननाथ नगरपालिका की दुर्दशा तथा व्याप्त जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. | 50–51 |
| खीरी जिले में डीजल का कृत्रिम अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. | 51 |
| हरदोई जिले के अतरौली थानान्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. .. | 52 |
| देवरिया जिले के ग्राम बोधी छपरा के हरिजनों तथा गरीब लोगों को कुछ व्यक्तियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | 52 |
| बार एशोसिएशन, लखनऊ द्वारा मुख्य दण्डाधिकारी न्यायालय का बहिष्कार किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .. | 53 |
| बहराइच में नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा खुली लूट के विषय को नियम 301 से अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 53–54 |

व्यापारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी हड़ताल न समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .. 54–58

6ठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद की मांग .. 58

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. 59-63

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. 63–74

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. .. 75

1979–80 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 62––खाद्य तथा रसद विभाग तथा अनुदान संख्या 101––खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 75–100

1979–80 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 48––हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 88––क––हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय .. (स्वीकृत) .. 100–136

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना .. .. 136

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक में उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन, 1978 (स्वीकृत) .. 137–139

नत्थियां .. .. .. 141–142

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## गुरुवार दिनांक 31 मई, 1979

**विधान सभा की बैठक सभा मन्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई**

उपस्थित सदस्य—285

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फीलाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईश्वर प्रसाद श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइयाजी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री

छेदी, श्री (उफ छेदीलाल)
छोटे लाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाऊलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन लाल, श्री

प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बद्दरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवतीदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानसिंह आजाद श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मूनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोंबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम दत्त जोशी, श्री

राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री

श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

---

नोट--श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 31 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरमहापालिका एवं नगरपालिका के चुनाव का स्थगन

**1--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी 24 जून, 1979 को प्रस्तावित स्थानीय निकायों के निर्वाचन टाल दिए जाने पर हाल ही में मंत्रि-मण्डल ने विचार किया है ? क्या यह भी सही है कि नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं आदि के अध्यक्षों का सीधे चुनाव कराने का वर्तमान प्राविधान भी बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां तो किन परि-स्थितियों में ?

श्री मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

अलीगढ़ में तात्कालिक घटित घटना एवं मौसम की दशा के परिपेक्ष्य में कुछ माननीय विधायकों से स्थानीय निकायों के चुनावों के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है। शासन को नगर महापालिकाओं के नगर प्रमुख तथा अन्य स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के सीधे चुनाव से सम्बन्धित वर्तमान विधिक प्राविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में भी प्रत्यावेदन मिले हैं। चुनव की प्रक्रिया में परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर समस्त दृष्टिकोण से विचार करने में कुछ समय लगेगा। अतः फिलहाल स्थानीय निकायों के सामान्य चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं।

श्री विजयराज सिंह--

पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चुनाव सीधे किये जायेंगे तो अब कौन परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, जिससे शासन यह विचार कर रहा है कि सीधे चुनाव न होकर परोक्ष रूप से कराये जायं ?

श्री क्रान्ति कुमार--

यह सच है कि इस विधान सभा ने यह परिवर्तन किया। किन्तु बाद में बहुत सी महापालिकाओं के लोगों ने कहा कि जो क्षेत्र है, वह बहुत बड़ा हो गया है और कहीं-कहीं पर एक मेम्बर पार्लियामेन्ट, कहीं डेढ़ मेम्बर और कहीं दो मेम्बर पार्लियामेंट का क्षेत्र आता है। अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन इस प्रकार का प्रत्यावेदन मिला है, जिस पर विचार हो रहा है।

श्री विजय राज सिंह--

विधान सभा ने यह कानून पास किया कि चुनाव सीधे होंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव सीधे न किये जायं, उनको परोक्ष रूप से कराया जाय और एक प्रत्यावेदन के ऊपर इस प्रकार की घोषणा कर दी कि चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं और तमाम प्रक्रिया पर मंत्रिमंडल पुनः विचार कर रहा है, तो क्या कुछ विधायकों का प्रतिवेदन इस माननीय सदन से अधिक बलशाली है।

श्री क्रान्ति कुमार--

प्रतिवेदन अधिक बलशाली नहीं है, सदन ही सुप्रीम है। जो कुछ फैसला होगा सदन के निर्णय के मुताबिक होगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

जब यह विधेयक यहां पारित हुआ था उस समय विधायकों ने एक स्वर से यह कहा था कि इस प्रकार जो कार्यवाही की जा रही है कि सीधे चुनाव होंगे, तो क्षेत्र बहुत व्यापक हो जायगा डेढ़ और दो पार्लियामेंट मेम्बर्स का क्षेत्र हो सकता है उस समय मंत्रि परिषद ने कहा कि इस सब पर विचार कर लिया गया है और सीधे चुनाव ही उपयुक्त होंगे, तो फिर यकायक क्या बात हो गयी जिससे एक प्रतिवेदन पर उल्टा विचार होने लगा ?

श्री क्रान्ति कुमार--

मैंने यह निवेदन किया कि अब पुनः यह सोचा जा रहा है। यद्यपि उस समय वह महसूस किया गया कि सीधे होगा तो ठीक होगा लेकिन आज लगता है कि कुछ गल्ती हो गयी है इसलिये इस पर विचार हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुनर्विचार किसी भी समस्या पर किया जा सकता है ! यह नीतिगत मामला है और नीति शासन द्वारा तय करने के बाद प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा । मैं जानना चाहूंगा कि अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के बाद कोई नीति सम्बन्धी निर्णय ले लिया गया है या वह भी अभी शेष है ?

श्री क्रांति कुमार--

अभी नीति से सम्बन्धित निर्णय लेना भी शेष है ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहता हूं कि डाइरेक्ट चुनाव करने का निर्णय कौन से सन् में और किसके जमाने में लिया था ? उस वक्त मुख्य मंत्री कौन थे ?

श्री क्रांति कुमार--

श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे और उस समय निर्णय लिया गया था ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस माननीय सदन द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का एक अधिनियम पारित किया गया था तो फिर अब उसे परिवर्तित करने के लिये उस पर पुनः जनमत जानने का प्रयास कर उसे पारित करेंगे ?

श्री क्रांति कुमार--

मान्यवर, सदन में यह चीज आयेगी और चूंकि सदन से बाहर कुछ लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है, इसलिये ऐसा महसूस किया जा रहा है, इसलिये यह मसला विचाराधीन है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मैं जानना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में कई बार यह आश्वासन दिये जा चुके हैं कि चुनाव कराये जायेंगे और अब यह पांचवी बार है, जब कि ये चुनाव टाल दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप कोई निश्चित

आश्वासन सदन को दंगे कि कितने समय म कब तक निश्चित रूप से चुनाव हो जायेंग ? अब आम जनता में यह विश्वास पैदा हो गया है कि यह सरकार चुनाव नहीं करायेगी ।

श्री क्रांति कुमार--

आशा की जाती है कि ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जायेंगे ।

(व्यवधान) ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन विधायकों ने आपको प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है कि चुनाव प्रत्यक्ष न हों, अप्रत्यक्ष ही हों, उनके क्या नाम हैं ?

श्री क्रांति कुमार--

इस समय यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री सुमेर चन्द गोयल (जिला सहारनपुर)--

मुझे विश्वसनीय रूप में मालूम हुआ है कि केन्द्रीय मंत्री श्री एच० एन० बहुगुणा की यह ख्वाहिश है कि ये चुनाव प्रत्यक्ष न हों । क्या हमारे माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनका भी कोई डाइरेक्शन है कि चुनाव अप्रत्यक्ष हों ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी म इजाजत नहीं देता ।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जनता के प्रतिनिधि न होने के कारण स्थानीय निकायों और नगर महापालिकाओं की सारी प्रगति ठप पड़ी है । य आप निश्चित बतायें कि कब तक चुनाव करा देंगे और जो कार्य इन निकायों के ठप हुये हैं, उनको ठीक करा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात सदन में पहले आ चुकी है और माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में आश्वासन दे चुके हैं। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा हो गई और उसी में प्रत्यक्ष चुनाव की भी घोषणा हुई । फिर चुनाव स्थगित कर दिये गये और प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव प्रक्रिया को बदलने के सिलसिले में किन-किन विधायकों के पत्र प्राप्त हुए और उन पत्रों का विवरण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्ह ने कह दिया कि इसकी सूचना नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर सूचना नहीं है तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मित्र सेन जी ने यह सवाल किया था और मैंने इसकी इजाजत भी दी थी, उस पर मंत्री जी ने कहा कि उसके पास इसकी सूचना नहीं है । अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

तो इसको स्थगित कर दें । इसमें उत्तर में कहा है कि कुछ माननीय विधायकों से स्थानीय निकायों के चुनावों के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इतने लोगों के एक साथ बोलने से कैसे काम चलेगा ? माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, जब इस प्रश्न में हैं और आपने कहा है कि कुछ विधायकों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तो फिर जब वह नाम पूछते हैं, तो नाम बतलाने चाहिए ।

श्री क्रांति कुमार--

मान्यवर, इस समय मेरे पास नामों की सूची नहीं है, अपूर्ण है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि इसी प्रश्न पर चुनाव स्थगित हुए हैं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मैं कई बार प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ और आप मुझे समय नहीं देते हैं क्या कोई गुस्ताखी हो गई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, ऐसी बात नहीं है । अभी आपको समय देंगे । मैंने श्री राजमंगल पाण्डेय जी को बुला लिया है ।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जब एक ही दल की कोई सरकार हो और केवल मुख्य मंत्री बदलते हों, तो उस कैबिनेट का डिसिजन हो कि प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और फिर उसी नीति के प्रश्न को लेकर कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और अब इस पर विचार हो रहा है । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप सरकार को निर्देश देंगे कि कोई व्यक्ति, जो कल मुख्य मंत्री था और आज उप मुख्य मंत्री हो और उसने कोई नीतिगत प्रश्न हल किया हो और वायदा किया हो कि सारे चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, आज अप्रत्यक्ष की बात चल रही हो, तो आप निर्देश देंगे कि नीतिगत प्रश्नों के सम्बन्ध में जब एक ही पार्टी की सरकार हो, परिवर्तन न करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सरकार के देखने की बात है वह एक फैसला लेती है और फिर उसको बदलना चाहती है, तो उसको अधिकार है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं व्यवस्था चाहता हूं इसीलिए मैंने कहा कि केवल मुख्य मंत्री बदला हो और उसी पार्टी की सरकार हो, उस कैबिनेट ने फैसला किया हो कि प्रत्यक्ष चुनाव होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है या किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न है । एक मर्तबा कोई फैसला होता है और दुबारा जनहित में जरूरी समझते हैं, तो उसे बदल सकते हैं । इसमें कोई औचित्व का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे--

मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि पहले डायरेक्ट चुनाव कराने में प्रदेश का ज्यादा फायदा था इसलिए सरकार ने यह नीति बनाई, यदि इसमें ज्यादा लाभ नहीं है, तो इसको बदलने की बात आई है, जहां तक हमारे राजमंगल पाण्डेय जी ने प्रश्न उठाया....

(व्यवधान)

तो सरकार को गिराने वाले भी इस पार्टी में शामिल हों, तो यह तो ऐसी पार्टी है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री बाबू बदरे--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया....

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं आगे बढ़ गया हूं । मंत्री जी, आप विधायकों के नाम इनको बता दीजिएगा, जिनके प्रतिवेदन प्राप्त हुए ।

## सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा के सम्बन्ध में जानकारी

**2--श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार ने सी0 पी0 एम0 टी0 की प्रतियोगिता में केवल 50 प्रतिशत तक अंक पाने वाले छात्रों को ही सम्मिलित होने की अनुमति दी है ? यदि हां, तो सभी छात्रों को प्रतियोगिता में सम्मिलित होने देने पर सरकार को क्या आपत्ति है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

जी नहीं । सी0 पी0 एम0 टी0 में इन्टरमीडिएट (बायलोजी ग्रुप) परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं ।

श्री बाबू लाल सरोज--

मैं जानना चाहता हूं कि सी० पी० एम० टी० में छात्रों को क्या कोई विशेष छूट है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करने को तयार है ?

श्री रमाशकर कौशिक--

सी० पी० एम० टी० कम्पटीशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, पर्वतीय निवासियों, राजनैतिक पीड़ित, युद्ध में शहीद सैनिक और महिला आदि सबके लिए सीटों के आरक्षण का एक नियम है । जो सी० पी० एम० टी० के कम्पटीशन में बैठते हैं और जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें सामान्य विद्यार्थी के लिए 50 प्रतिशत अंक जरूर प्राप्त करना होता है । कम्पटीशन में आने के बावजूद और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

इस परीक्षा में आरक्षण के लिए जैसे माननीय मंत्री जी ने इन तमाम श्रेणी और जातियों के लोगों का रखा है, तो क्या वह वैसे ही उस लिस्ट में मांझा बन्दा और डी० आई० आर० बन्दा परिवार के छात्रों को भी शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इन तमाम श्रेणी के लोगों का जो आरक्षण किया गया है, उसका आधार क्या है यानी पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में यह बात जानकारी में आई है कि जिन लोगों के नम्बर ज्यादा थे, वह रह गये और जो दूसरे यानी सामान्य जातियों के कम नम्बर वाले थे, ले लिए गए, तो आरक्षण का क्या यही आधार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको आप और स्पष्ट कीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

सामान्य सूची में मेरिट के हिसाब से जो आ जाते हैं, तो क्या उनमें से भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रहने का अधिकार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न आरक्षण से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अनुसूचित जातियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है । 35 प्रतिशत की सीमा इस वर्ष की गयी है । गत वर्ष में यह 45 प्रतिशत थी, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति के छात्र नहीं आ पाये तो जो बैक लाग हो गया है, उसको पूरा करेंगे ? दूसरे अनुसूचित जाति में

महिलाओं का कोई रिजर्वेशन है ? तीसरे, गत वर्ष पिछड़ी जाति के शेष लोग जिनके नम्बर ज्यादा थे, 12 प्रतिशत से अधिक लोगों को मेरिट के हिसाब से ले लिया गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, 1976-77 तक 45 प्रतिशत नम्बर अनुसूचित जाति के लिए अनिवार्य था सी० पी० एम० टी० परीक्षा में उसमें यह भी था कि हर विषय में उतने नम्बर होने चाहिए, वह विषय वाली छूट उनको दी गयी थी, जिनका टोटल 45 फीसदी होता था, उनको शामिल कर लिया, विषय सम्बन्धित अनिवार्यता अंकों के बारे में वह समाप्त कर दी गयी । लेकिन 35 फीसदी का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से अब ऐसी समस्या नहीं है, न गत वर्ष ऐसी समस्या आयी । जहां तक अनुसूचित जातियों में महिलाओं के आरक्षण का प्रश्न है, इसमें आरक्षण नहीं है । यह आरक्षण होना चाहिए । इस समय महिला डाक्टरों की कमी है । दूसरी जगह महिलाओं का आरक्षण है । पिछड़ी जाति में ४ प्रतिशत है । लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मैं यह कमी महसूस करता हूं । इस वर्ष जैसा हो चुका वैसा होगा, अगले वर्ष से इस पर विचार किया जायगा ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

मैं कई बार खड़ा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक ही सवाल पर क्या आधा घंटा बिता देना चाहते हैं ?

श्री बाबू बदरे--

जब गरीब का मामला आता है आप मौका नहीं देते हैं । चौधरी गनेशी लाल खड़े हो रहे थे आपने प्रश्न टाल दिया । जब कोई राजनीतिक मामला आता है उसमें घंटों लोगों को मौका दे देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आइन्दा से खयाल रखा जायगा ।

## राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन पर विचार

**3--श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसके पुनर्गठन करन का आधार एवं कारण क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन है । राज्य विद्युत परिषद का गठन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित समय के लिये किया जाता है । अतः इस सम्बन्ध में उचित समय पर निर्णय लिया जायगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

उत्तर में कहा कि राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है । आगे कहा है कि राज्य विद्युत् परिषद् का गठन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित समय के लिए किया जाता है । मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पीरियड फिक्स है, जब समय समाप्त हो तब किया जायगा । तो पुनर्गठन का मामला, विचाराधीन क्या चीज ह, अगर समय फिक्सड है तो समय के बाद विचार हो जायगा । मेरा अभिप्राय यह है कि राज्य विद्युत् परिषद् के काम करने के तरीके में उसकी कार्यविधि में कोई बाधाएं शासन के समक्ष आयी हैं, जिससे उसका फिर पुनर्गठन कर रहे हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय वैश्य जी को याद होगा कि सितम्बर, 1976 में इसका गठन हुआ है, जो मौजूदा परिस्थिति है, उसका टर्म सितम्बर में समाप्त हो जायेगा और सरकार इस बात के लिए सक्षम है कि टर्म के पहले भी उसको समाप्त कर सकती है और टर्म के बाद भी चलने दे सकती है । सरकार जो चाहे उसमें उचित परिवर्तन भी कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्नों में 2 अनुपूरक प्रश्न प्रश्नकर्ता पूंछ सकता है और 3 अन्य सदस्य पूछ सकते हैं । जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसमें 4-4 और 5-5 हो सकते हैं । अगर ज्यादा माननीय सदस्य चाहते हैं, तो विकट होगी । मुझे समय का भी ध्यान रखना होता है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं जिसके कारण सरकार इसके पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि उसका टर्म समाप्त होने वाला है । आज 31 मई है । तो मुझे खोज-बीन करनी पड़ रही है, जिससे उपयुक्त व्यक्ति मिल सकें ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका चयन या नियुक्ति कैसे होती है ? प्रक्रिया क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनता के प्रतिनिधि कोई नहीं होते हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

सितम्बर के बाद टर्म समाप्त हो रहा है, शासन चाहे तो सितम्बर में ही परिवर्तन कर दे या उससे पूर्व ही कर दे । प्रश्न यह नहीं है कि कब परिवर्तन करेगी ? क्या पुनर्गठन में कोई असुविधा है जिसके कारण उसकी शक्ति पावर कम करने का तरीका आदि को बदलने पर विचार कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय, मैंने बताया कि सितम्बर में टर्म पूरा हो रहा है। महीना डेढ़ महीने के बाद या उसके पहले उचित आदमी मिल जायेंगे, तो परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् का पुनर्गठन, चूंकि उसका समय समाप्त हो रहा है, करना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि पुनर्गठन में केवल व्यक्ति जो सदस्य हैं वे बदले जायेंगे या उसके कार्य-कलापों में बदलाव होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है और मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि उसके ढांचे में भी परिवर्तन होगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बता दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय देव बहादुर जी ने जो प्रश्न किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई आदमियों का परिवर्तन है या कोई स्ट्रक्चरल चेन्ज होने जा रहा है। क्या कोई बुनियादी परिवर्तन होने जा रहा है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वे जवाब दे चुके हैं। जो रूप रेखा आपके सामने हो उसको अवगत करा दें।

श्री रेवती रमण सिंह--

जिस समय परिवर्तन हो जायगा, तब माननीय सदस्यों को बतला दिया जायेगा और उनको मालूम हो जायगा। इस समय बताना आवश्यक नहीं है।

## झांसी जिले में शराब की कथित बन्दी

**4--श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद में 1 अप्रैल, 1979 से शराब बन्दी की गयी है? यदि हां, तो फिर किन कारणों से ठेकेदारों को एक माह के लिए शराब बेचने की अनुमति दी गयी है?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जी नहीं।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल--

क्या माननीय आबकारी मंत्री जी को यह जानकारी है कि वहां के ठेकेदारों ने शासन की नशाबन्दी के विरुद्ध रिट दायर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्थगन आदेश, प्राप्त कर लिए हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसमें किसी स्थगन के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता । झांसी में मद्य निषेध की योजना लागू ही नहीं की गयी । मद्य निषेध करने के लिए मामला शासन के विचाराधीन था, लेकिन शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया कि अमुक तारीख से 1 मई, 1979 से झांसी में मद्य निषेध कर दिया जायगा । इसलिए स्थगन आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि झांसी में 1 अप्रैल, 1979 से नशाबन्दी का मामला सरकार के विचाराधीन था, लेकिन स्वीकृति नहीं दी गयी । क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब झांसी गए थे, तो उन्होंने वहां पर इस आशय की घोषणा की थी कि एक अप्रैल से वहां पर नशाबन्दी कर दी जायगी, तो फिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी कि 1 अप्रैल से वहां पर नशाबन्दी लागू नहीं की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

1 अप्रैल से मद्य निषेध कर दिया जायगा, ऐसी कोई घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं की थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी माननीय मंत्री जी ने 1 अप्रैल से करने को कहा था ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

1 मई से कहा था ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि अधिसूचना संख्या 3428-ई-136/137, दिनांक 28-6-74 में लिखा है कि ललितपुर (झांसी) में 1 अप्रैल, 1979 से नशाबन्दी लागू कर दी जायगी लेकिन वहां के ठेकेदारों को सरकार द्वारा स्टे दे दिया गया है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मूल प्रश्न झांसी के बारे में है ।

## फिरोजाबाद के कांच के कारखानों में कार्यरत कथित बाल श्रमिक

### तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958, के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच के कारखानों में गर्म भट्ठियों पर जिनका तापमान इतना ऊंचा है, जो मेल्टिंग प्वाइन्ट से अधिक है बाल श्रमिक कार्य करते हैं जिनकी संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 40 प्रतिशत है ? क्या इन बाल श्रमिकों को नियमानुसार नियत न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त करने का कोई कदम उठाया है ? और क्या श्रम शक्ति की रक्षा हेतु कोई कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच के कारखानों में जो कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, गर्म भट्ठियों पर बाल श्रमिक प्रायः कार्य नहीं करते । जहां-जहां बाल श्रमिक कार्य करते पाये जाते हैं और उनके नियोजन के विषय में यदि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन होते हैं तो विधिक कार्यवाही की जाती है । चूंकि बाल श्रमिकों के सेवायोजन का कोई प्राविधान नहीं है, अतः उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता । कुमार श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी वयस्क श्रमिकों की मजदूरी के दो तिहाई से कम नहीं होती । जब न्यूनतम मजदूरी के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ पाया जाता है, तो उसमें विधिक कार्यवाही की जाती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रायः कार्य नहीं करते । इसका मतलब यह है कि वहां पर बाल श्रमिक कार्य करते हैं । यदि यह सही है, तो क्या इससे राष्ट्रीय श्रमिक शक्ति का जो ह्रास हो रहा है, बाल श्रमिकों को देखते हुए, कि कितने इकाइयों का चालान हुआ है और इनमें कितने-कितने बाल श्रमिक कार्य करते पाए गए ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जैसा मैंने निवेदन किया बाल श्रमिक कार्य कानूनन नहीं करते हैं, किन्तु ऐसा पाया गया है कि वे वहां पर काम करते हैं । इसलिए श्रम नियमों के अन्तर्गत इन कारखानों का श्रमिक निरीक्षक निरीक्षण करते हैं और अगर इनका उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके चालान किए जाते हैं । धारा 67 के उल्लंघन में 13 मुकदमें दायर किए गए, धारा 69 के उल्लंघन में 6 मुकदमें दायर किए गए, धारा 70 के उल्लंघन में 2 मुकदमें दायर किए गए, धारा 72 के उल्लंघन में 1 मुकदमा दायर किया गया और धारा 73 के उल्लंघन में भी 1 मुकदमा दायर किया गया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

वयस्क श्रमिकों को आज भी वहां मजदूरी 2 रुपए से अधिक नहीं मिल रही है, तो क्या इसको देखते हुए मंत्री जी इस मजदूरी को बढ़ाने का कष्ट करेंगे ।

श्री क्रान्ति कुमार—

जो कमेटी बनायी जा रही है, उसमें यह प्रश्न भी रहेगा।

श्री छोटे लाल--

उत्तर प्रदेश में करीब 4 हजार बाल श्रमिक काम करते हैं जबकि इन बच्चों से काम नहीं लिया जाना चाहिए, तो इन लोगों के बौद्धिक विकास के लिए क्या सरकार कोई कार्यक्रम बना रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, यह देखते हुए कि बाल श्रमिक कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसको जांच के लिए क्या मंत्री महोदय इस सदन की कोई कमेटी बनायेंगे जो जांच करके, इसको रोकने के बारे में अपने सुझाव दे सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं, उसके लिए तो कानून है ।

श्री देव कुमार--

जो अथारिटी है रोकने वाली वह मिल मालिकों से मिली रहती है और बच्चे काम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी आवश्यकता नहीं है अभी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि "प्रायः कार्य नहीं करते" इसका मतलब है कि कार्य करते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन की कोई कमेटी बनाने पर विचार करेंगे जो इस पर विचार कर, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बाल श्रमिक कार्य करते हैं । इन बच्चों को मजदूरी बहुत कम दी जाती है । इससे उनका शोषण होता है, तो क्या मंत्री जी इनकी मजदूरी बढ़ाने को कृपा करेंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। जहां-जहां वे काम करते पाए जायेंगे उनका चालान किया जायेगा ।

## क्वीन मेरी अस्पताल, लखनऊ में नवजात शिशु की चोरी

*2--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ स्थित क्वीन मेरी अस्पताल में गत 22 अप्रैल, 1979 को एक नवजात शिशु को रहस्यपूर्ण ढंग से गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है ? और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां ।

श्री अर्जुवीर सिंह की पत्नी श्रीमती सीता देवी ने दिनांक 22-4-79 को प्रात: पुत्र को जन्म दिया था । एक वृद्ध महिला, जो अपने को पड़ोस के पलंग पर भर्ती महिला की अ गन्तुक बताती थी श्रीमती सीता देवी के कार्यों में उसकी अनुमति से हाथ बटाती थी और उसका विश्वास प्राप्त कर लिया था । श्रीमती सीतादेवी से उसने उसी रात्रि को लगभग 8·30 बजे उसके बच्चे को खिलाने के लिए ले लिया परन्तु वह बच्चे को बरामदे में लिए-लिए अचानक गायब हो गयी । उक्त घटना की रिपोर्ट तुरन्त ही पुलिस स्टेशन चौक, लखनऊ में दर्ज कराई गई और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगह रखने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तथा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ को लिखा जा रहा है ।

## परिवार स्वास्थ्य योजना

*3--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से एवं इस योजना की रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मुरादाबाद जनपद में सदर अस्पताल में यह योजना लागू की है प्रयोग करने के लिए कि जो व्यक्ति 500 रु0 जमा कर देगा, उसके परिवार को वर्ष भर का इलाज सब प्रकार की बीमारियों का इलाज अस्पताल से किया जायेगा और यह प्रयोग मुरादाबाद में रखने के बाद क्या यही स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का उनका विचार है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह बीमा योजना नहीं कही जा सकती है । यह परिवार स्वास्थ्य योजना कही जा सकती है । 100 रु0 प्रति परिवार जिसके डिपेन्डेन्ट बच्चे तीन हों, मियां-बीबी हो, 100 रु0 दें तो उनका इलाज साल भर किया जा सकता है । ऐसी योजना शासन के विचाराधीन है, जिसका प्रयोग प्रथमतः मुरादाबाद में किया जायगा ।

श्री मित्र सेन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस तरीके की सुन्दर योजना वह अपने जिले में लागू किया है और जिसका परीक्षण माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उसको पूरे प्रदेश में लागू करने का कब तक निर्णय ले लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, हर देश में ऐसी व्यवस्था है कि चिकित्सा के नाम पर पैसा देकर इलाज किया जाता है। ऐसा ही प्रयोग करने की दृष्टि एक तो अभी तात्कालिक है तथा एक दीर्घकालिक है। जिन लोगों के लिए ऐसी योजना लागू होती है वह लोग तो अस्पतालों से दवा प्राप्त कर ही लेते हैं जो निःशुल्क व्यवस्था है, गरीब और अमीर सभी के लिए है, लेकिन फिर भी पैसा रखते हुए बिना खर्च किए हुए ही सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। एक तो तात्कालिक यह कि अगर वह 100 रु0 जमा किया जायेगा तो यह गरीबों को दवाओं के लिए अधिक बच जायेगा आखिर में तो हमको अपने देश और प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू करनी ही होगी, अगर मुरादाबाद में यह व्यवस्था सफल रही। अगर यह तजुर्बा सफल हुआ, तो उसके विस्तार पर विचार किया जायगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो नियम होगा, वह मियां-बीबी पर ही लागू होगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था अल्प संख्यकों के लिए ही लागू है कि सबके लिए लागू होगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, सदर अस्पताल में किस तारीख से यह योजना लागू की गयी है और उस समय से अब तक कितने परिवार उनकी इस योजना से लाभ उठाये 100 रु0 देकर और क्या यह योजना किसी अन्य जनपदों में भी लागू करने का विचार है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अभी लागू नहीं हुई है। परीक्षण किया जा रहा है। माननीय सदस्य अगर जानकारी चाहेंगे, तो दो-चार दिन में मंगा कर जानकारी दे देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, अपने जिले में एक योजना उन्होंने लागू की है, जिसमें 100 रु0 जमा करके आदमी अपना साल भर इलाज करा सकता है। क्या यह मुरादाबाद की योजना इसलिए लागू की गयी, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। दूसरी आशंका यह है कि ऐसा तो माननीय मंत्री जी नहीं करेंगे कि सारे अस्पतालों को पेड अस्पताल बना दें ? तो क्या इस तरह की जो निःशुल्क दवा मजदूरों को देने की बात है, उस नीति में परिवर्तन करने की योजना तो लागू नहीं कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका तो उत्तर वह दे चुके हैं।

## हिन्डालको मिर्जापुर को बिजली की आपूर्ति

*4--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल) तथा श्री मित्रसेन--

क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हिन्डालको को बिजली के कटौती का आदेश वैध घोषित करते हुए तजवीज किया है कि

राज्य में विद्युत् की कमी होने तथा रोस्टिंग करने की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य विद्युत् परिषद्, रेणुसागर की बिजली भी ले सकती है ? यदि हां, तो किन कारणों से राज्य में विद्युत् की भीषण कमी होन के बाद भी हिन्डालको को साढ़े 42 किलोवाट से बढ़ा कर 50 किलोवाट बिजली देने जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

प्रदेश में इस समय विद्युत् की भीषण कमी नहीं है । शासन को यह अधिकार है कि समय-समय पर विद्युत् की उपलब्धी तथा मांग को समीक्षा करते हुये उपभोक्ताओं को विद्युत् की समुचित आपूर्ति करता रहे । इस मामले में विद्युत् की उपलब्धता को देखते हुये 7 1/2 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् हिन्डालको को दी गयी है । इस अतिरिक्त विद्युत् के देने के बाद हिन्डालको द्वारा 2000 टन अल्यूनियम राज्य विद्युत् परिषद् को उपलब्ध कराया गया है जिससे अल्यूनियम का तार बनाने वालों को सहायता मिलेगी और पिछले वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण में तार के अभाव में जो कमी रह गयी थी, उसे पूरा करने म सहायता मिलेगी ।

श्री श्रीनारायण—

सान्यवर, हम मंत्री जी से ई जानल चलती . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा बोलिये कि सब लोग समझ सकें ।

श्री श्रीनारायण—

पहले हिन्डालको को बिजली दी जाती रही . . . ।

श्री राम आसरे वर्मा—

पहले भी यह व्यवस्था दी गई है कि इस तरह की भाषा कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि खड़ी बोली में प्रश्न किये जायें ।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा—

शतरुद्र प्रकाश की व्यवस्था पर यहां पर व्यवस्था दी गयी थी ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्री श्रीनारायण जी को सदैव भोजपुरी में बोलने की इजाजत दी गयी है . . . ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

5 आदमी एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो समझ में कैसे आयेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यबर, भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, एक बोली है जिसको अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं । अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम कैसे कर सकें यह हमारा अपना दायित्व है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी (खड़ी बोली) है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, इस सदन की भाषा हिन्दी है और देवनागरी लिपि है । तो माननीय सदस्य को हिन्दी में ही बोलने की इजाजत दें, भोजपुरी में बोलने की इजाजत न दें ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य खड़ी बोली में बोलें ।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें, सदन की कार्यवाही चलने दें ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, बोलने की इजाजत होनी चाहिये ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें । अगर कोई एतराज उठा होगा तो उसको भी देखेंगे ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

भोजपुरी में बोलने की इजाजत होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कार्यवाही में अवरोध डाल रहे हैं । आप बैठिये ।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने मेरा नाम लेकर कहा कि मुझे भोजपुरी का ज्ञान नहीं है ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण यह जो बोल रहे हैं यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, खड़ी बोली में उत्तर दूं या भोजपुरी में ।

श्री उपाध्यक्ष--

खड़ी बोली में ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, पहले 42 मेगावाट दिया जाता था । अब उनको साढ़े सात दिया गया है, साढ़े सात और दिया गया है तो इस तरह से 15 मेगावाट बिजली हो गयी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्डालको कारखाना जो बिड़ला का है, बिजली के सम्बन्ध में बिड़ला सुप्रीम कोर्ट गये थे और सुप्रीम कोर्ट से वह जीत गये, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी । उसके बावजूद भी बिजली उनको उसी तादाद में दी जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बिजली की आपूर्ति उनको कैसे की गयी जबकि शासन के पक्ष में निर्णय हो चुका है ;

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ है उसमें यह कहा गया है कि हम समय-समय पर बिजली की उपलब्धता को देखते हुये कटौती कर सकते हैं । जो उनका 135 मेगावाट का जनरेशन है चाहें तो उससे भी ले सकते हैं अगर प्रदेश को आवश्यकता है । लेकिन इस समय बिजली की कमी नहीं है और जैसा उन्होंने कहा भी है कि एल्यूमिनियम की आवश्यकता थी, पिछले वर्ष हम अपना निर्धारित कोटा ग्रामीण विद्युतीकरण, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण, प्राइवेट और सरकारी ट्यूबवेलों का पूरा नहीं कर सके । इसकी पूर्ति के लिये एल्यूमूनियम की आवश्यकता है । इसको देखते हुये सरकार ने यह निर्णय लिया है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस समय आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है, अधिक उत्पादन होने से बिहार को 50 मेगावाट दिया है, यदि हां, तो प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों को बिजली कम क्यों दी जा रही है और किन-किन को कम बिजली दे रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि हम बंगाल को 50 मेगावाट बिजली दे रहे हैं और श्री मधर मिश्र जी को मालूम होगा कि इस समय कोई बिजली में कटौती नहीं है । केवल 3 घन्टे की शिडयूल रोस्टरिंग है और रोलिंग मिलों को, जो कि पिछले 4 वर्षों से बंद थीं उन सब को, हम अविरल गति से विद्युत् दे रहे हैं ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, रेणुसागर में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, राज्य सरकार ने अभी कितने मेगावाट और अधिक बिजली उत्पादन के उनको अनुमति दिया है और यह अनुमति क्यों दिया है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह अनुमति इसलिये दी जा रही है कि जिससे वह बिजली अपनी बना सकें और स्वयं के उपयोग के लिये इस्तेमाल कर सकें ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि साढ़े सात मेगावाट की वृद्धि कब से की गयी है, उनका किस रेट पर बिजली दी जा रही है और अल्यूमिनियम उद्योग में क्या उनका कोटा निर्धारित किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह एक महीने से दी जा रही है और उसके साथ-साथ 2 हजार टन अल्यूमिनियम हमको मिल रहा है । भारत सरकार ने जो कोटा और प्राइस निश्चित किया है उसके अन्तर्गत हमें अल्यूमिनियम वह सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री मित्र सेन--

मैं जानना चाहता हूं कि इस बिरला उद्योग को उत्पादन लागत से कितने प्रतिशत कम पर बिजली दी जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

12 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उन्हें दी जा रही है ।

श्री मित्र सेन--

मेरे प्रश्न को मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

जवाब देने के बाद खड़े होकर टोकने की आदत नहीं होनी चाहिये ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि रोस्टरिंग लागू हो तो हिंडालको को बिजली देने की क्या जरूरत है जबकि किसानों को कम बिजली दी जा रही है ।

श्री रैवती रमण सिंह—

मान्यवर, किसानों की बिजली में कोई कटौती नहीं की गयी है और इस साल 21 घन्टे तक गांवों में बिजली दी गयी है । सभी जगह मड़ाई पूरी हो गयी है और बिजली की कहीं कमी नहीं है ।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, कांग्रेस के समय में बिरला को नगण्य कीमत पर बिजली दी जा रही थी और अभी मंत्री जी ने कहा कि बिरला जी को बिजली 12 पैसे प्रति यूनिट में दी जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि बिरला के अतिरिक्त क्या और किसी उद्योग को इस रेट पर बिजली दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या इस दर को रद्द करके जिस रेट पर किसानों को देते हैं उस पर उनको देने पर सरकार विचार करेगी ।

नोट—नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ के कर्मचारियों की हड़ताल

*5—श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री श्रीनारायण तथा श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, गांधी स्मारक, लखनऊ में अनिश्चित कालीन हड़ताल 23 अप्रैल, 1979 से चल रही है और उसके कारण कालेज का सारा कामकाज ठप है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

के0 जी0 मेडिकल कालेज से सम्बन्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ के कर्मचारियों ने दिनांक 24 अप्रैल, 1979 से अनिश्चित कालीन हड़ताल लखनऊ विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित केन्द्रीय लेखा कार्यालय की एक शाखा मेडिकल कालेज/अस्पताल के प्रांगण में खोलने की मांग को लेकर प्रारम्भ की थी । यह हड़ताल दिनांक 30 अप्रैल, 1979 से स्थगित कर दी गई है ।

इस हड़ताल के दौरान बाह्य रोगी विभाग तथा अन्य साधारण काम काज ही प्रभावित हुये थे तथा वार्डों में भर्ती रोगियों की देखभाल एवं उपचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

## जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद द्वारा हानिकारक पाम आयल की बिक्री

*6—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद फर्म द्वारा वर्ष 1979 में करोड़ों रुपये का अनरिफाइन्ड हानिकारक पाम आयल सादे टिनों पर रिफाइन्ड पाम का कागज का लेबिल लगाकर बलिया तथा राज्य के अन्य जनपदों में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से बिक्री किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है ? इस वर्ष बिक्री किया जा रहा पाम आयल पब्लिक एनालिसिशट की रिपोर्ट क्या है और कब प्राप्त हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## कानपुर नगर में ट्यूब लाइट फिटिंग पर व्यय की गई धनराशि

*7--श्री मोती राम तथा श्री रेवतीरमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष कानपुर नगर महापालिका में हाता प्रकाश योजना के अन्तर्गत बिजली के खम्भे एवं बत्ती लगाने हेतु प्रत्यक प्वाइन्ट का भुगतान 500 रु० की दर से किया गया है ? जबकि कानपुर नगर में लकड़ी के खम्भ लगा कर घटिया किस्म की बत्ती लगाई गयी है जिसका प्रत्येक का खर्चा 80 रु० से अधिक नहीं है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था, कितने खम्भे कानपुर मे लग हैं और कितना भुगतान किया गया है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)--

यह कार्य न तो प्रति बत्ती की दर से कराया ही गया और न प्रति बत्ती दर से भुगतान हुआ ।

कुल 4163 ट्यूब लाइट फिटिंग लगाई गई जिसमें से 2022 ट्यूब लाइट्स बल्लियों पर लगाई गई और शेष पहले से उपलब्ध खम्भों या दीवारों पर लगाई गई ।

इस कार्य की कुल लागत 19,82,920.62 रु० आई जिसके अनुसार प्रति बत्ती का औसत 476 रु० आता है जिसका विवरण इस प्रकार है :--

| | रु० |
|---|---|
| 1--प्रति ट्यूब लाइट फिटिंग का व्यय (सा० नि० वि०) की पुरानी स्वीकृत दर के अनुसार | 330 |
| 2--प्रति बल्ली | 90 |
| 3--तार आदि | 56 |
| योग .. | 476 |

## होम्योपैथिक कालेजों के खोलने की मांग

*8--श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक विद्यालय के छात्रों द्वारा अपनी दीर्घकालिक हड़ताल को कब वापस लिया गया है और उसके बाद से अभी तक उपरोक्त होम्योपैथिक कालेज खोले न जाने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

होम्योपैथि विद्यालयों के छात्रों द्वारा अपनी दीर्घकालीन हड़ताल को जनवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में वापस लिया गया। छात्रों की एक प्रमुख मांग यह थी कि प्रदेश के 15 गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाय। शासन ने इन कालेजों के प्रबन्ध का अधिग्रहण अध्यादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1979 द्वारा कर लिया है तथा सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेटों को उनके जिले में कार्यरत कालेजों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इन सभी कालेजों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

## कानपुर में गंगा नदी पर बैराज निर्माण की योजना

*9--श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने दिसम्बर 1978 में कानपुर में गंगा नदी पर बैराज निर्माण की उपादेयता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके शीघ्र ही सरकार को अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिए कानपुर नगर महापालिका के प्रशासक की अध्यक्षता एवं संयोजकत्व में एक 'कार्य-दल' का गठन किया था ? क्या कानपुर में प्रस्तावित गंगा बैराज को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट तैयार होने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री रामाधार पाँडेय--

दिसम्बर, 1978 में नहीं बल्कि नवम्बर 1978 में शासन द्वारा एक कार्य-दल का गठन श्री एस० एस० सिद्धू, तत्कालीन प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर की अध्यक्षता में किया गया था। कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

## बांदा नगर में मटमैले पेयजल की आपूर्ति एवं पोलिया रोग का प्रकोप

*10--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा नगर में विगत तीन माह से मटमैला बदबूदार एवं दूषित पेयजल की, नागरिकों के बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद, आपूर्ति की जा रही है जिससे पूरे नगर में पोलिया रोग फैल गया है ? यदि हां, तो सरकार ने अधिकारियों की उपेक्षा के विरुद्ध तथा स्वच्छ सम्पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की ? मामले की जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए।

श्री रामाधार पांडेय--

दिनांक 26 मार्च, 1979 को केन नदी में अत्याधिक गंदा पानी आने के कारण बांदा नगर में कुछ मटमैला (किन्तु बदबूदार एवं दूषित पेयजल नहीं) पानी आने लगा था। इस मटमैलेपन को दूर करने हेतु जल संस्थान झांसी के अधिकारियों द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई जिसके कारण पानी काफी हद तक स्वाच्छ हो गया। नगर में कुछ लोग पोलिया रोग से पीड़ित है किन्तु इसका सम्बन्ध जल संस्थान द्वारा वितरित जल से नहीं। पानी को स्वच्छता बनाये रखने हेतु जल संस्थान के अधिकारी पिछले मास से इसकी जांच समय-समय पर कर रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार फिटकरी तथा ब्लीचिंग पाउडर मिला रहे हैं। पेयजल वितरण में किसी अधिकारी ने उपेक्षा नहीं बरती है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## देवरिया जिले के चीनी मिलों के गन्दे पानी से छोटी गंडक नदी की मछलियों की मृत्यु

*1- श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल, 1979 के प्रथम सप्ताह में जिला देवरिया के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्दा पानी छोड़ने से छोटी गण्डक की

लाखों कुन्तल मछलियां मर गयीं तथा पानी दुर्गन्धित एवं विषाक्त हो गया है जिससे दर्जनों व्यक्ति एवं सैकड़ों पशु पानी पीने से मर गए और हजारों की संख्या में बीमार हैं ? यदि हां, तो मिलों द्वारा जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री क्रान्ति कुमार—

माह अप्रैल, 1979 के प्रथम सप्ताह में जिला देवरिया के अन्तर्गत किसी चीनी मिल द्वारा गन्दा पानी छोटी गन्डक में छोड़े जाने के फलस्वरूप लाखों कुन्तल मछलियां मरने या उसका पानी दुर्गन्धित एवं विषावत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई । नदी का पानी पीने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के मरने एवं बीमार होने की भी पुष्टि नहीं हुई किन्तु कुछ मछलियों एवं पशुओं के बीमार होने व मरने की सूचना मिली है ।

सम्बन्धित कारखाना के विरुद्ध कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये हैं ।

## नगरपालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*2—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर-पालिकाओं और महानगरपालिकाओं में कितने केन्द्रीयित और अकेन्द्रीयित ऐसे कर्मचारी है जिन्हें सेवा करते 10 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अस्थाई है ? उनकी सेवायें स्थायी न होने के क्या कारण है ? क्या इन लोगों के पेंशन नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब बनाये गए और कब तक लागू किए जावेंगे ?

श्री रामाधार पांडेय—

सूचना प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं से संकलित की जानी है जिसमें पर्याप्त समय लगेगा ।

## नगरमहापालिका कानपुर के ए० एन० डी० डिग्री कालेज के कर्मचारियों का वेतनमान एवं उनका स्थानान्तरण

*3—श्री रामग्रासरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित ए० एन० डी० डिग्री कालेज, कानपुर के गर शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें एवं कैडर महापालिका के सामान्य कर्मचारियों से भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण डिग्री कालेज से महापालिका में किये जा सकते हैं, यदि नहीं, तो अक्तूबर, 1978 तथा उसके पश्चात डिग्री कालेज से कर्मचारियों के स्थानान्तरण किन नियमों के अन्तर्गत किए गए ?

श्री रामाधार पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[दिनांक 31 मई, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## बाल पकने के संक्रामक रोग के नियन्त्रण की मांग

*1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में संक्रामक रूप से पालित रोग फैल रहा है जिसके कारण किशोर एवं युवावस्था के युवक युवतियों के बाल कुसमय में ही पक जाने से स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य विकृत हो रहा है ? यदि हां, तो पालित महामारी के नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जायें ?

श्री राम शंकर कौशिक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[17 मई, 1979 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

## श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता विद्युत् निर्माण खंड, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के तृतीय गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 28 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि परिवाद पत्रों को जिन्हें क्षेत्रीय अधिकारियों को जांच हेतु भेज दिया गया था उन पर क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ? जांच क्या है व जांच परिणामों पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्या कार्यवाही करने की आशा है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, जांच के निष्कर्षानुसार परिवाद-पत्रों में जो आरोप लगाये गए थे उनमें कोई सत्यता नहीं पाई गई । अतएव, इस बारे में आगे कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

## फैजाबाद, चौक में मस्जिद की सर्राफा की दुकानों को पहुंचायी गयी क्षति

*4--श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 अक्तूबर, 1975 को फैजाबाद, चौक में हजरत रजा वक्फ बोर्ड द्वारा संरक्षित मस्जिद की सर्राफा की दूकानों को प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, फैजाबाद के नेतृत्व में अनाधिकार क्षति पहुंचाई गयी ? क्या उक्त दुकानों के निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति सन् 1944 में फैजाबाद नगरपालिका द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी ? क्या शासन इसकी जांच करायेगी तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी और दुकानदारों को जो प्रभावित हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाएगी ?

श्री रामअधार पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

## हरदुआगंज विद्युत् गृह में रसायनज्ञ के पद पर नियुक्ति

*6—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत् परियोजना के 'अ' एवं 'स' ताप विद्युत् गृहों में मुख्य रसायनज्ञों के पद के सृजन एवं उस पर नियुक्तियां करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं । हरदुआगंज ताप विद्युत् परियोजना के सभी ('अ' 'ब' एवं 'स') विद्युत् गृहों के रसायनिक कार्य के लिए एक मुख्य रसायनज्ञ का पद स्वीकृत है तथा एक पदधारी कार्य कर रहा है जो कार्यभार को देखते हुए पर्याप्त है ।

## शाहगंज एवं हैदरगंज के जिला परिषद् अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की मांग

*7—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में जिला परिषदीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो फैजाबाद जनपद में शाहगंज एवं हैदरगंज में जिला परिषदीय चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण कब तक हो सकेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

चिकित्सा विभाग में ऐसी एक योजना है जिसके अन्तर्गत गैर सरकारी अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया जाता है।

फैजाबाद जनपद के शाहगंज एवं हैदरगंज के जिला परिषदीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के परिपक्व प्रस्तावों के अभाव में सम्प्रति यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उक्त चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण कब तक हो सकेगा ।

*8—श्री राम सिंह—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## फैजाबाद, जिला परिषद् चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में पत्र

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नये अस्पतालों को खोलने और जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा संचालित कुछ डिस्पेंसरियों का प्रान्तीयकरण करने के बारे में प्रश्नकर्ता का 15 दिसम्बर, 1978 का पत्र स्वास्थ्य मन्त्री को तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 12 जून, 1978 एवं दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 का पत्र मिल गया है ? क्या यह भी सही है कि जनपद फैजाबाद की जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति ने भी इस बारे में वर्ष 1977 तथा 1978 में प्रस्ताव पारित करके सरकार से इसी प्रकार का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । संदर्भित पत्र में नये अस्पतालों के खोलने हेतु जिन स्थानों का नाम उल्लिखित हैं उनमें से नजीरपुर को छोड़कर शेष के विषय में शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं मापदण्ड के प्रकाश में परीक्षण के उपरान्त उक्त स्थानों पर नए चिकित्सालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला परिषद द्वारा संचालित जिन चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण अपेक्षित है उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण संकल्प एवं परिपक्व प्रस्ताव के अभाव में सम्प्रति प्रान्तीयकरण की कार्यवाही सम्भव नहीं है । प्रस्तावों की परिपक्वता में अनेक औपचारिकताएं एवं जटिल कार्यवाही निहित होने के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रान्तीयकरण की कार्यवाही कब तक सम्पूर्ण हो जायगी ।

*10--श्री जगन्नाथ सिंह--

[9-5-79 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त] ।

## टाउन एरिया तालबेहट, जिला ललितपुर के प्रभारी अधिकारी एवं बक्शी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक का कोई पत्र 27 सितम्बर, 1978 का टाउन एरिया तालबेहट, जिला ललितपुर के प्रभारी अधिकारी और बक्शी के विरुद्ध मिला था ? यदि हां, तो उस पर साढ़े छः माह तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों और तालबेहट टाउन एरिया में नालियों की सफाई कूड़ा फेंकने आदि की क्या-क्या व्यवस्था की गयी है ? और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जी हां । उक्त पत्र में टाउन एरिया तालबेहट के बक्शी और प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध सफाई व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी ।

टाउन एरिया तालबेहट में सफाई की व्यवस्था के लिए इस समय 12 सफाई मजदूर तथा एक जमादार है जिनसे सफाई का कार्य कराया जाता है । विशेष सफाई अभियान चलाकर भी कीचड़, मिट्टी इत्यादि की सफाई करायी गयी है । उपलब्ध साधनों द्वारा अधिक से अधिक सफाई सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

## राज्य विद्युत् परिषद् के आपरेटिंग वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु ली गयी परीक्षा

*12--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जून सन् 1977 में विद्युत् परिषद् के आपरेटिंग स्टाफ के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अब तक घोषित क्यों नहीं किया गया ? परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

माह जून एवं सितम्बर, 1977 में परिचालन वर्ग के कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मौखिक साक्षात्कार अभी चल रहा है जिसके कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सका । कुछ शेष अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा अभी 13 मई, 1979 को ली गई है और उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के बाद परीक्षा का अन्तिम परिणाम एक साथ जुलाई, 1979 के अन्त तक घोषित हो जाने की आशा है ।

## होम्योपैथिक सेवा संघ की मांग

*13--हरिकेवल प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय होम्योपैथिक सेवा संघ, उत्तर प्रदेश का कोई पत्रक किसी जनप्रतिनिधि के पत्र दिनांक 10 मार्च, 1979 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां ।

मांगें निम्नवत् हैं--

1--राज्य सरकार की होम्योपैथिक सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों को चिकित्साधिकारी से लेकर उप निदेशक एवं निदेशक के पदों तक पदोन्नति की व्यवस्था की जाय । जैसा कि पी० एम० एस० में व्यवस्था है । जब तक ऐसा नहीं होता नव सृजित पद होम्योपैथिक निदेशक की अनिवार्य होम्योपैथिक अर्हता वही रखी जाय जो होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के लिये निर्धारित है ।

2--अन्य पद्धतियों के समान होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को भी समान वेतनमान एवं अधिकार संबंधी सात सदस्यीय समिति की संस्तुतियों को अविलम्ब लागू किया जाय ।

3--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय।

4--संघ को मान्यता प्रदान की जाय ।

उक्त मांगें शासन के विचाराधीन हैं ।

## नगर महापालिकाओं की ठेकेदारी प्रथा की कथित समाप्ति

*14--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायगी कि नगर महापालिकाओं से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वहां निर्माण निगम की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का सेलेक्शन ग्रेड

*15--श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में 10 प्रतिशत चिकित्साधिकारियों के पद सेलेक्शन ग्रेड के करने हेतु वेतन असंगति कमेटी ने सन् 1975 में संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उसके अनुपालन में किन-किन चिकित्साधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में वेतन असंगति निवारण समिति की संस्तुति के आधार पर 12 प्रतिशत के हिसाब से सेलेक्शन ग्रेड के पद स्वीकृत किये गये हैं ।

सेलेक्शन ग्रेड में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति का विषय शासन के विचाराधीन है ।

*16--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[17-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 12 द्वारा उत्तरित ।]

## विद्युत् विभाग, वाराणसी के जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति हेतु परीक्षा

*17--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग जोन, वाराणसी में 18 सितम्बर, 1977 को विभागीय परीक्षा जूनियर इंजीनियर के पद पर प्रमोशन हेतु मडुआडीह, वाराणसी विद्युत् निगम विभाग में लिया गया था ? यदि हां, तो उसका नतीजा निकल गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, किन्तु उक्त परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है ।

*18-20--[नियम 47(1) अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

*21--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

## उपखण्ड अधिकारी, विद्युत् निर्माण उपखण्ड, बुलन्दशहर एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

22-श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 33 तारांकित प्रश्न के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 4-5-78, 12-8-78 एवं 14-12-78 के पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच की जा रही है ? यह जांच कब तक हो जायगी ? दिनांक 27 मार्च, 1978 के पत्र की जांच के उपरान्त उपखंड अधिकारी, विद्युत् जनपद निर्माण उपखंड, बुलन्दशहर व अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, जैसाकि विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के प्रथम गुरुवार के के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर में बताया जा चुका है दिनांक 4-5-78 एवं 12-8-78 के पत्रों में वर्णित आरोपों की जाँच की जा रही है। यह जाँच अब भी जारी है तथा इसके शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है। दिनांक 14-12-78 का पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया गया है।

दिनांक 27-3-78 में उल्लिखित शिकायतों की जांच के उपरान्त सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी (जनपद) बुलन्दशहर एवं अवर अभियन्ता से क्रमशः रु0 8,400 एवं रु0 1,513 की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की जा रही है।

## स्थानीय निकायों के टोल तथा चुंगी बैरियर्स की समाप्ति के फलस्वरूप फालतू कर्मचारी

*23--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश टोल बैरियर समाप्त किए जाने के कारण स्थानीय निकायों के जो कर्मचारी अतिरिक्त घोषित होंगे उन्हें बेरोजगार होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? कुल कितने कर्मचारी टोल बैरियर समाप्त होने से प्रभावित होंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियों से टोल/चुंगी बैरियर्स समाप्त किये जाने से जो नियमित तथा पूर्ण कालिक कर्मचारी फालतू होंयेगे उन्हें सेवा से हटाया नहीं जायगा बल्कि उन्हें समान उत्तरदायित्व के पदों पर समायोजित किया जायेगा। अतः इस कार्य पर लगे कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## गोरखपुर जिले के स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थायीकरण

*24--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में कुछ स्वास्थ्य निरीक्षकों को वर्ष 1978-79 में स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें कुछ ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी स्थायी किया गया है जिनकी चरित्र-पंजिकाएं उपलब्ध नहीं थीं या प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*25--श्री राम आसरे वर्मा--

[7 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

## फैजाबाद जिले के गोसाईगंज डिस्पेन्सरी एवं कटेहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर की नियुक्ति की मांग

*26--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के गोसाईगंज राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरी में कब से कोई डाक्टर नहीं है और विकास खण्ड,

कटेहरी के मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने दिनों से केवल एक डाक्टर है ? उक्त दोनों स्थानों की रिक्तियों को कब तक भर दिया जायगा और वहां की जनता को डाक्टरों की नियमित सेवायें कब से उपलब्ध करा दी जायेंगी ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनांक 20-3-79 से गोसाईगंज राजकीय ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त था परन्तु अब वहां डाक्टर को तैनाती कर दी गई है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटेहरी पर अगस्त, 1978 से केवल एक डाक्टर है । डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है । यथाशीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है ।

## अतारांकित प्रश्न

### फैजाबाद नगरपालिका की लाइट गेट परियोजना

1—श्री जयशंकर पांडेय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद नगरपालिका में लाइट गेट परियोजना नाम की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें कितनी लागत आयेगी ? और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां । इस योजना के अन्तर्गत सड़क बननी है जिसकी जनवरी, 1974 में रुपया 1,55,000 लागत आँकी गयी थी । उक्त योजना हेतु भूमि नजूल विभाग से नगरपालिका फैजाबाद को हस्तांतरित होनी है जिसके सम्बन्ध में नजूल अधिकारी फैजाबाद एवं नगरपालिका के मध्य पत्राचार चल रहा है । भूमि उपलब्ध होने पर योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कार्यवाही की जाएगी ।

### फैजाबाद जिले के पहितीपुर (औरंगनगर) में होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने की मांग

2—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

तृतीय सत्र 1978 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के पहितीपुर (औरंगनगर) बाजार में राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के प्रश्न पर अन्तिमरूप से निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो यह डिस्पेन्सरी कब से कार्य करना शुरू कर देगी ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लेने की कृपा करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी नहीं ।

उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत स्थान पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपयुक्तता के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।

## नगरपालिका, इटावा के कर्मचारियों की भविष्य निधि

3—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि शासनादेश के अन्तर्गत नगरपालिका, इटावा के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि मय अंशदान के उनकी भविष्य निधि पासबुक में कब से जमा नहीं हुई है ? तथा उसके कारण क्या हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

नगरपालिका इटावा के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि पालिका अंशदान सहित उनके भविष्य निधि पास बुक में मार्च, 1979 तक जमा की जा चुकी है। केवल जनवरी, 1973 से मार्च, 1974 तक की अवधि की धनराशि पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण तथा अप्रैल, 1979 की धनराशि स्थानीय निकाय कर्मचारियों की हुई हड़ताल के कारण विलम्ब से वेतन वितरण किये जाने के फलस्वरूप जमा नहीं हो पाई है। पालिका का प्रशासकीय बोर्ड उक्त दोनों अवधियों की बकाया धनराशि जमा करने हेतु प्रयत्नशील है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारी अधिकारी को आदेशित भी कर दिया गया है।

## नगरपालिका, इटावा की हरिजन कालोनी के क्वार्टरों का आवंटन

4—श्री नरेश चन्द्र—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, इटावा की हरिजन कालोनी, हरिजन कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है तथा हरिजन क्वार्टर निर्माण हेतु शासन से मिली 19 हजार पाँच सौ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

इटावा नगर की हरिजन कालोनी का निर्माण जिस समय हुआ था उस समय नगर के हरिजन उसको लेने को सहमत नहीं थे। काफी समय तक क्वार्टर्स खाली पड़े रहे। बाद में चतुर्थ श्रेणी के अन्य इच्छुक कर्मचारियों को क्वार्टर्स आवंटित कर दिये गये थे। कुछ समय से नगर के हरिजनों की ओर के कालोनी के खाली कराये जाने एवं उन्हें आवंटित किये जाने की मांग आने पर कब्जेदार किरायेदारों से क्वार्टर्स खाली कराये जाने की नोटिस दी गयी किन्तु नोटिस की अवधि समाप्ति पर भी क्वार्टर खाली न होने पर इस समस्या के वैधानिक निदान की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

यह सही है कि वर्ष 1969-70 में सफाई कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिये हरिजन समाज कल्याण विभाग की ओर से नगरपालिका, इटावा को 19,500 रुपयों का अनुदान प्राप्त हुआ था किन्तु निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। इस धनराशि को उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका एवं हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के बीच पत्राचार चल रहा है।

5—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

## बलिया जिले में जल विद्युत् वितरण खन्ड के सहायक परिवेक्षक, श्री उत्तम चन्द्र गुप्ता के बहाली के आदेश

6--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद में जल विद्युत् वितरण खन्ड प्रथम में वर्ष 1970 में सहायक परिवेक्षक के पद पर कार्यरत श्री उत्तम चन्द्र गुप्ता को अतिरिक्त जज, बलिया के न्यायालय से दिनांक 29 जनवरी, 1977 को दोष मुक्त होने पर विभागीय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1978 और दिनांक 2 मई, 1978 के आदेश से श्री उत्तम चन्द्र गुप्ता को बहाली का आदेश हुआ ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता के कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्या है और विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां। परिषद् द्वारा इस मामले पर विधि अधिकारी से परामर्श करने तथा छान-बीन करने के उपरान्त मार्च, 1978 एवं मई, 1978 में मुख्य अभियन्ता ने अपने संदर्भित पत्रों द्वारा सेवा में वापिस लेने तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये थे।

2--श्री उत्तम चन्द्र गुप्ता के विद्युत परिषद् के राजस्व के गबन के आरोप में सहायक सेशन जज द्वारा साढ़े चार साल का कठोर कारावास तथा आर्थिक दन्ड का आदेश दिया गया था। श्री गुप्ता ने अतिरिक्त सेशन जज की अदालत में उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। जिसका निर्णय 29-1-77 को श्री गुप्ता के पक्ष में हो गया। उपरोक्त अपील में राज्य विद्युत् परिषद् को पार्टी नहीं बनाया गया था अतः उपरोक्त निर्णय की सूचना परिषद् को तब हुई जब कि श्री गुप्ता ने सेवा में बहाली के लिये गई, 1977 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण मन्डल, आजमगढ़ को तथा जुलई, 1977 में माननीय विद्युत् मन्त्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया। इस प्रकार श्री गुप्ता को सेवा में लेने में विलम्ब का मुख्य कारण श्री गुप्ता द्वारा जानबूझकर देर से अतिरिक्त सेशन जज के निर्णय की सूचना देना था, जिससे कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील न की जा सके। सूचना प्राप्ति के बाद मामले की छानबीन तथा औपचारिक कार्यवाही में 7/8 माह का समय लगा जो अपरिहार्य था।

7--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

## इलाहाबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग की मोटर गाड़ियों की मरम्मत की मांग

8--श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों के कार्यालय में कितने प्रकार की बड़ी छोटी मोटर गाड़ियां, ट्राली बेकर पड़ी हैं ? उनकी मरम्मत न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इलाहाबाद जनपद में सम्प्रति विभाग की 10 वाहनें, जिनमें से 5 बड़ी तथा 5 छोटी हैं, की मरम्मत मितव्ययिता से परे हो जाने के कारण निष्क्रिय दशा में पड़ी है। इन वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कराने तथा निस्तारण की कार्यवाही

चल रही है । इसके अतिरिक्त 6 वाहनों की मरम्मत प्रगति पर है और 3 वाहनों व 3 ट्रालियों की मरम्मत के लिए विधिवत् औपचारिक कार्यवाही की जा रही है ।

## महापालिका, आगरा की मैला ढोने वाली गाड़ियां

9--श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि महापालिका, आगरा में इस समय कुल कितनी मैला ढोने वाली गाड़ियां, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां और सफाई के ट्रैक्टर आदि उपकरण उपलब्ध हैं ? क्या यह सही है कि उक्त सामान महापालिका की आबादी की सफाई को पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो आगरा नगर की गन्दी व मलिन बस्तियों की सफाई की क्या व्यवस्था की है ?

श्री रामाधार पण्डेय--

जी हां, सूची *संलग्न है ।

जी हां ।

गन्दी और मलिन बस्तियों की भी अन्य बस्तियों की भांति सफाई कराई जाती है तथा हर दो तीन महीने पर सफाई अभियान चलाया जाता है। अन्य व्यवस्थायें हैं खड़ंजे लगाना, नालियों का निर्माण, सीवर डालना, सार्वजनिक शौचालय और स्नान गृहों का निर्माण तथा नये उपकरणों का क्रय ।

## नगरपालिका, बांदा के एकाउन्टेन्ट श्री बृज मोहन त्रिपाठी की नियुक्ति

10--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा में माह मार्च, 1977 में एकाउन्टेन्ट पद पर किसी ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति की गई है, जिसका निर्णय किसी न्यायालय में विचाराधीन है ? क्या यह सत्य है कि उक्त एकाउन्टेन्ट पालिका के कई कर्मचारियों से जूनियर होते हुये अयोग्य भी है तथा उनकी नियुक्ति स्टाफ गैप अरेंजमेन्ट में अस्थायी नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जी हां, श्री बृज मोहन त्रिपाठी, खजान्ची नगरपालिका, बांदा, जिनका मामला लोक सेवा अधिकरण में विचाराधीन है, को तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा एकाउन्टेन्ट के पद पर अस्थायी रूप से तैनात किया गया था ।

जी हां, श्री त्रिपाठी पालिका में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की अपेक्षा जूनियर हैं तथा एकाउन्टेन्ट की परीक्षा पास न होने के कारण अनर्ह भी हैं । तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा श्री त्रिपाठी को एकाउन्टेन्ट पद पर पहले अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया, बाद में बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 44(12), दिनांक 18-4-77 द्वारा उनको एकाउन्टेन्ट के पद पर स्थायी कर दिया गया ।

जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 15-2-79 को बोर्ड के उक्त प्रस्ताव को रद्द कर दिए जाने के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी अपने खजान्ची के मूल पद पर स्वतः आ गये ।

---

*(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ट 141 पर ।)

## नगरपालिका, बांदा के कर्मचारियों की गायब सेवा-पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका

11--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा के खजान्ची/एकाउन्टेन्ट सहित अनेकों कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका, चरित्र पंजिका गायब है ? यदि हां, तो दोषी एवं उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका ने दिनांक 23 अगस्त, 1977 में समस्त कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि यदि किसी कर्मचारी ने अपनी सेवा-पुस्तिका एक सप्ताह के अन्दर नहीं बनवाई तो उसका वेतन रोक दिया जायेगा । यदि हां, तो इस समय किस वैधानिक आधार पर खजान्ची/एकाउन्टेन्ट को वेतन दिया जा रहा है ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

श्री बृज मोहन त्रिपाठी खजान्ची/एकाउन्टेन्ट की सेवा-पुस्तिका/चरित्र पंजिका नहीं बनाई गई, अतः उसके गायब होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इसके अतिरिक्त पालिका के तीन कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका गायब हैं ।

इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई जा चुकी है तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

अधिशासी अधिकारी के उक्त आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है । वह केवल हिदायत मात्र था, अतः उनके द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया । तदनुसार खजान्ची/एकाउन्टेन्ट को वेतन दिया जा रहा है । वैसे अधिशासी अधिकारी वेतन रोकने के आदेश देने हेतु सक्षम भी नहीं हैं ।

## विद्युत् निर्माण उप खण्ड, गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

12--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को श्री रामोतार प्रेमी ने विद्युत जनपद निर्माण उपखंड, गाजियाबाद के बारे में गम्भीर घोटालों की शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि 12 मीटर के स्थान पर 16 मीटर की दूरी पर बीम क्यों बनाए गए और बी० टी० आर० और ए० टी० आर० फाउन्डेशन ड्राइंग के विपरीत ढलवाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

गन्ट्री फाउन्डेशन के निर्माण के पहले 'रेफरेन्स' पिलर्स ड्राइंग में दर्शायी हुई दूरियों पर बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर बाद में 'फाउन्डेशन' की ढलाई की जाती है । न्योडा उपकेन्द्र के निर्माण कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कार्य बरसात में भी किया गया । अधिक वर्षा के कारण 'रेफरेन्स पिलर्स' ढह गए थे और 'साइट' पर फाउन्डेशन की खुदाई की मिट्टी के ढेर के कारण तथा कुछ अन्य फाउन्डेशन की दूरी 16 मीटर होने के कारण तीन 'फाउन्डेशन' गलती से

12 मीटर के स्थान पर 16 मीटर की दूरी पर बन गए तथा 12 मीटर की बीम की जगह 16 मीटर की बीम लगाई गई ।

इसकी जिम्मेदारी विशेषकर श्री एन० सी० भारद्वाज, अवर अभियन्ता की है ।

चेतावनी के रूप में सम्बन्धित अवर अभियन्ता की वर्ष 1977-78 की गोपनीय चरित्र पंजिका में इसका उल्लेख किया गया है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिंगटनगंज, फैजाबाद के भवन निर्माण की मांग

13--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड, हरिंगटनगंज, जनपद फैजाबाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना कोई भवन नहीं है ? यदि हां, तो भवन निर्माण सम्बन्धी धनराशि क्यों नहीं स्वीकृत की गई ? भवन न होने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र संचालन की क्या व्यवस्था है और उक्त व्यवस्था पर शासन का क्या वार्षिक आर्थिक व्यय हो रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । धनाभाव के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिंगटनगंज, जिला फैजाबाद के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना सम्भव नहीं हो सका है । सम्प्रति उक्त केन्द्र को एक किराये के भवन में चलाया जा रहा है, जिस पर शासन का 900 रु० वार्षिक व्यय हो रहा है ।

14--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लालदास--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

15--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[ 7वें गुरुवार के लिए स्थगित ]

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों एवं चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का वेतनमान

16--श्री बाबूराम शुक्ल--

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान देने की घोषणा दिनांक 21 मार्च, 1979 को विधान परिषद् में करने के बाद भी सेलेक्शन वेतन मान अभी तक देना स्वीकार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह विषमता कब तक दूर हो सकेगा ?

श्री ब्रान्ति कुमार--

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के समान 550-1200 रु० के वेतनमान में वेतन दिये जाने के आदेश दिनांक 30 मार्च, 1979 को जारी हो चुके हैं ।

जहां तक सेलेक्शन वेतनमान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में चिकित्सा सेवा संघ, श्रम विभाग का प्रत्यावेदन शासन को हाल में ही प्राप्त हुआ है । जिस पर विचार किया जा रहा है ।

17--श्री हुक्म सिंह परिहार--

[28-12-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 31 द्वारा उत्तरित ]

18--श्री हुक्म सिंह परिहार--

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित ]

## विद्युत् निर्माण उपखण्ड, नहटौर के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, श्री एन० के० गुप्ता के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

19--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद विद्युत् निर्माण उप खण्ड नहटौर, जिला बिजनौर व सहारनपुर उपखन्ड के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता के द्वारा किये गये वर्क आर्डर 1974-75 1975-76, 1976-77 की अनियमितताओं की जांच श्री जो० पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल विद्युत् जनपद निर्माण वृत्त कासिमपुर, परीक्षा प्रोजेक्ट (झांसी) कर रहे हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? व जांच परिणाम क्या निकले ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, विद्युत् जनपद निर्माण उपखण्ड, नहटौर के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता श्री एन० के गुप्ता द्वारा वर्ष 1974-75 में किये गये केवल एक वर्क आर्डर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री गुप्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी जिसमें श्री जो० पी० सिंह अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे। वर्ष 1975-76 1976-77 में किये वर्क आर्डरों की कोई जांच नहीं की गई। आरोप संक्षेप में निम्न है :

विद्युत् जनपद निर्माण उपखण्ड, नहटौर मे उपखण्ड अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए श्री एन० के० गुप्ता, सहायक अभियन्ता ने 132 के० वी० सब-स्टेशन, नहटौर में पानी की आपूर्ति के लिए श्री बाई० एन० गुप्ता ठेकेदार के साथ एक कार्यादेश सम्पादित किया जिसमें कार्य समाप्त की अवधि 7-11-75 तक थी। एक ओर श्री गुप्ता ने ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ न किये जाने के कारण उसको दिया गया। कार्य देश 6 मई, 1975 को निरस्त कर दिया वहीं दूसरी ओर श्री गुप्ता ने ठेकेदार का प्रथम व अन्तिम बिल 20-7-75 को सत्यापित किया जिसमें 7-1-75 को कार्य समाप्त करना दिखाया गया था। इस प्रकार श्री गुप्ता ने तथ्यों को छिपाया, गलत बयान दे कर विभाग को धोखा दिया तथा कार्य में शिथिलता दिखाई।

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री गुप्ता द्वारा दिया गया स्पष्टी-करण उपलब्ध अभिलेखों से जांच करने पर असत्य पाया गया।

जांच पूर्ण होने के पश्चात् श्री एन० के० गुप्ता, सहायक अभियन्ता, गलत बयान देने, ठेकेदार के साथ सांठगांठ करने एवम् गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने के दोषी पाये गये। इन दोषों के लिए श्री गुप्ता को निम्नलिखित दण्ड दिया गया।

1--इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव के रोक दी गई।

2--वर्ष 1974-75 के लिए एक निन्दा प्रविष्ट दी गई।

## विद्युत जनपद निर्माण उप-खण्ड, बुलन्दशहर के कतिपय सब-स्टेशनों पर लगाये काटेदार तार

20--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद विद्युत निर्माण उपखण्ड बुलन्दशहर के अन्तर्गत सन् 1976-77, में 37 (-) 5 के० वी० सब-स्टेशन ऊंचा गांव जुगरासी, चोला खुर्जा जक्शन व 132 के० वी० सब-स्टेशन डिवाई पर काटेदार तार लगाया गया है ? यदि हां, तो एक मीटर में कितना मापन किया गया है और मौके पर (वास्तविक) मापन क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में केवल बुगरासी व चौला 37·5 के० वी० सब-स्टेशन पर काटेदार तार लगा था। ऊंचा गांव सब-स्टेशन पर वर्ष 1973 में, 132 के० वी० सब-स्टेशन डिवाई पर वर्ष 1974 में तथा 37.5 के० वी० सब-स्टेशन खुर्जा जंक्शन पर वर्ष 1978 म काटेदार तार लगा था। बुगरासी व चौला सब-स्टेशनों पर क्रमशः 0.266 व 0·22 किलोग्राम प्रति मीटर ऊंचा गांव सब-स्टेशन पर 0·178 किलोग्राम प्रति मीटर 132 के० वी० सब स्टेशन डिवाई पर 0.259 किलोग्राम प्रति मीटर तथा खुर्जा जंक्शन सब-स्टेशन पर 0.10 किलोग्राम प्रति मीटर के हिसाब से लिया गया। पांच विभिन्न सब स्टेशनों से काटेदार तार के नमूने लेकर वास्तविक भार निकाले जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा आवश्यक जांच करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

## विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, मेरठ में वर्क आर्डर पर काटी गयी सिक्योरिटी

21--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद विद्युत निर्माण खंड मेरठ में वर्क आर्डर पर 10 प्रतिशत सिक्योरिटी काट ली जाती है ? यदि हां, तो 1975 से अब तक सिक्योरिटी का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किया गया ? वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनपद विद्युत निर्माण खंड मेरठ में 10 (दस) प्रतिशत 'सिक्योरिटी' वर्क आर्डर के भुगतान में उन मामलों में काट ली जाती है जिनमें त्रुटियां पाई जाती है जैसे वर्क आर्डर में दिये गये मूल्य का आधार व मूल्य का विश्लेषण न देना, मापन की जांच न करना, कार्य को निर्दिष्टयों के अनुसार किये जाने का सर्टिफिकेट न देना एवं आमंत्रित कुटेशन व तुलनात्मक विवरण को बिल के साथ प्रेषित न करना इत्यादि।

वर्ष 1975 से अब तक लगभग 490 वर्क आर्डरों के भुगतान में से दस (10) प्रतिशत सिक्योरिटी काटी गयी थी।

इन 490 में से 325 मामलों में काटी हुयी सिक्योरिटी वापस की जा चुकी है तथा 165 मामले ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी आपत्तियां दूर न करने के कारण अभी तक वापस नहीं की जा सकी। इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही जारी है तथा निकट भविष्य में इन सभी मामलों को निबटा दिया जायगा।

## फार्मेसी कौंसिल के चुनाव की मांग

22—श्री राम सजीवन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि स्टेट फार्मेसी कौंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 10 वर्ष हो रहे हैं परन्तु अभी तक दुबारा चुनाव नहीं हुए ह जबकि हर पांच वर्ष में होना चाहिए था ? क्या उसके चुने गये सदस्यों में एक भी सदस्य फामसी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो कब तक चुनाव हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, । उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौसिल का चुनाव वर्ष 1980 में कराये जाने की सम्भावना है ।

चुने गए सदस्यों में से फार्मेसी में डिग्री या हिप्लोमा धारक कोई भी सदस्य नही है ।

## बलिया जिले की ग्राम सभा रतसड़ को टाउन एरिया बनाने की मांग

23—श्री गौरी शंकर भैया तथा (जिला बलिया) श्री राम गोविन्द (जिला बलिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 3 अप्रैल, 1979 को बलिया जनपद में ग्राम सभा रतसड़ को टाउन एरिया घोषित करने के लिए आवेदन-पत्र दिया है तथा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने कोई रिपोर्ट स्वायत्त शासन मंत्रालय को भेजी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामाधार पान्डेय—

जी हां ।

बलिया जनपद की रतसड़ ग्राम को टाउन एरिया बनाने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण किया गया किन्तु गांव सभा द्वारा टाउन एरिया बनाने के प्रस्ताव का विरोध किय जाने, गांव की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर होने तथा इस क्षेत्र में शहरी गुणों की कमी के कारण उक्त ग्राम सभा को टाउन एरिया में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा गया ।

## बलिया जिले के निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

24—श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया—

क्या विद्युत मन्त्री बताने का कष्ट करेंग कि बलिया जनपद मे सन् 1977-78, 1978-79 में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए कितने आवेदन-पत्र दिये गये हैं ? उनमें से कितनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बाकी नलकूपों को शीघ्र विद्युतीकरण करने का आदेश सम्बन्धित विभाग को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बलिया जनपद में सन् 1977-78 व 1978-79 में निजी नलकूपों के कनेक्शन के लिए क्रमशः 743 व 612 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इन 1355 आवेदकों में 1143 को कनेक्शन वर्ष 1978-79 के अन्त तक दिया जा चुका है । वर्ष 1978-79 के अन्त में केवल 41 ऐसे मामले थे जिनमें सम्बन्धित व्यक्तियों ने

समस्त औपचारिकायें पूरी करके बी० एण्ड एल० फार्म जमा कर दिये थे परन्तु कनेक्शन नहीं दिय जा सके। इन व्यक्तियों को कनेक्शन देने हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है। तथा यथा शीघ्र कनेक्शन देने की कार्य-वाही की जा रही है।

## इलाहाबाद की टाउन एरिया मंझनपुर व करारी के विकास कार्य के लिए उपलब्ध धनराशि

25—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया मंझनपुर तथा करारी को कितनी कितनी धनराशि विकास के लिए इस समय उपलब्ध हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त टाउन एरिया की क्षति उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत फैली सड़कों एवं नालियों से धूमिल है ?

श्री रामाधार पान्डेय—

टाउन एरिया मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के पास विकास कार्य हेतु 80,000 रुपये तथा टाउन एरिया करारी, जिला इलाहाबाद के पास 21,500 रुपये विकास कार्य के लिए उपलब्ध हैं।

टाउन एरिया मंझनपुर में सार्वजनिक कार्य के निर्माण हेतु 1,27,000 रुपये का आंकलन तैयार कराया गया है जबकि इस टाउन एरिया के पास कुल 60,000 रुपये उपलब्ध थे। उक्त दोनों टाउन एरियाओं में धन की कमी तथा आय के स्रोत न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। सड़कों और नालियों की दशा सुधारने के लिए आय बढ़ाने तथा धन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। टाउन एरिया मंझनपुर में खड़न्जे लगवाने तथा नालियों आदि की सफाई का कार्य जारी है।

## स्वास्थ्य केन्द्र बैलगाठ, गोरखपुर के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

26—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 12 अप्रैल, 1979 की रात में स्वास्थ्य केन्द्र बैलगाठ (गोरखपुर के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक पत्रकार पर फायर करने की रिपोर्ट थाना बैलगाठ में दर्ज करायी गयी है ? क्या उससे एक दिन पूर्व एक पत्रकार को अपमानित एवं उसके कुछ सामान्य छिनने का भी मामला उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## श्री सूर्य प्रकाश रुहेला, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, रुड़की, सहारनपुर की भविष्य निधि

27—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में जबरन सेवा निवृत्त किये जाने वाले विद्युत वितरण खंड रुड़की जिला सहारनपुर के अवर अभि-

यन्ता श्री सूर्य प्रकाश रुहेला को उनका स० पी० पी० फन्ड का देयधन क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि उन्होंने अनेक बार राज्य विद्युत परिषद से लिखित प्रार्थना की है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

श्री सूर्य प्रकाश रुहेला अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, रुड़की जिला सहारनपुर को स्क्रीनिंग के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था उनके सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के भुगतान हेतु रुपये १६९८ १९ का प्राधिकार पत्र विद्युत परिषद मुख्यालय के पत्र दिनांक २७ अक्तूबर, १९७८ द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, रुड़की को भेज दिया गया था और इसकी सूचना श्री सूर्य प्रकाश रुहेला को भी दे दी गई थी। श्री सूर्य प्रकाश रुहेला द्वारा बाद में भेजे गये पत्रों के उत्तर में परिषद के पत्र दिनांक ९ फरवरी, १९७९ द्वारा उन्हें पुनः स्थिति स्पष्ट कर दी गई।

## गोरखपुर जिले के श्री कैलाश को लगा विद्युत शाक एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान

28--श्री श्रीनारायण--

क्या विद्युत मंत्री यह जानते हैं कि माह जुलाई, १९७७ में गोरखपुर जिले के अड्डा मोतीराम के फीडर के बिजली की लाइन से कैलाश पुत्र परीखन को शोक लगी थी और उसका हाथ अस्पताल में काट दिया गया और उसके सहायतार्थ विद्युत परिषद से कुछ धनराशि भी स्वीकृत हुई ? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि कैलाश को अब तक किन कारणों से नहीं दी गई ? सहायता की धनराशि कितनी है और वह कैलाश को कब तक दे दी जायगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां। विद्युत परिषद ने इन्हें क्षतिपूर्ति के रुप में ३५०० (रुपया तीन हजार पांच सौ) की धनराशि स्वीकृत की है। जिसमें से रु० ५०० (पांच सौ) अन्तरिम सहायता के रुप में दी गई थी तथा शेष धनराशि रु० ३००० (तीन हजार) का भुगतान शीघ्र किये जाने के आदेश क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिये गए हैं।

## स्वास्थ्य निदेशालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण हेतु बनाया गया रोस्टर

29--श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय पर अनुसूचित जाति का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिनांक १५ मार्च, १९६५ से २६ फरवरी, १९७६ तक रोस्टर नहीं बनाया गया था ? यदि हां तो क्यों ? यदि दिनांक २६ फरवरी, १९७६ से रोस्टर बनाया गया है तो क्यः सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में दिनांक १५ मार्च १९६५ से रोस्टर बनाने सम्बन्धी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को समुचित ढंग से न समझ पाने और अपेक्षित ध्यान न दिये जा सकने के कारण पूर्ववर्ती अवधि में रोस्टर नहीं बन सका किन्तु दिनांक २६

फरवरी, १९७६ के शासनादेश संख्या १५/२८/७३ रा0 एको0 ११३ के अनुसार उक्त रोस्टर १९७६ से बनाया गया है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। ।

## बलिया जिले में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

30--श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया--

क्या विद्युत मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का जो लक्ष्य सरकार द्वारा वर्ष १९७७-७८, १९७८-७९ में निर्धारित किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां । यह सही है कि बलिया जनपद में वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ के लिए निर्धारित हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका । वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः ४५ व ५० के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि क्रमशः ३५ व २२ रही ।

आवश्यक स्टोर सामग्रियों जिसमें पोल व कन्डक्टर मुख्य हैं, की कमी के कारण लक्ष्य पूरा न किया जा सका ।

लक्ष्य की पूर्ति समस्त प्रदेश में ही स्टोर सामग्रियों के अभाव के कारण नहीं की जा सकी है । इसके लिए कोई अधिकारी स्वतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में दो सगे भाई डा0 एस0 के0 शर्मा एवं डा0 आर0 के0 शर्मा की नियुक्ति

31--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में डा0 एस0 के0 शर्मा एवं डा0 आर0 के0 शर्मा दो सगे भाइयों की एक स्थान पर नियुक्ति की गई है ? और क्या यह सत्य है कि द्वितीय चिकित्सा अधिकारी डा० आर० के० शर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहते थे ? परन्तु उनके भाई प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा० एस० के० शर्मा बराबर उनका वेतन निकाला करते थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## बाराबंकी जिले की ग्राम सभा सहरी के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

32--श्री मसदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहरी न्याय पंचायत मेलारायगंज ब्लाक दरियाबाद जिला बाराबंकी की जनता ने दिनांक २५ अप्रैल, १९७९ को विद्युत् मंत्री तथा दिनांक २१ अप्रल, १९७९ को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद बाराबंकी को ग्राम सहरी में

छापी नहीं गई ।

अब तक विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम में विद्युतीकरण कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ग्राम सहरी न्याय पंचायत मेला रायगंज, ब्लाक दरियाबाद, जिला बाराबंकी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में इस ग्राम की जनता का प्रार्थना-पत्र दिनांक २५-४-७९ प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक २१-४-१९७९ का प्रार्थनापत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, बाराबंकी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

ग्राम सहरी के विद्युतीकरण के लिए 'अर्नेस्ट मनी' रु० २५.०० जमा करने वाले १५ व्यक्तियों को दिनांक २३-७-१९७८ को ही 'नियम व शर्तें' देकर उनसे अनुबन्ध करने व बी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की औपचारिकतायें पूरी करने के लिए कह दिया गया था। अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा औपचारिकतायें पूरी नहीं की गई है। इन व्यक्तियों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूराकर दिये जाने पर ग्राम सहरी का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा तथा सभी व्यक्तियों को कनेक्शन भी दे दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत कनेक्शन के इच्छुक १५ व्यक्तियों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दिये जाने पर ही ग्राम सहरी का विद्युतीकरण सम्भव होगा।

## बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दिये जाने की मांग

33--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बेरोजगारों को जब तक कहीं रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक बेकारी का भत्ता देने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री क्रान्ति कुमार--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

34--श्री राम नारायन वर्मा--

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित]

## चीनी मिलों द्वारा बोनस का वितरण

35--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल के त्रिदलीय सम्मेलन नैनीताल (२०, २१, अक्तूबर, १९७८ को आयोजित) के निर्णयानुसार किन-किन चीनी मिलों में १५ जनवरी, १९७९ तक बोनस वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं वितरित किया गया उसका कारण क्या है तथा कब तक वितरित कर दिया जायगा ?

श्री क्रान्ति कुमार--

यह सम्मेलन २० तथा २१ सितम्बर, १९७८ को आयोजित किया गया था। उसके निर्णयानुसार संलग्न सूची में अंकित १६ मिलों ने १५ जनवरी, १९७९ तक न्यूनतम बोनस वितरित कर दिया था। शेष ५७ मिलों में से ४९ मिलों ने १५ जनवरी, १९७९ के बाद वितरित कर दिया है। अन्य ८ मिलों में से ५ मिलों ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण न्यूनतम बोनस अभी तक वितरित नहीं किया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि वे ऐसा कब तक कर सकेंगे। शेष तीन मिलों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

## मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों द्वारा आत्महत्या

36--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शासन को जानकारी है कि विगत तीन वर्षों से लखनऊ मेडिकल कालेज (किंग जार्ज अस्पताल तथा क्वीन मेरी अस्पताल) में कई आत्महत्याएं हुई हैं ? यदि हां, तो इन आत्महत्याओं के रोक-थाम के सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस मनोवैज्ञानिक उपाय खोज रही ह ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जो हां, विगत तीन वर्षों में क्वीन मेरी अस्पताल में एक तथा के० जी० मेडिकल कालेज में चार आत्महत्यायें हुई हैं।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में वर्ष १९७६ में एक छात्र द्वारा आत्म-हत्या की पृष्ठ भूमि में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, निदेशक तथा अन्य सभी मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों को, छात्रावासों के वार्डन/सहायक वार्डन को प्रतिदिन रात्रि में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने के लिए लिखा गया था तथा छात्रों में निराशा की भावना न आये इस हेतु अध्यापकों/वार्डन से छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण में सहायता देने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं। आत्महत्याओं की रोकथाम के लिये कोई ठोस उपाय खोजना कठिन है क्योंकि आत्महत्यायें विभिन्न कारणों से होती है और प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति भिन्न-भिन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक इलाज प्राप्त करना चाहता है तो वह मेडिकल कालेज के मनोवैज्ञानिकों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का सवाल उठाने की अनुमति दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन के समक्ष घोषणा की थी कि लखनऊ के व्यापारियों ने हड़ताल वापस लेने का निणंय कर लिया है। लेकिन व्यापारियों की ओर से सूचना दी गयी है कि हड़ताल वापस नहीं की गई। इसके लिये मान्यवर इजाजत दें कि ....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से नहीं। आपने लिखित सूचना नहीं दी, इसलिये मैं इजाजत नहीं देता।

( देखिय नत्थी 'ख' आगे पष्ठ 142 पर )

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

माान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के बारे में यदि सूचना देना चाहते हैं तो या तो हमारे कक्ष में आ जांय या लिखकर भेज दें तो मैं नियम समिति को निर्दिष्ट कर दूं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

माान्यवर, आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में ही जानना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता को दो सवाल करने की अनुमति दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका कोई निश्चित नियम नहीं हैं । लेकिन अधिकतर यही रहा है कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हैं, इसमें प्रश्नकर्त्ता को २, और अन्य सदस्यों को ३ अनुपूरक और तारांकित प्रश्न में २ अनुपूरक प्रश्न प्रश्नकर्त्ता को और एक अनुपूरक अन्य सदस्यों को ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माान्यवर, नियम ३०१ की सूचना के बारे में औचित्य का प्रश्न है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । अब आगे नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

[ ** ** ** ]

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं ।

## हरदोई जिले की सण्डीला तहसील के सरेहरी माइनर मील नं० 10 के पास से निकलने वाले बरसाती नाले के बन्द होने से फसल की क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

माान्यवर, हरदोई जिले में तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम कन्जीखेड़ा, गौरी, छतेंखेड़ा व टिबिया खेड़ा मजरे जात भटौसी के तालाब से बरसाती नाला निकाला गया है जिसका पानी सई नदी में गिरता है । यह नाला सरेहरी माइनर मील 10 के करीब माइनर से निकलता है ।

खारजा तालाब से निकाला था यह खारजा बन्द हो गया है । जिससे पानी नदी में न जाकर आस-पास के गांव में भर जाता है । सरेहरी माइनर का पानी ड्रेन (खारजा) में छोड़ जाता है। वह पानी खारजा बन्द होने से तालाब भर कर

---

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आसपास के गांवों की कृषि योग्य भूमि लगभग 2000 एकड़ को डुबोकर पूरी फसल नष्ट कर देता है जिससे वहां के किसानों में तबाही का आलम छाया हुआ है। किसान इससे बेचैन हैं।

अतः उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर खारजा-खुदाई की मांग करती हूं।

कृषि निदेशालय प्रांगण में कर्मचारियों के अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, गत 29 मई, 1979 से कृषि निदेशालय प्रांगण में प्रदेश के 11,000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने कतिपय मांगों को लेकर चलाए जाने वाले क्रमिक अनशन से उत्पन्न परिस्थिति के कारण जहां कर्मचारियों में असंतोष व तनाव व्याप्त है वहीं प्रदेश के किसानों के समक्ष एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि क्रमिक अनशन जन संघर्ष में बदलने वाला है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपसे आग्रह है कि उनको जो चौदह मांगें हैं उनमें एक मूलभूत मांग है यूनियन को मान्यता देने की जिसको सरकार स्वीकार कर ले जिससे यह आन्दोलन समाप्त हो जाय।

बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील को कतिपय ड्रेनों का निर्माण एवं खुदाई का कार्य ठप हो जाने के विषय को नियम 301 के मन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ ड्रेन, बहुता ड्रेन, चिलूला ड्रेन का निर्माण एवं खुदाई कार्य न होने के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। सिंचाई विभाग शारदा सहायक परियोजना खंड 28 हैदरगढ़ के अधिकारियों की लापरवाही एवं लाल फीताशाही के कारण सारे निर्माण कार्य ठप्प हो जाने से जनजीवन में घोर असंतोष व्याप्त है। इसी प्रकार हैदरगढ़ ब्रान्च में पुलों का निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। निर्माण के लिए आई हुई सीमेन्ट की हजारों बोरियां तथा लोहा ब्लैक कर लिया गया है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार एवं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल निर्माण कार्य पूरा करवाने की तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

लखनऊ जिले में अग्नि काण्ड की घटनाओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, दिनांक 30 मई को लखनऊ नगर एवं जिले में कई अग्निकांड हुए जिसमें अनुमानतः 3 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई और 4 निरीह व्यक्तियों की जानें गईं। पहिला अग्नि कांड शहर के थाना हजरतगंज के अन्तर्गत न्यू बोरी रोड पर हुआ जिसमें एक गरीब रिक्शा चालक की तीन वर्षीया पुत्री और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5 वर्षीय पुत्र भस्म हो गए। दूसरा अग्निकांड माला थाना अन्तर्गत ग्राम अटारी में हुआ जिसमें दो व्यक्तियों को अग्नि समाधियां मिलीं। इसी प्रकार हजरतगंज स्थित डाक महाध्यक्ष के कार्यालय में जनरल मैनेजर टेलीफोन सेक्शन में बिजली के कारण आग लगी और विधान भवन पुस्तकालय के ट्रान्सफारमर के अचानक जल जाने से पुस्तकालय में आग की लपटें उठीं और यह पुस्तकालय एक बार फिर से विनाश के कगार पर पहुंच गया। राजधानी और प्रदेश के अन्दर अग्निकांड की घटनाएं बढ़ती जा रही है। लाखों की सम्पत्ति और नागरिकों की जानें जा रही ह। क्षतिग्रस्त होने वालों और मरने वालों के परिवारों को सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं दी जाती है। प्रदेश की जनता में चिन्ता और निराशा व्याप्त है। अधिकांश जिलों में अग्निशमन मशीनें भी नहीं हैं। अत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं आपसे आग्रह है कि इस अहम मसले पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें

## देवरिया जनपद के ग्राम बहोरवां में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

माध्यवर, आपकी अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही होगी। देवरिया जनपद के ग्राम बहोरवां विकास क्षेत्र भटनी में 24-5-79 को दिन में आग लग गई। पछुआ हवा की तेजी के कारण देखते-देखते करीब 40 घर जलकर भस्म हो गये, घरों में रखे सारे सामान, गल्ला, कपड़ा, जेवर, रुपया तथा पुस्तकें एवं चारपाई-बिस्तर एवं चारा सब स्वाह हो गए। यही नहीं पास में बांस की कोठी, पेड़, खलिहान का अनाज व भूसा सब जल गए। ग्रामवासियों के सामने भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है। खाने के अन्न तथा पहनने के लिए कपड़े नहीं ह। इस तड़पती धूप में पेड़ों के नीचे लोग गुजर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब तक नहीं के बराबर सहायता दी। वह भी उन्हीं को दिया गया है जो बहुत ही गरीब हैं। उक्त ग्राम में इस अग्निकांड से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामवासियों को गन्ने की कीमत भी नहीं मिल रही है। सरकारी तथा गैर सरकारी वसूली भी तेजी से चल रही है। जो कटे पर नमक छिड़कने का काम रही है। जिला प्रशासन की अवहेलना पूर्ण नीति से ग्राम जनता में रोष व्याप्त है। सरकारी सहायता प्रयाप्त नहीं मिलने से भूखमरी की आशंका पैदा हो गई है।

अतः आशा करता हूं कि आप सरकार से शीघ्रतशीघ्र अग्निपीड़ितों की हानि को ध्यान में रखते हुए अधिकतम अनुदान की घोषणा करायेंगे। साथ ही सरकार सभी प्रकार की वसूली रोक कर तथा गन्ने की पर्चियों का मूल्य दिलवा कर जनता को राहत देगी।

## आगरा विद्युत् गृह के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता तथा लाखों रुपये के घोटाले की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, आपके माध्यम से आगरा विद्युत् गृह के अधीणण अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं एवं लाखों रुपये के घोटाले की ओर आपका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में बिना परिषद् के पूर्व अनुमति प्राप्त किए आगरा फोर्ट पावर स्टेशन की मरम्मत कराने में लगभग 45,00,000 लाख रुपए का व्यय किया। इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने के बावजूद भी विद्युत् उत्पादन एवं कार्य क्षमता बढ़ने के स्थान पर घट गई। यहां यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि इस मरम्मत का कार्य प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा न करा कर छोटे-छोटे फर्मों द्वारा कराया गया। जिसके कारण मनमानी तरीके से राजकोष का घोटाला किया गया। इस कार्य के करने में अनुमानित मूल्य लगभग 25,00,000 रुपया दिखाया गया। यह कार्य विभिन्न तारीखों में कराया गया। सत्यता इस बात से जाहिर होती है कि पुरानी ट्यूबें निकली उनका किसी भी स्थान पर कोई लेखा-जोखा नहीं किया गया है तथा नये ट्यूबों को बेचने का भी प्रयास किया गया जिसमें सभी साक्ष्य समाप्त हो जाय।

जनपद आगरा में दो विद्युत्गृह हैं जो जमुना बैंक व आगरा फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। रेलवे स्टेशन से कोयला जमुना बैंक पावर हाउस तक ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है और वहां से आगरा फोर्ट पावर हाउस स्टेशन पर भेजा जाता है। किन्तु यहां यह विचारणीय है कि अधिकांश कोयला मार्ग में ही चोर बाजारी में भट्टों को दे दिया जाता है। इस कार्य के करने में अधीक्षण अभियन्ता के निकटतम सम्बन्धी तथा रिश्तेदार सम्मिलित हैं। जिससे लाखों रुपये के प्रतिमाह में घोटाले की योजना बना ली जाती है। उल्लेखनीय है कि यह सब घोटाला करने के लिए ही अधीक्षण अभियन्ता ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को पार करके अपने कनिष्ठ अधिकारी अधिशासी अभियन्ता का (उत्पादन) वित्तीय अधिकार दे दिए जो केवल परिषद् ही प्रदत्त कर सकती है। यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि लाखों रुपए का कार्य वहां के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ही कराया गया जब कि बिलों का भुगतान अपने निकटतम ठेकेदारों के नाम से करा दिए गए।

स्मरण रहे कि हाइडिल विभाग के उप पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त तथ्यों की जानकारी की और वास्तविकता को सही पाया किन्तु अधीक्षण अभियन्ता ने उनसे भी सांठ गांठ करके शासन तक सही रिपोर्ट नहीं आने दी। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता को अविलम्ब निलम्बित किया जाय और किसी उच्चाधिकारी से जांच कराए जाने के आदेश भी प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि शासन को हो रहे लाखों रुपये की क्षति से मुक्ति मिल सके और निष्पक्ष जांच हो पाना संभव हो सके।

इस सम्बन्ध में विवरण † इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

## खीरी जिले की गोला गोकरननाथ नगरपालिका की दुर्दशा तथा व्याप्त जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघव राम मिश्रा (जिला खीरी)--

महोदय गोला गोकरननाथ जिला खीरी की नगरपालिका की दुर्दशा एवं लगभग डेढ़ वर्ष से व्याप्त गंभीर जल संकट की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट

†छापा नहीं गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हुए हमें यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार जहां ग्रामीण अंचलों तक में पीने के पानी की तत्परता से व्यवस्था कर रही है वहीं गोला जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के समस्त नागरिक एवं आने वाले तीर्थ यात्री एक-एक बूंद पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं। जल अभियन्ता से जब शिकायत की जाती है तो वह बिजली का लोड न मिल पाने का बहाना बना देता है। गोला नगर को पानी देने हेतु दो ट्यूब वेल हैं जो प्रायः खराब रहते हैं या बिजली का लोड न मिल पाने के कारण चलते नहीं अथवा अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको चलाने की व्यवस्था नहीं बनती।

पीने के पानी के संकट के अतिरिक्त सारा नगर सदैव अंधकार में डूबा रहता है। खम्भे हैं पर बल्ब नदारद। नगर की सफाई व्यवस्था पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं। सारी गलियां, नालियां, सड़कें गन्दगी, बदबू से भरी रहती हैं। उस बदबू में और अधिक सहयोग मिल जाता है गोला शुगर मिल के खुले रूप में बहने वाले गन्दे पानी से तथा खुले रूप में ही नगर के बीचोबीच मिल के क्वाटर्स की नालियों का गंदाजल बहते रहने से। इसके अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से मिला लाखों रुपयों का अनुदान बेकार पड़ा है या तो सड़कें बनी ही नहीं या एक दो बनकर अधूरी पड़ी हैं।

महोदय, नगर की दुर्दशा एवं बरबादी का सबसे बड़ा दोषी कोई व्यक्ति है तो वह वहां का एक्जिक्यूटिव आफिसर है। वह खले रूप में घूस मांगने एवं लेने में विख्यात है। अपने छोटे से छोटे काम के लिए नागरिकों को परेशान करना उसकी आम बात है और सबसे बड़ी उनकी विशेषतायें वर्ष में 9 महीने नगर से बाहर गायब रहना कभी छुट्टी लेकर, कभी बिना छुट्टी लिये, कभी सरकारी काम का बहाना बना कर। उनका टी० ए०, डी० ए० प्रतिमास का उनकी तनख्वाह का कई गुना होता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गोला नगर के एक्जिक्यूटिव आफिसर को तुरन्त वहां से हटाया जाय। पानी के ट्यूबवेलों को बिजली का सही लोड मिल सके उस हेतु ट्यूबवेल के निमित्त ही नया ट्रान्सफार्मर लगाया जाय। दो नये ट्यूबवेल तुरन्त और बनवाये जांय। सफाई प्रकाश व्यवस्था एवं सड़क निर्माण पर तुरन्त ध्यान दिया जाय। चीनी मिल का गन्दा पानी खुले रूप से बहने से रोका जाय।

## खीरी जिले में डीजल के कृत्रिम अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनपद खीरी में डीजल के कृत्रिम अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिलाधीश खीरी ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 150 लिटर ट्रैक्टर, 200 लिटर बस, 250 लिटर ट्रक के लिए एक माह का कोटा निर्धारित किया है जिससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है और ट्रैक्टर, ट्रक तथा बसों का चलना ठप्प हो गया है जब कि वस्तविकता यह है कि डीजल पम्पों पर डीजल इतना अधिक है कि उसे स्टाक करने की समस्या बन गई है। भारी वाहनों के मालिकान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। डीजल के लिए जो मासिक कार्ड बनाए जा रहे हैं उनमें काफी भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जिलाधीश द्वारा पारित आदेश जिससे कोटा निश्चित कर दिया गया है तत्काल निरस्त करा दें ताकि स्वछंद रूप से आवश्यकता भर डीजल मिल सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## हरदोई जिले के अतरौली थानान्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जनपद हरदोई जिले में थाना अतरौली के अन्तर्गत ग्राम जुगराजपुर में दिनांक 25-5-79 को भीषण अग्निकाण्ड के होने से लगभग 90 घरों का पूरा गांव जल-जल कर भस्म हो गया है और उनके सिर ढकने तक के लिए कोई जरिया नहीं है। लाखों रुपए की सम्पत्ति स्वाहा हो गई है किन्तु अधिकारियों की ओर से राहत दिए जाने सम्बन्धी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उनकी उदासीनता एवं शिथिलता से बेचैनी का वातावरण व्याप्त है। इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना को संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि अग्नि पीड़ितों को पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करें।

## देवरिया जिले के ग्राम बोधी छपरा के हरिजनों तथा गरीब लोगों को कुछ व्यक्तियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जिले की बड़ी गण्डक नदी की भीषण बाढ़ से विकास खंड खड्डा के गांव नदी के धारा म बहकर नेस्तनाबूद हो गए हैं। इन गांवों के लोगों की खेती-बारी तथा घर द्वार सब कुछ नदी में होम हो चका है।

बिकास खंड खड्डा का ग्राम बोधी छपरा एक नाचिरागी गांव था। ऊसर बंजर भूमि थी। परन्तु जब 70-71 में ग्राम जातार जंगल, गेठिहवा नरकेलिवा, विन्ध्याचलपुर, सालिकपुर आदि का नामोनिशान मिट गया, तो हजारों भूखे, नंगे लोगों को कड़ी गर्मी एवं भीषण वर्षा में खुले मदान में पानी में खड़े-खड़े रोते चिल्लाते रात-दिन संकट के दिन गुजर करते देख तत्कालीन जिलाधिकारी ने बोधी-छपरा की बंजर भूमि पर उन्हें बसने का आदेश दे दिया तभी से वे लोग बोधी-छारा में आबाद हैं। इन लोगों में जो शिक्षित तथा होशियार थे वे जहां आबाद हुये उस भूमि को अपने नाम से कागजात सरकारी में दर्ज करा लिये और गरीब हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोग बेफिक्र रहे। उसी दौरान कुछ होशियार व चालबाज अधिकारियों ने क्षेत्र के कुछ अराजक तत्वों की साजिश से अपने परिवार के लोगों का नाम अंकित करा दिया और उसी आधार पर अब मौके पर जाकर हरिजन तथा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का नाना प्रकार से शोषण तथा उत्पीड़न कर रहे हैं और उनको जान-माल की धमकी देकर उन्हें घर बार छोड़ भाग जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस प्रकार से फर्जी नाम धारी बेरहम और बेदर्द जोर जुर्म से लोगों में भय व आतंक छा गया है। अस्तु लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं। और मांग करता हूं कि तत्काल किसी सक्षम अधिकारी से मौका मुआयना कराकर उन सभी फर्जी नामधारी लोगों का नाम कागजात सरकारी खारिज करा दिया जाय और जो लोग वास्तव में उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं और उस पर आबाद हैं उनके नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा दिया जाय, ताकि न्याय हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## बार एसोशियेन, लखनऊ द्वारा मुख्य दण्डाधिकारी न्यायालय का बहिष्कार किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

यह कि लगभग पिछले ५ दिनों से बार एसोसियेशन लखनऊ ने मुख्य दन्डाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय का बहिष्कार किया है जिससे न्यायालय का कार्य ठप हो गया है और हजारों की संख्या में मुकदमे करने वालों को प्रतिदिन परेशानी होती है । बकील लोगों की मांग है कि मुख्य दन्डाधिकारी, लखनऊ का तुरन्त स्थानान्तरण किया जाए या दन्डाधिकारी की पावर वापस ली जाए । इस घटना से उत्पन्न स्थिति पर सरकार तुरन्त अपना वक्तव्य दे ताकि वादियों को मुकदमों के सम्बन्ध में कोई परेशानी न हो ।

## बहराइच में नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा खुली लूट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान नहर विभाग के अधिकारियों के द्वारा खुली लूट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, दिनांक 25-4-79 की रात में नहर विभाग के स्टोर मिट्टी पुरवा, बहराइच पर नहर विभाग के ठेकेदार बहराइच शहर के सोने चांदी के व्यापारी श्री सिद्धू सेठ के ईंट के भट्टे की ट्रकों, जिनका नम्बर यू० पी० वाई० 1130, यू० टी० ई० 6556, यू० एस० एन० 26,14, स्टोर से कोयला चोरी करते हुए पकड़ी गई । स्टोर चौकीदार श्री कप्तान सिंह ने अवैधानिक रूप से कोयला गेट के बाहर जाने से रोका और अधिकारियों को सूचित किया, परन्तु मिलीभगत के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

मान्यवर, इसी प्रकार श्री सिद्ध सेठ का भट्टा (ईंट) सिंचाई विभाग के सप्लाई के लिए लगाया गया है जिसमें सरकार की तरफ से कोयले की व्यवस्था है । ईंट कोयले से न पकाकर लकड़ी से पकाई जा रही है और कोयला अधिकारियों की मिली भगत से चोर बाजारी में बेचा जा रहा है जिससे लाखों लाख रुपये की चोरी एक-एक दिन में हो रही है ।

श्री कप्तान सिंह की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौन धारण कर लिया । दूसरे दिन जब मुझे इसकी सूचना मिली, तो मैंने तथा मेरे कार्यकर्त्ताओं ने घेरेबन्दी की । गेट रजिस्टर पर ट्रकें बाहर जाने का आदेश सहायक अभियन्ता ने दिया था जिसे मैंने अपने कब्जे में लेकर 1-5-79 को पुलिस के हवाले कर दिया और चौकीदार द्वारा लिखाई रिपोर्ट धारा 379, 411 पर कार्यवाही करने के लिए कहा । तमाम कोशिशों के बाद ट्रकें थाने तक ले जाने में सफलता मिल सकी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फजलुरहमान अन्सारी---]

तमाम मल्जिमान मौके पर हो थे, लेकिन पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं किया। बल्कि उल्टे कर्मचारियों को फंसाने के लिए 26-4-79 को सहायक अभियन्ता की तरफ से एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज की गई। इन तमाम घटनाओं के बाद भी अधिशासी अभियन्ता ने इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की बल्कि उल्टे कर्मचारियों को फंसाने के लिए अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 18 हजार रुपये की एक रात में कोयले की चोरी जो प्रकाश में आयी है उसमें व्यापक छानबीन की आवश्यकता है जिसे तुरन्त कराने का कष्ट करेंगे और सार्वजनिक सम्पत्ति को लुटेरों के हाथ से बचायेंगे और इस काण्ड से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे।

## व्यापारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी हड़ताल न समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से एक वक्तव्य आया और सदन को बड़ी खुशी हुई कि एक हड़ताल जो थी वह समाप्त हो गई। हम लोग आशा करते थे कि अब दुकानें खुलेंगी। तो कल ही मालूम हुआ कि वह सही नहीं निकला और आज अखबार में मालूम हो रहा है और देखा भी जा रहा है कि तमाम दुकानें खुली नहीं हैं। जो खुली भी हैं उनको बन्द कराने वाले लोग बन्द कराने की चेष्टा कर रहे हैं। व्यापार संघ के जो अध्यक्ष ह उनका वक्तव्य आया है श्री विश्वम्भर दयाल अग्रवाल जी का कि हमसे कोई समझौता नहीं हुआ तो यह परस्पर विरोधी दो तरह की बातें हो रही हैं। यह प्रदेश विवाद भरा है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी एक और जिले से आ रहे हैं उसका असर वहां भी होगा। तो यह स्पष्ट बतायें कि इस सदन में दो प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं। एक वक्तव्य इधर से आया जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को हम सच मानते हैं। लेकिन कैसे मानें जब हम देखते हैं कि दुकानें बन्द हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि बात सच क्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना उनसे पूरी बात किए, बिना उन लोगों से दस्तखत लिए ही इस तरह का वक्तव्य दे दिया। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह चीज मैंने शून्य प्रहर के पहले भी उठाई थी। कल मुख्य मंत्री जी ने सदन को सूचित किया था कि हड़ताल वापस हो गई है तो यह खुशी की बात थी। लेकिन उसके फौरन बाद यह खबर भी आ गई कि हड़ताल वापस नहीं हुई। आज जगह-जगह दुकानें बन्द कराने का सिलसिला कल परसों की तरह शुरूआत हो गया है। वस्तु स्थिति क्या है? माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं वह सदन को अवगत करा दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यापारियों की बैठक बुलाई थी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें । आपने उनको मुख्य मंत्री नहीं बनाया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्तार अनीस साहब आप क्या जवाब दे रहे हैं ? माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे । आप बैठिये । (श्री देव कुमार के खड़े होने पर) देव कुमार जी यह बात मिश्र जी कह चुके हैं आपको दोहराने की जरूरत नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय मिश्रा जी को मेरी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी । मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि मुझे रोक दिया । मैं जानता हूं कल मुख्य मंत्री जी ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई उसमें वह शामिल हुए फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आया उसके खिलाफ प्रतिनिधि मंडल जो आया था उसके अध्यक्ष श्री विश्वम्भर दयाल का बयान आया है । मैं मान्यवर, जगह-जगह घूमा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं वह स्पष्टीकरण देंगे । आप बैठें ।

श्री मुख्तार अनीस--

जबरदस्ती दुकानें बन्द करा रहे हैं । आज वृहस्पतिवार है दुकानें बन्द रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बता देंगे । श्री देव कुमार जी आप दोहरायें नहीं । आपका प्रश्न इसी में आ गया है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

एक मिनट में कह दूं मैंने लिखित दिया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं । कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट आया तो प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिली । लेकिन 7.20 बजे के प्रादेशिक समाचार प्रसारित हुए तो उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल वापस हो गई है और उसी समाचार में यह कहा गया कि हड़ताल वापस नहीं हुई है सारे प्रदेश में हड़ताल है और इस प्रदेश के अन्दर कुछ लोग चीन और बंगलादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, तो इस गम्भीर विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्री...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए, इसमें बहस किस बात की हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

बख्शी जी ऐसे तत्वों के साथ मिल गयी हैं, जो खुद हड़ताल करवाते घूम रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

श्यामधर जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया, उसका मुख्य मंत्री जी से जवाब ले लीजिए। उस औचित्य के प्रश्न पर दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है, आप लोग बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

यह मेरे क्षेत्र का मामला है, आप मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए ...।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्यामधर मिश्र जी ने जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, वह बात अपनी जगह सही है। मुझे अत्यन्त खेद है कि कुछ व्यापारी और उनके प्रतिनिधि झूठ, फरेब और शरारत से इस सूबे को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। सब पत्रकारों के सामने और इस माननीय सदन के कुछ सदस्यों--सर्वश्री श्यामसुन्दर गुप्त, राजेन्द्र कुमार गुप्त, मुरादाबाद के श्री रोहतगी और श्री लालजी टन्डन आदि लोगों के अनुरोध पर व्यापारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। व्यापारियों में विशम्भर दयाल अग्रवाल व तीरथराम अग्रवाल आदि लोग शामिल थे और सरकारी पक्ष से मैं, मेरे साथी वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव सब लोग शरीक थे। व्यापारियों ने इस बात को सर्वसम्मति से माना कि हड़ताल समाप्त की जाती है और मैंने यह माना कि समस्त काण्ड की जांच लखनऊ मण्डल के कमिश्नर करेंगे और एक सप्ताह के लिए सर्वेक्षण पार्टी का कार्य स्थगित रहेगा। व्यापारियों से सुझाव मांगा गया कि वह सर्वे पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं और उनके लिए किस तरह की आचार-संहिता चाहते हैं। उन्होंने सब चीज को सर्वसम्मति से माना और पत्रकारों के सामने सब व्यापारी लोग बैठे थे और उन्हीं के सामने यह घोषणा की। बनारस में कल व्यापारी मण्डल ने, आज सब पत्रों में मैंने देखा, हड़ताल खोलने का निश्चय किया है। मैंने भी आज देखा है। उसके बाद भी विशम्भर दयाल का इस तरह का बयान आए, तो उसके चलते कोई वार्ता नहीं चल सकती है। मैंने कल ही उनसे कहा था कि सरकार किसी धमकी, ब्लैकमेल, भय, हड़ताल की धमकी में आकर जनजीवन को त्रस्त नहीं करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देगी । साथ ही उनकी कुछ आपत्तियां थीं, जैसे गोलियां अधिक चली तो मैंने कहा डाकखाने फूंके गये हों, बैंकों पर हमला हुआ हो और बसों में आग लगाने का प्रयास किया गया हो, तो ? इस पर उनका कहना था कि यह अवांछनीय तत्वों का काम है । मैंने कहा कि अगर अवांछनीय तत्वों का काम होता तो व्यापारियों की दूकानें सबसे पहले लूटी जातीं और उन पर आग लगाते । इसलिए यह बात सत्य है कि व्यापारियों ने गुंडों को, इस तरह समाज विरोधी तत्वों को यहां पर किराये पर रखा है और उन्होंने निश्चय किया है । यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के पूंजीपति हैं, साजिश करते हैं, जिनका टर्न ओवर पांच लाख से अधिक है, उन्हीं लोगों का सर्वेक्षण हो रहा है, पांच लाख से नीचे जितने भी व्यापारी हैं, उनका सर्वेक्षण से ताल्लुक है नहीं । व्यापारियों ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में सर्वेक्षण की वजह से वहां पर हालांकि जो बिक्री कर की धनराशि है केवल 229 करोड़ है । लेकिन एक लाख से ज्यादा अपीलें होती हैं । यह निश्चय पहले संस्थागत वित्त मंत्री ने किया था कि यह सर्वेक्षण दल बने । कल उन्होंने इस बात को माना कि हमें यह भ्रम था और हम आपको सुझाव देंगे जिससे व्यापारियों को सर्वेक्षण दल से असुविधा न हो । मैं जानता हूं कि तीरथराम जी, अन्य लोग वहाँ पर थे, अधिकांश व्यापारी चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो । लेकिन कुछ लोगों का जिन्होंने भारी धनराशि चन्दे की प्राप्त की है उनको स्थापित स्वार्थ हो गया है वह केवल अपने स्वार्थ की वजह से भ्रम पैदा करना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस हड़ताल को नहीं चलने दिया जायगा। हमने आदेश दिया है कि आज जितनी राशन शाप्स नहीं खुलेंगी सब दुकानों का लाइसेन्स कैंसिल किया जायगा । इसेंशियल कामोडिटीज ऐक्ट में अगर कोई रेस्तरां, होटल, कोई दवाओं की दूकान बन्द रखेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी, जो लोग स्वयं दूकानें बन्द करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायगी । इस प्रकार से मैंने कल स्पष्ट घोषणा की है और चौधरी चरणसिंह उप प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि व्यापारी इसका कोई विकल्प बतलायें । सेल्स टैक्स को अबालिश नहीं किया जा सकता है । मैंने स्पष्ट कहा । उनका कहना था कि हम सेल्स टैक्स अबालिश करवाना चाहते हैं क्यों जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में कहा था कि सेल्स टैक्स मिटायेंगे । मैंने कहा यह राजनीतिक प्रश्न है । जब दो साल के बाद तीन साल के बाद चुनाव होगा, अपने आप तय हो जायगा । जिन लोगों से आशा करते हैं सेल्स टैक्स वह दूर करेंगे । आप अपना मत उनको दीजिएगा । लेकिन मुझे एक सुदूर भविष्य...

श्री दे. बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

आप जो वोट ले लिए हैं उसी आश्वासन पर, उसका जवाब क्या है ?

श्री बनारसी दास--

आपको फिर मौका मिलेगा । मैं जानता हूं, आपके साथ मेरी हमदर्दी है । आपके दल की स्थिति ऐसी हो गयी है जैसे नहर कानपुर में चलते-चलते विलीन हो गयी है । इसलिए मेरी हमदर्दी है । सेल्स टैक्स की वजह से आप उनके वकील बन जायं, तो आगे उनके वोट मिलने का मौका रहेगा । मैंने स्पष्ट घोषणा की है कि निकट भविष्य में, सुदूर भविष्य में सेल्स टैक्स को खतम करने की कोई योजना हमारे विचाराधीन नहीं है और सेल्स टैक्स पूर्ववत् जारी रहेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो अराजक तत्व हैं, खिलाफत मचाये हुए हैं उनसे निबटाने के लिए क्या तरीका है ? सख्ती से निबटें ।

श्री बनारसी दास--

मैं यह कहना चाहता हूं कि हड़ताल के खिलाफ आम जनता है । करीब-करीब आज भी लोगों ने 85-90 प्रतिशत दुकानें खुली हुई हैं । कुछ लोग हैं, उसके पीछे एक संगठित षड़यंत्र है, जो चाहते ह । हम जनजीवन पर विपरीत प्रभाव नहीं होने देंगे और जिन सदस्यों का नाम लिया, उन्होंन स्वयं उनसे कहा कि आपको हड़ताल समाप्त करना चाहिए । उनके समझाने बुझाने पर उनम थोड़ी बुद्धि आयी और उन्होंन एलान किया । इसलिए अब इस प्रकार व्यापारी जिनमें नैतिकता नहीं है जो इतनी जल्दी झूठ बोल सकते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की जायेगी ।

## छठीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद की मांग

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आपने मुझे फिर बुला लिया, उसके लिए धन्यवाद । आपको स्मरण होगा कि आपके ही कार्यकाल में जब आप अध्यक्ष थे, तो छठी योजना के सम्बन्ध में वचन दिया गया था कि उसकी कापी देंगे । मान्यवर, कापी वितरित कर दी गयी है । माननीय सदस्यों को मिल गयी है । उस समय बात यह हुई थी कि ज्यों ही यह कापी आ जायेगी और हम लोगों को इस साल का बजट मिल जायेगा जिसमें प्रथम वर्ष का प्रारूप होगा तो इन बातों पर चर्चा होगी । यह कापी हमारे हाथ में है । सभी के हाथ में है । अब आपको निर्णय करना है कि कब इस पर बहस ब्योरे से होगी ? कब सरकार इसके लिए तैयार है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मुझे आश्चर्य होता है, माननीय श्यामधर मिश्र के इस प्रकार के व्यवस्था के के प्रश्न पर । माननीय श्यामधर मिश्र जी को याद है कि आपके कक्ष में जब पिछली बार कार्य मंत्रणा समिति से चल रहे थे तो यह बात हुई थी कि जब हम रपट उनके हाथ में पहुंचा देंगे तो इस पर विचार-विमर्श करेंगे और कभी कोई समय निश्चित कर दिया जायेगा जब इस पर बात जावेगी । सचिव ने सुझाव दिया था ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं पिछली मीटिंग में था ही नहीं, तो मुझे ऐसा क्यों याद दिला रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

किसी दिन प्लान पर विचार-विमर्श कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगली जो बैठक होगी उसमें विचार कर लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, यह पत्र आपके सचिवालय का है। आपने लिखित सूचना भेजी है। नियम 301 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसी प्रकार का एक प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी उठाया था तो मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रकट किया था और कहा था कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री से सम्बन्धित एक 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी उनका कोई भी उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हर समय कोई न कोई नियम 301 के अन्तर्गत प्रश्न उठते रहते हैं। आधे घन्टे का समय बरबाद होता है। मान्यवर, आप इस पर समय सदन का बरबाद न करें। आप रोज निर्देश देते हैं और मंत्री वचन भी देते हैं लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता है।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसको समाप्त कर दें और इसको कूड़ेदान में फेंक दें क्योंकि यह लोक महत्व की सूचनाओं का मजाक है, हमारी भावनाओं का मजाक है कि आपके निर्देश के बावजूद भी उन पर ध्यान न दिया जाय। अतः आप या तो उन्हें पुनः निर्देश दें या इन्हें समाप्त ही कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि मैं देख लूंगा। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसको फिर से देख लें। यदि कोई माननीय सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लायेंगे तो उन पर विचार करना पड़ेगा।

*श्री बनारसीदास (मुख्य मंत्री)--

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं समय पर उनको सूचना न मिले तो आप को लिख कर दे दें कि उल्लंघन हुआ है। मैं तो यह भी कहता हूं कि नियंत्रित करने के लिए अगर समय पर सूचना नहीं आती है तो वे विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दें ताकि इस पर अमल हो सके। इसमें समय लेने से क्या फायदा? मैंने कई बार यह कहा है कि यह सचिवों की जिम्मेदारी है और उचित होगा कि ये उस विभाग के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दें ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आप को याद होगा जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह सदस्यों की गल्ती है। लेकिन मैंने मान्यवर, आपको 4 विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचनायें दीं, लिख कर दीं.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको लिख कर दें। जो सूचनायें देर में दी गई उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेद भी प्रकट किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र आपके द्वारा जाता है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कृपया सदस्य को भेजे गये पत्र की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजने की कृपा करें । तो इसके मायने ये हैं कि आपके सचिवालय को भी मालूम रहता है कि माननीय सदस्यों को सूचना मिली अथवा नहीं । जहां हम दोषी हैं, सरकार भी दोषी है वहां आप हमारे हितों के संरक्षक हैं, 'दोषी' शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप हमारी भावनाओं के रक्षक हैं । मैं पुनः आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप नियम 301 को निलम्बित कर दें जब तक आपके और सरकार के बीच में हमारे अधिकारों की पूरी-पूरी सुरक्षा न हो सके । कल तो उन्होंने खेद प्रकाश किया था, आज हमारी गल्ती बता रहे हैं और परसों आपकी गल्ती निकालेंगे । इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक हमारी भावनाओं की रक्षा नहीं हो पाती है तब तक आप नियम 301 को निलम्बित कर दें । नियम 301 की सूचनाओं के साथ जो आपका पत्र सरकार के पास जाता है अगर उसकी सूचना समय से नहीं आती है तो यह हमारा नहीं, आपका भी अवमान है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में, मैं पहले भी निर्देश दे चुका हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आप सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री रमाशंकर कौशिक (चिकित्सा मंत्री)--

इस सम्बन्ध में भी जब पहले जिक्र हुआ था तो जो वास्तविक कठिनाइयां आती हैं.... ।

एक सदस्य--

कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप मन्त्री जी को कहने तो दीजिए ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

चूंकि नियम 301 के अन्तर्गत ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि वांछित सूचना एकत्रित करने में कठिनाई होती है तो जब पिछली बार इसकी सदन में चर्चा हुयी थी तो यह बात रखी गयी थी कि शासन पक्ष के लोग और विरोध पक्ष के लोग आपके कक्ष में बैठ कर बात करें और उसका कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें शासन की भी वास्तविक कठिनाइयों को देखा जाये कि कब तक उत्तर आ सकता है ।

( व्यवधान )

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अंतरिम उत्तर तो आ सकता है ।

( व्यवधान )

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन का आदर करते हुये मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि सचिवों के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस माननीय सदस्य दे सकते हैं, इससे ऐसा लगता है कि उनका सचिवों के ऊपर कोई नियन्त्रण न रह गया हो । माननीय मुख्य मंत्री जैसे मजबूत आदमी के हाथों में इस प्रशासन की बागडोर है, मैं और समझता हूं कि वे अपने सचिवों पर नियन्त्रण करने में कामयाब भी होंगे । मेरा ऐसा विश्वास है, पर ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वतः अपने पर विश्वास नहीं है इसलिये उनको यह कहना पड़ा वरना वे स्वयं कार्यवाही करते, सदन के ऊपर न छोड़ते । मैं यह चाहता हूं कि वे स्वतः अपने सचिवों पर नियन्त्रण रखें, उनको नियन्त्रित करें, उनके पास तो असीमित अधिकार हैं । उन जैसे मजबूत आदमी के लिये भी अगर उनको नियंत्रित करना सम्भव न हो तो अच्छा यही होगा कि सदन के ऊपर छोड़ने के बजाये वे खुद हट जायें ।

( व्यवधान )

श्री बनारसी दास--

मैंने तो एक प्रक्रिया बतायी क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम हो सकता कि किसका उत्तर दिया गया और किसका नहीं । आदेश यह है कि अन्तरिम उत्तर एक सप्ताह में और पूर्ण उत्तर एक माह में माननीय सदस्य के पास चला जाना चाहिये । अगर इसका उल्लंघन होता है तो मैंने पहले तो यह कहा था कि वह मेरे संज्ञान में लायें । ताकि मैं जवाब तलब कर सकूं । मैंने तो यहां लोकतन्त्र प्रणाली बतायी कि ऐसा कर सकते हैं । जब आप विशेषाधिकार की सूचना देंगे तो वह मेरे संज्ञान में आयेगा और उन पर नियन्त्रण में रख सकूंगा । अगर आप वह नहीं देना चाहते हैं तो आप मेरे संज्ञान में लायें मैं देखूंगा । माननीय कौशिक जी ने जो बात कही वह यह है कि अगर किसी चीज का उत्तर पूर्ण रूप से एक माह में न आ सके, उसमें कुछ कठिनाई हो । यह पहले भी आपके कक्ष में बात आयी थी । जब माननीय नेताओं की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने इसको स्पष्ट कर दिया था । अगर एक माह में उत्तर देना सम्भव नहीं है तो माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहिये । माननीय राजमंगल पांडेय जी ने जो कहा ऐसा नहीं है । अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 301 की सारी सूचनायें मेरे पास आयें । वह तो एक लम्बा प्रोसीजर हो जायेगा । सुविधा की दृष्टि से मैंने अपना सुझाव दिया था ।

( व्यवधान )

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सहयोग देने के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपने कार्याधिक्य को देखते हुये इस काम को देखने के लिये किसी एक नये मंत्री की नियुक्ति कर दें जो इस 301 के कामों को देखा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सुझाव है आपका ।

*श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

मैं एक वैधानिक स्पष्टीकरण मान्यवर, आप से चाहता हूं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इससे पहले कहा कि यह जो सचिव होंगे विभाग के उनके विरुद्ध यदि माननीय सदस्यों को समय से उत्तर न मिले तो विशेषाधिकार भंग की सूचना ले आयें इस हाउस में, जहां तक मुझे स्मरण है कि एक बार यह व्यवस्था इसी सदन में हो चुकी है कि 301 के उत्तर सचिवों के हस्ताक्षर से माननीय सदस्यों को नहीं पहुंचेंगे बल्कि सम्बन्धित माननीय मंत्रियों के हस्ताक्षर से माननीय सदस्यों के पास पहुंचेगा, क्योंकि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आप सम्बन्धित माननीय मंत्री जी के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजते हैं, तो इस प्रकार से विशेषाधिकार सम्बन्धित मंत्री के खिलाफ होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका कहना सही है। माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर से आयेगा. सचिव तो जो कार्यवाही है, वह करेंगे। उत्तर जो है वह माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर से होगा और उस दिन यह तय हुआ था कि सम्बन्धित मंत्री सम्बन्धित सदस्य को अपने ही हस्ताक्षर से उत्तर देंगे। तो यह माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार आ सकता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, पहले वाली व्यवस्था सही है कि बाद वाली? हम लोगों को 301 का उत्तर न मिलने पर विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री जी के खिलाफ प्रस्तुत करेंगे कि सचिव के खिलाफ ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं, मंत्री के खिलाफ।

(श्री डी० पी० बोरा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

आपने मुझे मौका दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

वह जो शिया-सुन्नी के बारे में सूचना थी, 3-4 दिन हुए।

(व्यवधान)

मैंने उसको अस्वीकार किया, मैंने उसको लिया नहीं।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा--

लखनऊ दरगाह हजरत अब्बास के पास....(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन बीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने 4 मई, 1979 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार भंग तथा अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य सम्पत्ति विभाग को श्री राम नरेश यादव मंत्रिपरिषद् के सभी भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को वही सुविधायें प्रदान करने के आदेश दिये हैं, जो उन्हें राज्य मंत्रियों के रूप में प्राप्त थीं । श्री तोमर ने उक्त सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी थी, कदाचित उनका आशय नियम 63 से है जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान की सूचना देने का प्राविधान है । माननीय श्री तोमर का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 195 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ने अधिनियम बनाकर मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा सदस्यों की उपलब्धियों एवं सुविधा का निर्धारण कर दिया है । भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को किसी विशेष सुविधा का उपबन्ध नहीं किया गया है । अतः माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये उपर्युक्त आदेश से उक्त अधिनियम की अवहेलना होती है और सदस्यों में विभेद उत्पन्न किया गया है जिससे सदन की अवमानना होती है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने 21 मई, 1979 को इसी विषय को लेकर श्री प्रभुनाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा श्री हेम चन्द्र जैन, अधीक्षण अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था ।

मैंने उक्त दोनों सूचनाओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी । माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा है कि 28 फरवरी, 1979 को भूतपूर्व मंत्रिगण के त्याग-पत्र देने के समय 22 राज्य मंत्री थे, जिन्हें 15 दिन की अवधि में वैकल्पिक आवास दिये जाने थे । विधान मण्डल के सदस्यों की संख्या 535 है जिनमें विधायकों के लिए उपयुक्त कक्ष 490 हैं । लगभग 40 बंगले मंत्रिगण के उपयोग में आते हैं और इस प्रकार विभाग के पास जो स्थान उपलब्ध है वह माननीय शासन के सदस्यों तथा विधायकों की आवासीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भर ही है । अतः मंत्रिमण्डल में परिवर्तन के समय निर्धारित 15 दिनों की अवधि में वैकल्पिक आवास देने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । विशेष प्रयास करने पर भी 9 भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को वैकल्पिक आवास का प्रबन्ध नहीं हो सका । वे सभी राज्य मंत्री विधायकों की हैसियत से निःशुल्क कक्ष एवं अन्य सुविधाएं, विद्युत् तथा साज-सामग्री आदि के पात्र हैं । इनको वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण वर्तमान आवास तथा न्यूनतम सुविधाओं से भी उन्हें वंचित करने में कठिनाई थी । इन विशेष परिस्थितियों पर शासन द्वारा विधिवत् विचार किया जा रहा है और इन भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के विषय में न्यूनतम देय सुविधायें दी जायें और सुविधाओं के अतिरिक्त यदि वे कोई सुविधा लेते हैं तो नियमान्तर्गत उनसे वसूला की जाय अथवा नहीं, आदि विषयों पर शासन द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है । उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी निवास स्थान नियमावली, 1959 के नियम 8 से यह स्पष्ट है कि यदि भूतपूर्व मंत्री/राज्य मंत्रीगण द्वारा किन्हीं

[श्री उपाध्यक्ष—]

सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो उन पर सेवा शुल्क देय होता है । जिन मामलों में कुछ सुविधायें बनाये रखने के निर्देश अनुरक्षण खण्ड के अधिकारियों को दिये गये हैं उनका यह तात्पर्य नहीं है कि मंत्री/राज्य मंत्री की हैसियत से जो सुविधायें उन्हें प्राप्त थीं वे पूर्ववत् निःशुल्क रहेंगी । माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा 7 मई, 1979 को जारी किये गये आदेश की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्देश केवल उन्हीं भूतपूर्व राज्य मंत्रिगण के लिए प्रसारित किये गये थे, जिनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं हो सकी थी ।

मैं इस प्रश्न की ग्राह्यता पर अपना निर्णय देने के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों के विचार भी जानना चाहूंगा :—

(1) क्या सदस्यों की उपलब्धियों सम्बन्धी अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन कर किसी माननीय सदस्य को अधिक उपलब्धियां देना विशेषाधिकार की अवहेलना है ?

(2) क्या किसी माननीय सदस्य को यदि नियमानुसार आवास की व्यवस्था न की जा सके तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है ? यदि हां तो वैकल्पिक व्यवस्था किस स्तर तक की जा सकती है ?

(3) क्या भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को सामान्य सदस्यों की अपेक्षा यदि उच्च स्तर की वैकल्पिक आवास व्यवस्था की जाये और उस सम्बन्ध में की गयी सेवाओं का मूल्य उनसे लिया जाये तो भी क्या उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो सकता है ?

(4) क्या भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को आवास की वैकल्पिक व्यवस्था न कर पा सकने के उपलक्ष में उनको आवास सम्बन्धी सुविधाओं को जारी रखा जाना उन्हें उनके विधायक के रूप में कार्य दिये जाने में प्रभावित करना माना जा सकता है ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, यहां पर, विधायकों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में जो अधिनियम हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अपेक्षा करूंगा कि 2–3 मिनट से ज्यादा समय न लें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मान्यवर 2 तरह की उपलब्धियों के बारे में अधिनियम हैं । एक तो विधायकों की उपलब्धियों के बारे में "उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन का) अधिनियम, 1952" है और दूसरा मंत्रियों के सम्बन्ध में" यू० पी० मिनिस्टर्स ऐण्ड डिप्टी मिनिस्टर्स (सेलरीज एण्ड एलाउंसेज) ऐक्ट, 1952" है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं और "यू० पी० मिनिस्टर्स–डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटी एण्ड लेजिस्लेचर आफीसर्स रेजीडेंस रूल्स, 1974" द्वारा । मान्यवर, जो इस सदन के अधिकार हैं वह संविधान की धारा 195 में हैं । 195 में सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में अधिकार दिया गया है । प्रश्न केवल एक है, मेरा आरोप साफ है

कि सुविधायें मंत्रिगण को दी हैं अगर दी हैं तो विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है । मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि वो आदेश जिसका मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया है, दिये गये हैं जिससे मेरे तर्क को समर्थन मिलता है । पहला पत्र प्रभुनाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा श्री एच० सी० जैन, अधीक्षण अभियन्ता, पी० डब्लू० डी० को 24 अप्रैल को लिखा गया है । इसमें है "प्रिय श्री जैन, आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने मुख्य मंत्री जी के उन आदेशों से आपको अवगत कराया था जिनके द्वारा उन्होंने यह निर्देश दिये थे कि भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण के आवासों पर अभी सुविधायें समाप्त में की जायं और इस विषय में मंत्री जी अतिशीघ्र ही उचित आदेश पारित कर रहे हैं । कुछ माननीय राज्य मन्त्रीगण की ओर से यह बात कही गई है कि अपने आवासों से फर्नीचर माली आदि की सुविधायें वापस ले ली गई हैं तथा आवासों के किराये के बिल भी कुछ मामलों में भेजे जाने की बात कही गई है शासन द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि कुछ ही दिनों में निर्णय से आपको अवगत करा दिया जायेगा । तब तक आप यह सुनिश्चित कर लें कि आवश्यक सुख सुविधायें वापस न ली जायं और माननीय भूतपूर्व राज्य मन्त्रीगण को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।"

माननीय, जैन साहब ने जो अपने सबार्डिनेट अफसर को आदेश दिए हैं, वह यह हैं :—

"कृपया राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पत्र संख्या 4752/आर-79, दिनांक 24-4-79 का अवलोकन करें, भूतपूर्व राज्य मन्त्रीगण के आवासों से कोई भी सुविधायें समाप्त न की जायें आशा है कि इन महानुभावों के आवासों पर स्वीकृत लागत अर्थात् 20,000 रु० की सीमा के अन्दर ही दोनों खंडों की साज-सज्जा होगी ।" यह पत्र दिनांक 2-5-79 का है, जो यह आदेश दिए गए हैं । मैं यू० पी० मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री एण्ड लेजिस्लेचर आफीसर्स रेजीडेन्स के रूल 362 के सब रूल (1) की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें व्यवस्था है कि 15 दिन तक कोई स्टेट मिनिस्टर्स अपने निवास स्थान में रह सकता है और उसे वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो उसे मन्त्री के रूप में मिलती थीं । 15 दिन तक उनसे किसी तरह का टैक्स या किराया नहीं लिया जाएगा । उसमें व्यवस्था है कि 15 दिन के बाद यदि उसके नाम वह स्थान आवंटित कर दिया जाय तो जो प्रोविजन है, उसके अनुसार उसको मकान का किराया, फ्रिज और कूलर आदि का किराया देना पड़ेगा । मेरा कहना यह है कि सही रूप से एक तथ्य सामने आ गया कि 28 मार्च से 15 दिन बीत गए । 24 अप्रैल को राज्य सम्पत्ति अधिकारी का पत्र आता है कि कुछ मन्त्रियों की सुविधायें वापस होंगी । मेरी जानकारी है, उस पत्र में है कि मन्त्रियों को मुख्य मन्त्री का आदेश होने के बावजूद उनको सब सुविधायें प्राप्त होंगी, मुख्य मन्त्री ने उनको उत्तर दिया है । इसलिए मुख्य मन्त्री को सुविधायें रिस्टोर करने का अधिकार है तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह जाता । विधि में है कि मंत्रियों को सुविधायें समाप्त होने के बाद कोई सुविधा देने का अधिकार नहीं है । तब विशेषाधिकार का मेरा प्रश्न बन जाता है, जो मुख्य मन्त्री ने उसमें उत्तर दिया है ।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आप सुनिश्चित कर लें, मेरे पास पत्र है, उसको आप देख लें, जिसकी कापी आपको दी है कि यदि सुविधायें समाप्त होने

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर---]

के बाद यदि मन्त्रियों को सुविधायें कन्टीन्यू करना था तो यह पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी । खत लिखने का मतलब सुविधाओं को रोक दिया गया था, इसलिए उनको रिस्टोर करना था । यदि रिस्टोर किया तो आफेन्स के तीन प्रश्न उठते हैं एक तो मुख्य मन्त्री ने आफिस आफ प्राफिट क्रियेट किया, क्योंकि जनतन्त्र में हम बिना सदन की आज्ञा के एक सुई तक भी किसी को नहीं दे सकते हैं । इसके अलावा संविधान की धारा 195 के अनुसार मुख्य मन्त्री अध्यादेश द्वारा सदस्य का वेतन और उपलब्धियां भी नहीं तय कर सकते हैं । यदि यह किया तो मुख्य मन्त्री ने आफिस आफ प्राफिट किया, लेकिन वह भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता है । इसमें हम गवर्नर के पास सदस्यों को डिस्क्वालीफिकेशन के लिए जा सकते है और विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है । लेकिन यह दूसरे सदस्यों और मंत्रियों के बीच में भेद हुआ । जैसे यदि किसी कैबिनेट मन्त्री को निकाला गया तो 12 दिनों में मन्त्री की सारी सुविधायें वापस ली गयी हैं, जिसका उदाहरण ट्रान्सपोर्ट मन्त्री जी जो बैठे हैं, वह है, उनसे वह सुविधायें वापस ली गयीं थीं । लेकिन वहां 24 दिनों तक मुख्य मन्त्री ने सुविधायें दिया है और रिस्टोरेशन के लिए लिखा गया है । यह संविधान के अनुसार भेद हुआ ।

मान्यवर, तीसरी बात यह घूस हुई है । मान्यवर, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस (अठ्ठारवां संस्करण) किताब आपके पास होगी, उसका आप अवलोकन करें । इसके पेज 145 पर लिखा है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं :--

On 2 May 1695 the common resolution that the offer of money or other advantage to any member of Parliament for Promoting of any matter what so ever is treated beanch of Privillage.

इसका हिन्दी अनुवाद यह है--हाऊस आफ कामन्स के निर्णय के अनुसार किसी सदस्य को किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए दिया गया धन या सुविधा देना विशेषाधिकार की अवहेलना है । मुझे साबित करना है कि यदि यह सुविधायें रिस्टोर की गयी हैं तो यह सीधी घूस है और विशेषाधिकार की अवहेलना है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी के तर्क और मेरे तर्क पर विचार करें । यदि मुख्य मन्त्री से सहमत हैं तो इतिहास में यह पहली घटना है, जिसका सौभाग्य मुख्य मन्त्री को प्राप्त होगा, जिन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज इस प्रकार क्रिएट किया है । इसका उदाहरण दुनिया की किसी एसेम्बली में नहीं मिलेगा और यहां तक कि अमेरिका में यह नहीं हुआ है । केवल इस प्रदेश में हुआ है, जहां कुछ मन्त्रियों को सुविधायें रिस्टोर करके दी गई हैं । इसको आप विशेषाधिकार समिति को दे सकते हैं अन्यथा महाअधिवक्ता को बुलाकर उसकी राय जान लें । अगर मान्यवर, समझते हैं कि इसमें कुछ लीगल कम्पलीकेशन्स हैं तो ...

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं माननीय सोहन बीर सिंह तोमर से जानना चाहता हूं कि राज्य मन्त्रियों को कौन-कौन सी सुविधाय मिली हुई हैं ? जरा पढ़कर बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

खूब सुविधायें हैं । यह सवाल नहीं । सवाल सिर्फ सिद्धान्त का है । यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और संदेह है तो विशेषाधिकार समिति को भेज दें और अगर कुछ लीगल कम्पलीकेशन के मामले है तो ...

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, पौन घंटे तोमर जी को बोलने का मौका दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, केवल 10 मिनट ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

महाधिवक्ता को बुलाकर सुन लें ।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

मान्यवर, प्रथम तो इस बात का अत्यन्त खेद है कि नियमावली के विरुद्ध किसी न किसी रूप में सदन में चरित्रबध की दृष्टि से या बदनाम करने की दृष्टि से यह बहस चल रही है । श्रीमन्, आपके द्वारा नियमों का संरक्षण चहते हैं । मुझे अत्यन्त खेद है कि नियमानुसार किसी विषय में पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है नियम 301 में लिखा है कि जो प्रश्न एक बार उपस्थित किया हुआ हो, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है । अब यह प्रश्न 301 में आया। फिर विशेषाधिकार में आया कभी 56 में आया । तो इस प्रकार मैं समझता हूं प्रत्यक्षरूप से नियमों का उल्लंघन है और यह कहना चाहता हूं माननीय राज्य मन्त्रियों, उप मन्त्रियों की उपलब्धि का अधिनियम है कि उनको 1,500 रु० वेतन मिलता है, कार मिलती है, एच० ओ० आर० की सुविधा मिलती है, उनके पास स्टाफ रहता है । तो किसी मन्त्री के पास एच० ओ० आर० है ? किसी को वेतन अधिक मिलता है ? या किसी सदस्य के पास स्टाफ है ? किसी के पास समय से अधिक रहा है और एक चीज अभी बतलायी गयी ऐसे मन्त्री जो राम नरेश जी की सरकार में थे । मुझे प्रत्यक्ष कहने में कोई संकोच नहीं है । जो तोमर जी केस मेकअप करना चाहते थे कि कुछ को विशेष प्रकार वंचित किया गया और कुछ को नहीं । तो इस तरह के मन्त्री जिनको वह समझते हैं, वह उनके समर्थक नहीं है, उनकी संख्या भी तो 16/17 है । जिसमें आपको बताया गया है कि केवल 9 ऐसे लोग हैं । जिनके आवास की अन्यत्र व्यवस्था नहीं की जा सकी है फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नियम 63/64 जों ग्राह्यता की शर्तों के बारे में, उनको देख लें । नियम 65 में लिखा हुआ है कि (क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो । (ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्रादर्शन से विदित हो । तो कौन सा ऐसा विषय है ? जिससे किसी का अपमान हो गया ? (ग) ऐसे मामले में सदस्यों का हस्तक्षेप आवश्यक हो । मान्यवर, अगर कोई सदस्यों की उपलब्धियां हैं, नियमानुसार नहीं हैं, तो उसके लिए दन्ड विधान है, उसके खिलाफ वसूलय बी की कार्यवाही की जा सकती है और यदि किसी को सुविधाओं के देने में नियमो का उल्लंघन किया गया है, तो उसमें नियमानुसार कार्य किया जा सकता है और 195 में तो नियम बन चुके हैं उपलब्धियों के बारे में । उपलब्धिओं के नियमों के अनुसार ही सबको जो उपलब्धियां हैं, वह प्राप्त होती ह और कहीं पर एलीगेशन है तो वह आता है आफिस आफ प्राफिट में । आफिस आफ प्राफिट की कमेटी बनी हुई है । अगर यह पाया जाय कि यह आफिस आफ प्राफिट में है तो खंड 191 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि उसको जहां पर अनर्हता पैदा होती हो राज्यपाल के पास लाया जाय । राज्यपाल इलेक्शन कमीशन की सहायता से इस बात का निर्णय करेंगे कि अनर्हता हुई या नहीं । मैं देखता हूं कि कई ऐसे सदस्य भूतपूर्व मन्त्री थे, जिन पर दो साल, तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसी दास—]

साल, 4 साल तक बराबर मकान रहा, किराया नहीं दिया। उन पर वसूली करते रहे। यहां पर सदस्य बैठे हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे थे। मैं पूछता हूं, यहां पर फेमिली क्वार्टर्स हैं। कुछ सदस्यों के पास एक कमरे का क्वार्टर है कुछ को पार्क रोड पर मकान दिया गया है। माननीय सोहन वीर सिंह तोमर कहेंगे जो पार्क रोड पर मकान दिए हैं, उनका मूल्यांकन 1 लाख, डेढ़ लाख से अधिक है उनका स्टैंडर्ड रेट पांच सौ, छः सौ रुपये से अधिक है। बहुत से सदस्यों को वे मकान दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो फेमिली क्वार्टर्स में रहते हैं, रायल होटल में रहते हैं दोनों की सुविधाओं में अन्तर है। जो लोग पुराने रायल होटल में रहते हैं और नए मकानों में रहते हैं' उनमें पक्षपात किया गया है। इस प्रकार कहने के लिए तो कुछ न कुछ निकल ही आयेगा। जहां तक सदस्यों का सवाल है, उनकी उपलब्धियों को एक कमेटी हुआ करती है। इसमें श्री सोहन वीर सिंह तोमर को गंध आ गई रिश्वत देने की। श्री तोमर ने, मुझ आश्चर्य है कि मुझ पर अभी तक एक आरोप नहीं लगाया। जब मैं अध्यक्ष था श्री सोहन वीर सिंह तोमर को पचास-साठ हजार रुपये से अधिक व्यय करके मैंने लंदन भेजा था। यह मुझ पर आरोप नहीं लगाया कि मैंने श्री सोहन वीर सिंह तोमर को रिश्वत दी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

आजकल नहीं दे रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

मैं नहीं मानता। मुझे अधिकृत किया समिति ने कि मैं किसी भी व्यक्ति को सेमीनार में भेज सकता हूं। बीसियों सदस्य चाहते थे। जैसे स्पीकर की नजर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बैठना ही मुश्किल हो जायगा कि दस सदस्य खड़े हुए, आपकी दृष्टि एक पर क्यों गई। आपने तो प्रागवर्शन में सदस्यों का अपमान कर दिया, आपने रिश्वत दी लोगों को बोलने की। यह आक्षेप आप पर आ सकता है। श्रीमन्, यह जिस प्रकार की शैली है, इसका अन्त कहां होगा? श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी इसके विशेषज्ञ हो गए हैं। अन्य सदस्य विशेषज्ञ हो गए हैं। यह समझकर कि जो 8/9 सदस्य हैं, जो भूतपूर्व मन्त्री रहे, उन्हें तो मैंने रिश्वत दी। रिश्वत का मतलब यह होता है जब उनसे कोई कार्य लिया जाय। इलेक्शन पेटीशन में करन्ट प्रैक्टिस है इंड्यूसमेन्ट देना वोट के लिए, इंटीमेटेट करना या उनमें धार्मिक भेद पैदा करना। तो तोमर जी ने यह नहीं कहा कि रिश्वत किस मकसद के लिए दी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

साथ रहने के लिए।

श्री बनारसी दास—

22 तारीख को मतदान हुआ। श्री श्यामधर मिश्र विपक्ष में बैठे थे (व्यवधान) तो उन पर यह आरोप आ सकता है कि इन्होंने वोट दिया। यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस (आर) में रहकर भी सरकारी पक्ष में वोट दिया। अवश्य कोई रिश्वत दी गई, इंड्यूसमेन्ट दिया गया। साथ ही साथ इस दल के श्री तोमर ने उधर वोट दिया और नारायण दत्त तिवारी जी ने उधर वोट दिया। ऐसा लगता है कि श्री तोमर को नारायण दत्त जी ने खरीद लिया। नारायण दत्त जी ने कोई इंड्यूसमेन्ट दे कर के राज मंगल पाण्डे जी और उनके साथियों को अपनी

तरफ ले लिया । तो श्रीमन् यह तो कहा नहीं जा सकता कि राज मंगल पाण्डे जी ने या सोहन वीर सिंह तोमर जी ने नारायण दत्त जी को खरीद लिया । विरोधी पक्ष का काम विरोध करने का है । कहीं प्रागदर्शन में यह भी कहा जा सकता है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने विरोधी पक्ष के नेता और श्री ऊदल, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने हमारे ही दल के कुछ सदस्यों को वोट देने के लिए कोई प्रलोभन दिया अन्यथा अपने दल के खिलाफ कैसे वोट दे सकते थे ।

तो श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि नियम 65 के अनुसार यह प्रश्न प्रागदर्शन में आपके समक्ष है । दूसरी बात यह है कि प्रश्न वह हो, जिस में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

इस मामले में श्रीमन् अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि उन सदस्यों के लिए नियमों में 15 दिन का समय है । उसके बाद दो महीने तक इसे रिलेक्स कर सकते हैं । कैबिनेट को पूर्णतया अधिकार इस बात का है कि यदि दो महीने में हम कोई व्यवस्था न करें तो दो महीने के बाद की भी अवधि कर सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अन्य बिल्डिंगें बना रहे हैं और यह सदस्यों को मांग रही है । हम पुराने विधायक निवास और अन्य जगह सदस्यों के लिए ऐसे आवास तैयार करा रहे हैं, जिनमें दो बेड रूम, एक लिविंग रूम और दो बाथ रूम हों । ऐसे आवासों की संख्या करीब ढाई सौ होगी । लेकिन फिर भी कुछ कमी रहेगी ।

इसलिये इन परिस्थितियों में यह नहीं है कि कोई विशेष रियायत की गई । उनके पास कोई स्टाफ नहीं है । कार नहीं है । श्रीमन्, तो यह केवल आवासीय सुविधा है । हम इसके विकल्प के लिए प्रयास कर रहे हैं । इसलिए यह कोई प्रश्न बनता नहीं है ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को पुकारे जाने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री तोमर जी के बाद आपको बोलना था । इस बीच मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गये और उन्होंने भी कुछ बात कहीं । इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ज्यादा समय न लगायें, जो प्रश्न में बातें हो चुकी हैं, उनको आप न दोहरायें और कोई प्वाइन्ट छूट गया हो तो तोमर जी से वह हमको बतायें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मैं कोशिश करूंगा कि कोई बात अपनी तरफ से रिपीट न हो । माननीय मुख्य मन्त्री जो मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में बहुत बड़े हैं और मैं उनका एहतराम करता हूं । जिस तरह से नियमावली के नियम 65 का उद्धरण देकर के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रयास किया, यह सब करने का कि प्रागदर्शन में केस नहीं बनता है मुझे बड़ी निराशा हुई है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस तरह के डिवेट की उम्मीद नहीं करता था ....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले ही कहा कि नेता सदन को बाद में मुझे बुलाना चाहिए था, लेकिन वह खड़े हो गये तो उन्होंने अपनी बात कह दी । आपको पहले सुन लेना चाहिए था । आप इनकी बातों को काट न करें बल्कि कोई नए प्वाइन्ट रह गए हों तो कहें ....

श्री मधुकर दिघे—

यह तो अपनी जानकारी के लिए आप लोगों के विचार सुनते हैं । माननीय तिवारी जी ने सब बातों को स्पष्ट कर दिया माननीय नेता सदन ने जिस प्रश्नों पर विचार किया जा रहा था कह दिया फिर कोई जरूरी नहीं है, उनको बुलाकर सुनने का ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी का नोटिस है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं क्या कहने जा रहा हूं, वह जरा बतला दें तो मैं बैठ जाऊं । मुझे अपनी बात कहने का तो अख्तियार है ही ।

श्री मधुकर दिघे—

आप पहले बोल चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले नहीं बोले हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नियम 301 के बारे में कहा जिसे मैं ले चुका हूं । यह प्रिविलेज पर अलग बात है ।

श्री मधुकर दिघे—

नियम 301 और 56 का मुख्य मुन्त्री जी ने जिक्र किया, वह इस बात से संदर्भित था जिस प्रकार के प्रश्न तोमर साहब यहां उठाते रहते हैं ।

श्री बनारसी दास—

सबसे पहले तिवारी जी ने प्रश्न रखा था और कहा कि ये लोग डिसक्वा-लिफाइड हो गए हैं । इस पर आपने 1 घंटे का समय दिया । नियमावली के नियम 7 के अनुसार आप सक्षम हैं, उन सदस्यों को दन्डित करने के लिए, मेरा वही तर्क था और वही विषय था । इसका कहीं अन्त नहीं होगा । 56 आ गया, 301 आ गया । नियमावली में लिखा हुआ है कि जो विषय सदन में पहले आ चुका हो उसे नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उसका कहीं अन्त नहीं होगा । यह कहां लिखा है कि आप सबकी सुनेंगे । नियम 66 में लिखा है "किन्तु अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकें ।" तो सुनने की कोई सीमा है ? मैं आपसे कहता हूं कि पहले दिन डिस्क्वालिफिकेशन के प्रश्न को लेकर बात हुई । आपको प्राग दर्शन में श्री तिवारी जी के इस प्रश्न को रिजेक्ट करना चाहिए था । इसी प्रश्न को दूसरे नियम के अन्तर्गत वह ला रहे हैं । कार्यवाही निकलवा कर आप देख लें । इस प्रकार जो परम्परा डाली जा रही है वह गलत प्रेसीडेन्ट है और इस तरह किसी विवाद का कोई अन्त ही नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं कार्यवाही को निकलवा कर देख लूंगा और अब जो आपने कहा है उस पर भी विचार करूंगा । तिवारी जी अब संक्षेप में कहेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा नोटिस बाबरी तथा इंडयूसमेन्ट पर मुनहस्सिर है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप कह चुके हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं । मैं हाउस आफ कामन्स के दो डिसीजन्स का हवाला दे रहा हूं । मेज की पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के 9वें एडीशन में पृष्ठ 149 पर जिसमें साफ दिया हुआ है--

"The offering to a member ef either House of a bribe to influence him in his conduct as a Member, of any fee or reward in connection with promotion, or opposition to any bill, resolution matter or thing submitted or intended to be submitted to the House or any committee thereof, has been treated as a breach of privilege."

इसका हिन्दी अनुवाद यह है "किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को उसके सदस्य के रूप में किए जाने वाले कार्य को प्रभावित करने के लिए घूस देने या सदन अथवा उसकी किसी समिति में प्रस्तुत किए गए या किए जाने वाले किसी विधेयक, संकल्प या विषय के समर्थन या विरोध के लिए दी गई फीस या पुरस्कार को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना गया है" । इतना ही नहीं, इसी किताब के पृष्ठ 151 पर दिया है--

The conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties but having a tendency toimpair his indepenence in the future performance of his duty, will all so he treated as a bresch of privilege."

श्री उपाध्यक्ष--

आप हिन्दी में बता दें । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

किसी आचरण को जिसमें सदस्य के कर्त्तव्य का प्रत्यक्ष प्रयास न हो अपितु उसके भावी कर्त्तव्य निर्वहन की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति निहित हो,.... व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इन दो मसलों के अतिरिक्त कोई दूसरा मसला है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

दि यू० पी० मिनिस्टर्स एण्ड डिप्टी मिनिस्टर्स सेलरीज एन्ड एलाउन्ससेज ऐक्ट के सेक्शन 3 में दिया है कि मिनिस्टर्स को वेल फर्निस्ड रेजीडेन्स मिलना चाहिए इसमें आगे यह दिया है कि जैसे ही मंत्री रहना सीज कर जायेंगे वैसे ही वह एलाटमेन्ट खतम हो जायेगा । सेक्शन 3 में जो शब्द 'शेल' है वह मेन्डेटरी है । लेकिन इसी ऐक्ट के तहत बने यू० पी० मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज, एन्ड लेजिसलेचर आफिसर्स रेजीडेन्स रूल्स के रूल 3 के सब रूल 2 में स्पष्ट दिया है कि रेफरीजरेटर्स, एयर कूलर्स...(व्यवधान) लेकिन मेरी सूचना के संलग्नक (2) में 20 हजार तक की साज सज्जा का आदेश है जो मिनिस्टर्स की सेलरीज और एलाउन्सेज के तहत ही सम्भव है ।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

मान्यवर, सदस्यों के साथ-साथ आपकी और अध्यक्ष की तनख्वाह भी एक ही लिस्ट के अन्तर्गत बनती है जिस पर इस सदन में डिबेट तक नहीं होती है और कन्सोलिडेटेड फंड से यह रुपया निकलता है । संविधान के अनुच्छेद 195 के तहत यह तय करना इस सदन का विशेषाधिकार है ।

मान्यवर, अवमान के सम्बन्ध में 22 जून, 1858 को हाउस आफ कामन्स का एक फैसला है जिसमें यह सिद्धान्त निरूपित किया गया है :--

"Any act which is contrary to the usage and derogatory to the dognity of this house is contempt. '

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है कि ऐसा कोई भी कार्य या आचरण जो सदन की परम्परा के विपरीत तथा सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो वह सदन की अवमानना है । यह मेज के 19वें संस्करण के पृष्ठ 143 पर है । इसी सिद्धान्त के तहत 24 सितम्बर, 1951 को हमारी लोक सभा ने मुदगल का निष्कासन किया, 15 नवम्बर, 1976 को राज्य सभा ने श्री सुब्रमणयम स्वामी का निष्कासन किया और मौजूदा लोक सभा ने श्रीमती इंदिरा गांधी का निष्कासन किया । यह विवादास्पद दोनों आदेश, आर्टिकिल 195, 204 (3), 246 (3), 266(3) का वायोलेशन है तथा संविधान की सप्तम अनुसूची की लिस्ट 2 के सीरियल 38/39 का वायोलेशन है क्योंकि इसमें कानून बनाने का अधिकार इस सदन को है ।

मान्यवर, अन्त में यह कहना चाहता हूं कि वाइब या इंडयूसमेन्ट का इवीडेन्स हमेशा सरकमस्टैंशियल होता है और आपको इस मामले में एक्सट्रा जुडिशियल नोटिस लेनी पड़ेगी । मुख्य मंत्री केवल 35 वोट से जीते हैं । ये जो 9 व्यक्ति हैं, जिनको विशेष सुविधाएं दी गई, ये राज्य मंत्री हैं, प्रभावशाली हैं उनमें हरएक के दो चार समर्थक एवं प्रभाववाले सदस्य हैं और ये अपने समर्थकों के साथ सदन में मुख्य मंत्री का समर्थन करते रहें । इसीलिए उन्हें यह विशेष सुविधा, कानून और संविधान का उल्लंघन करके घूस के रूप में की गई हों ।

(श्री सोहन वीर सिंह तोमर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने, तोमर जी, आपको काफी समय दिया.... ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में मुझ पर आक्षेप लगाया हैं इसलिए मैं एक मिनट लूंगा कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा ।

श्री मधुकर दिघे--

उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो उन्होंने कहा वह एक हंसी की बात कही । इंगलैंड जाने की सुविधा दी यह कोई आक्षेप नहीं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्तगत रेफरेन्स दिया है, मैं कोई आक्षेप नहीं करूंगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आदर करता हूं और जिम्मेदारी

के साथ कहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी व्यक्तिगत बात के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस सदन में सदस्य रहने के नाते कोई बात हो तो मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करूंगा (व्यवधान) मिश्रा जी सुन ल। 60 हजार की सुविधा देकर उन्होंने यह आफिस आफ प्राफिट न क्रियेट किया होता तो मैं इसमें नहीं जाता। मैं चाहूंगा व्यक्तिगत सम्बंधों की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी न किया करें। वह बहुत बड़े नेता हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको व्यक्तिगत रूप से मेरी जरूरत हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं..

श्री बनारसी दास--

माननीय तोमर पर मैंने कोई आक्षेप नहीं किया। मैंने सिर्फ यह कहा जिसको आपने इंडयूसमेन्ट की संज्ञा दी है ..

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

आपने बहुत बड़ी ज्यादती की माननीय तिवारी जी के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा जलसा करा दिया....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

[ × × × × × ]
(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री बनारसी दास--

मैंने तो यह कहा था कि करीब-करीब एक दर्जन सदस्य बाहर जाना चाहते थे। समिति ने मुझको अधिकृत किया था कि मैं किसी व्यक्ति को चुनूं। तो मैंने तो यह कहा था कि मैंने श्री तोमर को चुना तो क्या मैंने इसमें कोई इंडयूसमेन्ट दिया या कोई सदस्य मुझ पर इसमें विशेषाधिकार उल्लंघन करने की बातें कहे तो कहां तक उचित होगा। मैंने उनकी नियत पर शक नहीं किया। मुझे अधिकार था और मैंने उनको उचित समझा कि वह सेमीनार में जाकर न्याय करेंगे तो मैंने उनको भेजा। मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी थी जिसे वह इंडयूसमेन्ट कहते हैं। मकान में भेद है, ए० और बी० ब्लाक में भेद है। इसलिए इसमें भी भेद है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं नियम 56 लेता हूं ..

श्री देव बहादुर सिंह--

इसमें निर्णय क्या हुआ मान्यवर ?

---

नोट--( × × × × ) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

निर्णय यह है कि इस पर मैंने निर्णय सुरक्षित रखा है। मैं माननीय सदस्यों को सुन चुका हूं, माननीय नेता सदन को भी सुन लिया है। मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है और फिर बाद में दूंगा।

श्री राज मंगल पान्डेय (जिला देवरिया)--

मेरा एक औचित्य के प्रश्न पर निवेदन है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा.....।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, इस पर मेरी आपत्ति है आपने कह दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कोई सीनियर सदस्य खड़ा होकर कहे कि औचित्य का सवाल है तो मुझे समय देना पड़ता है।

श्री मधुकर दिघे--

फिर यह आप पर आरोप लगा रहे हैं आपने निर्णय दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे तो मैं मना कर दूंगा।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं, तो कृपया न कहें।

श्री राजमंगल पांडेय--

जब सदन में कोई चर्चा हो तो वह उसे व्यक्तिगत न मानें। दूसरी चीज यह है कि उनके जैसे आदमी को, जो बहुत बड़ा पार्लियामेन्टेरियन रह चुका हो, गुस्से में आकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए। यह मेरे दो निवेदन हैं। इस प्रकार की हल्की बात कहना उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने 60 हजार रुपया कोई अपने पास से तो दिया नहीं है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिए, मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

[ × × × ] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब जो सदस्य इस तरह से बोल रहे हैं, उनका भाषण लिखा नहीं जायेगा। कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

---

*(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

## कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत श्री रामआसरे वर्मा की एक सूचना प्राप्त हुई है, जो दिनांक 20 मई, 1979 को जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम अतरौली में हरिजन उत्पीड़न की घटित घटना के सम्बन्ध में है। यह घटना पुरानी है, अविलम्बनीयता का इसमें अभाव है और आज हरिजन एवम् समाज कल्याण विभाग का अनुदान भी है, जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं। इसलिए इसको मैंने अस्वीकृत किया है।

## 1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग तथा अनुदान संख्या 101--खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय खाद्य मंत्री जी। यह आपका अनुदान साढ़े तीन बजे तक ही चलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो नीतियों के प्रश्न हों, वे आप 10--15 मिनट में कहकर दूसरों को मौका दें। इसमें आप अधिक समय न लें।

खाद्य मंत्री (श्री मलखान सिंह)--

इस समय मैं पेश कर दूंगा, सदस्यगण जब बोल लेंगे, तो बाद में मैं उसका जवाब दे दूंगा।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,01,83,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101--खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,86,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, जैसा अभी आपने निर्देश दिया समय का अभाव है माननीय सदस्य सुझाव देना चाहेंगे और कटौती का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, तो इस सबका मैं बाद में जवाब दे दूंगा। यह बहुत बड़ा और आवश्यक बजट है कहीं पर आपूर्ति के लिए, कहीं पर इकट्ठा करने के लिए और कहीं सामान भेजने के लिए यह है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण बजट को आप जल्द पास करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री अजीत सिंह सेठी । वैसे तो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य 25 मिनट बोलते हैं, लेकिन आज समयाभाव के कारण आप 10 मिनट में समाप्त करेंगे ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

इतने महत्व के बजट के लिए यह समय तो बहुत कम है । फिर भी आप इतना क्या यदि कपड़े उतारने भर का भी हमें समय नहीं देंगे तो भी हम समाप्त कर देंगे । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 101—खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, यह विभाग आदरणीय श्री मलखान सिंह जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ इसको हेड करने का, और उनकी क्षमता के प्रति श्रद्धा रखता हूं क्योंकि उनके साथ पी० ए० सी० कमेटी में मैंने काम किया है । लेकिन वास्तविकता यह है कि वह ऐसे स्थान पर फंसे हैं कि जिस विभाग के वह मंत्री हैं वह विभाग केन्द्र के आदेशों के अधीन चलता है । केन्द्र की पालिसीज जो हैं उनके अधीन उनको चलना है । इस वक्त जो सबसे जबरदस्त आलोचना है वह यह है कि महंगाई कहां से कहां तक चली गयी । अप्रैल, 1977 से तब तक सभी आवश्यक वस्तुओं के भाव 30 से 40 प्रतिशत बढ़ चुके हैं । कुछ चीजें ऐसी ह जिनके भाव 100 प्रतिशत बढ़ गए हैं । मैं पेश कर रहा हूं कुछ चार्जें लोहे का भाव 1350 रु० टन से बढ़कर 3600 रु० टन हो गया । तेल सरसों का भाव साढ़े 6 रुपए से बढ़कर साढ़े बारह रुपए हो गया । लकड़ी जलाने वाली का भाव 12 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गया । लकड़ी का कोयला 60 पैसे किलो से 1 रु० 40 पैसे हो गया । दूध का भाव 2 रु० 25 पैसे के बढ़कर 3 रु० 50 पैसे लीटर हो गया । घी का दाम 9 रुपए किलो से बढ़कर साढ़े 11 रु० हो गया । मिट्टी का तेल 38 पसे लीटर बढ़ गया । बासमती चावल 3·80 से 5·75 रु०, मांस 10 रु० से 14 रु०, दूध का पावडर 9·50 रु० से 14 रु०, दियासलाई पांच पैसे से 10 पैसे, स्याही की बोतल 4·50 रु० से 7 रुपए, लोबिया 3·50 रु० किलो से साढ़े 6 रु० किलो, चप्पल 12 रु० से 25 रु०, जूता 30 रु० से 50 रुपए, कपड़ा धोने का साबुन 3·50 से 5·50 रु० किलो, सीमेन्ट 20 रु० की बोरी से 24 75 रु० बोरी, अल्युमिनियम 16 रु० से 22 रुपए किलो, सैंड ट्रक 60 रु० से 135 रु० रोड़ी 150 रु० से 250 रु०, सौ वाट का बल्ब 2·90 रु० से 4·20 रु०, 25 वाट का बल्ब, 2·25 रु० से 3·30 रु० हो गया । इसके ऊपर अगर मैं समय ले लूंगा तो सारा समय इसमें निकल जायगा । मैंने यह भाव रख दिए । इसकी रूपरेखा मैं साफ-सुथरे शब्दों में कह सकता हूं कि यह विभाग केन्द्रीय सरकार के नीचे, उसके आदेशों और नीतियों के आधार पर चलन वाला विभाग है । उनको

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नीतियां कुछ होती नहीं। विभिन्न घटकों के लोग मंत्रिमंडल में हैं। उसमें ऐसे लोग हैं जो पूंजीपतियों का साथ देने वाले ह। कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो अपनी जबान से समाजवाद का शब्द उच्चारण करते हैं लेकिन उसकी नीतियां लागू नहीं करते। नियोजित अर्थ व्यवस्था सबसे अच्छा तरीका इस देश के लिए है। यह सही चीज है। इसको इन्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीटयूट जो एक इंडीपेन्डेन्ट नान प्राफिट बाडी है वाशिंगटन में उसने कहा है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था के मुल्कों को खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार बनाने चाहिए तथा उनके अन्दर फारेन एक्सचेंज का सुदृढ़ता हो। यह होना चाहिए। तब नियोचित पालिसी से सही नतीजे निकल सकते ह। इधर कुछ नियोजन किया जाता है, योजना बनायी जाती ह, उधर कीमतें आसमान को छूना शुरू कर देती हैं। फिर यूनियन अपनी आवाज बुलन्द करती हैं। इस प्रदेश का और इस देश का क्या होगा जब शासन ने और प्रशासन ने उसकी व्यवस्था बिगाड़ दी है। हम अन्धकार में हैं और कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। वैसे तो मैं बहुत आशावादी हूं। दो साल से इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है। ये हमें कहां पर ले जायेंगे। सेन्ट्रल कैबिनट ने कीमतों को रोकने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं किया है। इस काम में वह फल हो गयी है। आप फाइनेन्शियल एक्सप्रेस 23 मई को पढ़े तो उसमे लिखा है---

Cabinet failed to work out formula regarding arresting the prices.

सवाल तो एक यह है कि खाद्य और रसद विभाग का वार्षिक कार्य विवरण 1978-79 प्रस्तुत किया गया है। यह छोटी पुस्तिका है। इसमें कुछ चीजों का विवरण दिया गया ह। इस पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर प्रस्तावना में लिखा है कि उत्पादकों के हित को सर्वापरि रखते हुए, मार्केटिंग वर्ष 1977-79 में गेहूं की खरीदारी मूल्य समर्थन योजना के अधीन की गयी। मूल्य समर्थन योजना का लाभ केवल उत्पादकों को मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिचौलियों पर कड़ी निगाह रक्खी गयी।

श्रीमन्, उत्पादकों की दशा जो है वह इस समय बहुत खराब है। किसान को गेहूं का मूल्य बहुत कम मिलता है। आप गेहूं खुले बाजार में खरीदें। आप उनको इजाजत दे दें कि वह मारकेट में जायें। जो मूल्य निर्धारित किया गया है उस पर सरकार उसकी खरीद करती। किसानों का शोषण हो रहा है। कम मूल्य पर किसानों का गेहूं बिक रहा है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि बनिया जो कांटा से तोलता है वह कम तोलता है। इससे किसान को लूट होती है। कांटों की चेकिंग की जरुरत है। आपके यहां बोरियां निर्धारित हैं। कहते है कि माल न भेजे, जल्दी न करें, आपके पास बोरे नहीं होते हैं और किसान तो माल लाता है तो वह तथा उसके जानवर धूप में परेशान है दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि भोजन के साथ ही साथ कपड़े की जरुरत किसान को है। प्रशासन को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये था परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक कहावत है---

पेट न पड़यां रोटियां।
सबै बाते खोटियां॥

मान्यवर, रोटी देने वाले विभाग का कैसे संचालन हो रहा है उसके बारे में 5-7 मिनट में कैसे चर्चा हो सकती है।

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

जहां तक कपड़े का ताल्लुक है यह तन ढकने की प्रथम चीज है । 30 मई के "फाइनैन्शियल एक्सप्रेस" में जार्ज फर्नेन्डिस ने कहा है कि कपड़े की बहुत शार्टेज है । इसमे लिखा है कि :

"The shortage of cloth is getting aggravated in the country as production has failed to keep pace with the rise in demand. The situation might be aggravated in the coming months creating more difficulties both for a domestic consumer and exporter.

जिसका तात्पर्य यह है कि कपड़े की कमी मुल्क में दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है क्योंकि मांग की प्रगति के साथ साथ मिलें कपड़ा तैयार नहीं कर सकी और आगे आने वाले कुछ महीनों में हालत और गम्भीर हो सकती है । इस्तेमाल करने वालों के लिए और निर्यात करने वालों के सामने और दिक्कत खड़ी हो सकती है ।

आगे इसमें कहा है कि :

"The Union Industry Minister, Mr. George Fernandes to day said-cloth would not be available at cheaper prices unless the entire distribution was taken over as vested interests dominated in the organised Mill system.

यूनियन मिनिस्टर, श्री जार्ज फर्नेन्डिस ने 30 मई के अखबार में फिर कहा है कि सस्ती कीमत पर कपड़ा नहीं मिल सकता है जब तक कि कपड़े की डिस्ट्रिब्यूशन का काम न लिया जाय क्योंकि और्गनाइज्ड मिल सिस्टम्स में वैस्टेड इन्टेरेस्टस का अधिपत्य है । इस मासले में भी कैबिनेट बिल्कुल फेल हो गयी है । मैं पूछना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया के अनुयायी भी इस पर क्या सोंच रहे हैं ।

अब मैं वनस्पति के बारे में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं । मार्च के प्रथम पक्ष तक वनस्पति उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो रहा था किन्तु उसके बाद आयातित सोयाबीन तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वनस्पति फैक्ट्रियों ने अचानक 16·5 के० जी० टिन का मूल्य बढ़ा दिया है इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नये मूल्य निर्धारण की प्रतीक्षा है । भारत सरकार का इस पर कोई भी नियन्त्रण नहीं है । इसकी कीमत अब 180 रुपये प्रति टिन तक चली गयी है । जो घी, जो खाने की वस्तु है उस तक की यह हालत है ।

इस वर्ष देश और प्रदेश में सरसों की कमी है । पहले इसका दाम 250 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन अब यह 350 रुपये क्विन्टल तक हो गया है । अगर सरसों के बीज की कमी है तो हमारी सरकार न जाने क्या सोच-विचार कर रही है । पता नहीं तेल का क्या होगा ? इस सम्बन्ध में मैं एक राय पेश करना चाहता हूं । हमारे देश में एक सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी है वह केन्द्र में कार्य करती है मेरी गुजारिश है कि वह हमारे प्रदेश में भी काम करें ताकि जरूरत की चीजें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके ।

अब मैं सीमेन्ट पर आता हूं । मैं हैरान हूं कि इस विषय पर क्या कहूं । आज जो भी आपकी योजनायें हैं सीमेन्ट की कमी की वजह से वह पूरा नहीं हो पा रही हैं । निजी मकान नहीं बन पा रहा है । जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सेठी जी, आप तो लम्बे निकल गये ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

हां । अब मैं परफार्मेन्स पर कुछ कह कर खतम करूंगा । एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि मंडियों में 10-10 रजिस्टर रखने पड़ते हैं । उसमें बहुत सी ऐसी एन्ट्रीज करनी पड़ती है जिनकी कोई जरूरत है ही नहीं । अगर कोई एन्ट्री किसी ने रजिस्टर में नहीं की तो आपके अधिकारी उनको बहुत परेशान करते हैं । इसलिये जो एन्ट्रीज जरूरी न हो उन्हें आप खत्म करा दें, इससे उनको बड़ी सहूलियत हो जायेगी ।

दूसरे आपने जो व्यापारियों को एक हजार या दो हजार क्वींटल तक रखने की इजाजत दी है, यह बहुत कम हैं । आप 4 हजार क्वीन्टल तक इसे कर दें ।

मंडियों में टैक्स आपने कर रखा है जिसके कारण यहां की चीज महंगी पड़ती है । दिल्ली में कोई टैक्सेशन नहीं है । इस लिए चोर दरवाजे से माल दिल्ली से यहां आता है । इसे भी कम कीजिए ।

जो खाने की चीज पैकटों में मिलती है उसकी शुद्धता आदि की कोई गारेन्टी नहीं होती । उसके लिए आपने कोई नियम आदि नहीं बनाये हैं । इस ओर भी आप ध्यान दीजिये । हर पैकेट पर क्वालिटी अंकित होना चाहिए ।

आज छः दिन से व्यापारियों ने अपनी दूकानें बन्द कर रखी हैं सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा परेशान करने के कारण । आपने कहा था कि इसे खत्म करेंगे । न करें, लेकिन जिस तरीके से आज ईमानदार व्यापारियों को तंग किया जाता है उसे रोकिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । इस पर आपने बहुत कम समय बोलने का दिया ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री जी ने जो बजट अनुदानें पेश की हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समय का ख्याल रखें, साढ़े 3 बजे तक इसे समाप्त होना चाहिये । काफी माननीय सदस्य बोलेंगे । आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त करें ।

श्री बाबू राम शुक्ल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात कहना चाहता हूं । मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर महानगरी मे जो अधिकारी आता है वह इस मंशा से आता है कि उसे इस महानगरी में जितने दिन रहने को मिल जाय, उतने दिन में खूब पैसा कमा लें । खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग भी इस बात में कम नही है । समय कम है इसलिए मैं सीधे सुझावों पर आता हूं और माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो बातें सुझाव के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, उनकी जानकारी कर लें, जांच कर लें, तब उन पर कार्यवाही करें ।

[श्री बाबू राम शुक्ल--]

मान्यवर, व्यवस्था यह है कि अगर किसी उपभोक्ता को सीमेन्ट चाहिए, तो वह विधायकों की संस्तुति से प्रार्थना-पत्र देता है। इस शहर में आम चर्चा है कि किसी उपभोक्ता को परमिट उस समय तक नहीं मिलता जब तक वह कार्यालय में तीन रुपया बोरी सम्बन्धित क्लर्क को न दे दे और इसमें दो रुपये क्लरिकल स्टाफ का रहता है और 1 रुपया अधिकारी का रहता है। इसके अलावा कानपुर महानगर में वैसे तो कोयला का कन्ट्रोल रेट 9·35 रु० है। लेकिन कोयला का इतना अभाव है कि 20 रु० कुंटल कोयला कानपुर महानगर में बड़ी सिफारिश और मुश्किल से मिलता है। कोयला ऐसी वस्तु है जिसके बिना शहर में लोगों का काम नहीं चलता। यह बात सही है कि सड़क के द्वारा कोयला लाया जाता हैं जिससे खर्च ज्यादा बैठता है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दें। कुछ कोयला दूकानदारों को अभी हाल में लाइसेन्स दिया गया। नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपनी दूकान हो, टेम्पोरेरी परमिट हो या दूकान हो, तो उसको कोयला बेचने का लाइसेन्स दिया जाता है। मेरे क्षेत्र में केनाल पट्टी पड़ती है, वहां पर ऐसे लोगों को लाइसेन्स दे दिया गया है जहाँ पर बिन किसी किराये की रसीद को देखे हुए लाइसेन्स दे दिया गया है। कानपुर में बहुत से हजारों अनिर्णीत रेन्ट कन्ट्रोल के मामले पड़े हुए हैं शायद ही कोई मकान बिना रिश्वत दिये एलाट हो जाता हो। मकान नं० 91/43, हीरामनिपुरवा, कानपुर, इसमें वहां के ए० डी० एम० राशनिंग जो मकान क आवंटन भी करते हैं 1-1-79 को यह आदेश दिया है कि नोटिस चूंकि नहीं तामील हो सकी है, इसलिए यह पत्रावली पुनः 29-1-1979 को प्रस्तुत की जाय। उसी दिन ए० डी० एम० राशनिंग ने फिर आदेश दे दिया कि यह मकान खाली नहीं हे, यह रिपोर्ट मिल गयी है, इस लिए इस प्रार्थना पत्र को तथा जो अन्य प्रार्थना-पत्र हैं, वे रद्द किये जाते हैं। आदेश यह दिया कि पत्रावली 29-1-79 को प्रस्तुत की जाय किन्तु 1-1-79 को ही आदेश दिया कि रद्द किया जाता है। तो मान्यवर, इसकी जांच कर ली जाय। एक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके पास 72 से कोयले की दूकान थी, उन्होंने माननीय हरिश्चन्द्र जी को अपनी कुछ कठिनाइयों की शिकायत की, अब उसके खिलाफ 317 का झूंटा मूकदमा कायम किया गया है। उसका केवल यह दोष था कि उसने कुछ भ्रष्टाचार के मामले भूतपूर्व खाद्य मन्त्री श्री हरिश्चन्द्र जी के पास भेजे थे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की भलाई के लिए जो घोषणा करे उसका किसानों को भी आभास मिले कि हमारी भलाई या हितरक्षा के कुछ काम सरकार कर रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस समय किसानों पर जो आपदा ढाई गई है उसकी तमाम जिम्मेदारी खाद्य विभाग पर है। कई दिनों सदन में इस बात को नियम 301 तथा अन्य तरीके से बताया जाता रहा है कि प्रदेश में गेहूं किसान से न खरीद कर व्यापारियों से खरीदा जा रहा है। जब किसान क्रय केन्द्रों पर जाता है तो कहीं कहा जाता है कि बोरे लाओ, कहीं कहा जाता है कि गेहूं अच्छा नहीं है। वही गेहूं 95 रुपये के हिसाब से व्यापारी खरीद लेता है, केन्द्र वाले उन्हें बोरी देते हैं और फिर उसे 115 रुपये में क्रय केन्द्र को व्यापारी बेच देता है। यह बड़े अफसोस की बात है। खाद्य मन्त्री की जानकारी में यह सब होते हुए भी आज तक यह इस समस्या का निराकरण नहीं कर सके हैं। हमारे कानपुर जिले में एक विधायक ने एफ० सी० आई० केन्द्र पर छापा डाला,

कागजातों को पकड़ा लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। यही वजह है कि व्यापारी और क्रय केन्द्र वाले किसानों को लूट रहे हैं। खाद्य मन्त्री अगर किसी क्रय केन्द्र पर छापा मारे और 10-20 लोगों को निलम्बित करते तो यह लूट अब तक खत्म हो गयी होती और किसानों की शिकायत दूर हो गयी होती। लेकिन दुर्भाग्य से कानपुर का न तो कोई अधिकारी हो और न मन्त्री उस कार्य को कर रहें हैं। इसी तरह से इस बार यह सौभाग्य था कि हमारे क्षेत्र के किसानों ने काफी आलू का उत्पादन किया। मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों का आलू खरीदा जायेगा, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि खाद्य विभाग ने एक भी आलू नहीं खरीदा और उसका आलू आज भी सड़ रहा है। न कोल्ड स्टोरेज वाले ले सकें ह और न सरकार। आलू किसान का विदेश भी भेज दिया जाता था लेकिन इस बार यह भी व्यवस्था नहीं हुई। आज यह वातावरण बन गया है कि जनता पार्टी की सरकार घोषणा तो कर रही है....

(इस समय 2 बज कर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

किसानों की ओर जाने की और गांवों की ओर जाने की किन्तु काम उसका उल्टा हो रहा है तो सारी बदनामी हो रही ह जनता सरकार ने जो काम अच्छे किये हैं, मान्यवर, 30-32 सालों में कांग्रेस की सरकार ने वैसे अच्छे कामों को नहीं किया उन कामों को जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन खाद्य विभाग की वजह से बदनामी हुयी है, सरकार के सारे अच्छे कामों पर लीपापोती फिर गयी है। किसान नाराज बैठा है, किसान महसूस कर रहा है कि सरकार हमारी भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दो-चार दिन के अन्दर इसकी समुचित व्यवस्था करें और जो किसान की लूट की जा रही है उसकी रोकथाम हो।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इसी तरह से हमारे कानपुर जिले के श्री बाबू राम जी शुक्ल ने अभी मंत्री जी को बताया कि खाद्य विभाग के अन्तर्गत जो मकानों का एलाटमेंट आफिस बना हुआ है, मेरा निश्चित विश्वास है, मेरी जानकारी में है कि बगैर रिश्वत के कोई भी मकान का एलाटमेंट आज भी नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा, मंत्री जी नौजवान लोगों में है, तेजतर्रार लोगों में है। जनता पार्टी को जो बदनामी हो रही है मंत्री जी सक्रियता से, इस बदनामी को बन्द करें। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

(माइक खराब होने के कारण)।

एक आवाज—

आप मंत्री जी के पास आ जाइये ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

माननीय देहलवी जी ने अभी कई सुझाव, बहुमूल्य सुझाव सामने रखे हैं । मैं एक दो बातें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं । मान्यवर, इसी महीने इस सदन में आधा, माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के सामने प्रश्न के रूप में और अन्य मौकों पर कहा कि प्रदेश में गनी बैग्स, बोरों की कमी है । मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बोरों की कमी नहीं है । मैं बहुत अदब से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल असत्य है । सदन में इस बात को छिपाया गया है । जनपद मेरठ में क्रय केन्द्रों पर बोरों की बहुत कमी है जिससे किसानों को बहुत असुविधा है । बुग्गी गाड़ी लिये किसान सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और निराश हो के वापस चले जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करायें । उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब इन बोरों के लिये आर्डर दिया ।

श्रीमन्, जो बोरे हैं वह केन्द्रीय सरकार के डाइरेक्टर जनरल गवर्नमेंट सपलाईज के जरिये खरीदे जाते हैं । डाइरेक्टर जनरल कुछ फर्मों से कांटेक्ट करके मंगाते हैं । हरियाणा, पंजाब सरकार ने सितम्बर, 1978 में आर्डर्स दिये और समय पर उनको बोरे मिल गये । इस वक्त जो मंत्री हैं वह उस वक्त खाद्य मंत्री नहीं थे नहीं तो ऐसी भूल नहीं करते । भूतपूर्व मंत्री जी ने सचमुच इस पर गौर नहीं किया और जनवरी, 1979 में बोरों के लिये आदेश दिया गया । डाइरेक्टर जनरल ने लिखा है कि आपका आर्डर बहुत देर में मिला जून के अंत तक आपको बोरे मिलेंगे । तो बोरों की कमी है, मंत्री जी इसकी जांच करायें और जो दोषी अधिकारी हैं दंडित करें, यह बहुत गंभीर अपराध उन्होंने किया है । जैसे कि श्री देहलवी जी ने कहा है कि हम गांव की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि बोरों के सम्बन्ध में जो हुआ है उससे बड़ी और लापरवाही क्या हो सकती है । मान्यवर, हमारे जनपद में दो-दो दिन तक बैलगियां बिना बोरों के खड़ी रहती हैं । मान्यवर, बिचौलियों को यदि इस सरकार ने नहीं रोका तो उनको कभी नहीं रोका जा सकता है । सभी केन्द्रों पर गेहूं 95 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिचौलियों द्वारा खरीद लिया जाता है क्योंकि केन्द्रों पर बोरे नहीं है और फिर वही गेहूं 115 रुपये में वह केन्द्र पर दे देते हैं । किसान का गेहूं सीधे 115 रुपये में एक प्रतिशत भी नहीं बिक रहा है । इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी जांच करवायें क्योंकि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है ।

मान्यवर, सीमेन्ट के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पुस्तिका जो बंटी है उसमें लिखा है कि दो तरह की सीमेन्ट आ रही है । एक तो रेल द्वारा और दूसरी ट्रक द्वारा । मंत्री जी ने लिखा है कि ऐसे आदेश पारित किये हैं कि जो रेल द्वारा सीमेन्ट मिलेगी वह गांव में बांटी जाय । तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में गांवों में सीमेन्ट नहीं मिल रहा है । जितने डीलर हैं वह भ्रष्ट हैं । पता नहीं उनको किस प्रकार नियुक्त किया गया है और इसलिये किसानों को सारी सीमेन्ट ब्लैक में लेना पड़ता है । इसलिये इन दोनों सुझावों पर मंत्री जी विचार करें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, सेठी जी द्वारा कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, खाद्य विभाग के

मंत्री जी के दो काम हैं--एक खाद्य और दूसरा पूर्ति । तो मैं पूर्ति से शुरू करता हूं । इसमें हमारे प्रदेश की आज स्थिति यह है कि न तो आपके पास कोयला है, न मिट्टी का तेल, न सीमेन्ट, न ईंट और न डालडा, कुछ भी तो नहीं है । कुछ चीजें मंहगी हो गयी हैं और कुछ का अभाव जिससे उनका बाजार में मिलना मुश्किल हो गया है ।

मान्यवर, सीमेन्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि रेल विभाग में "वर्क टू रूल" का आंदोलन जब से चला तब से आवागमन में कमी हो गयी है । इसलिये मंत्री जी ने सीमेन्ट को ट्रकों से लाने की व्यवस्था किया । लेकिन इसमें हुआ यह कि एक बोरा में तीन रुपये किराया जुड़ना चाहिये था किन्तु बाजार में डीलर 8-10 रुपये प्रति बोरी किराया जोड़ कर बेचता है । इसलिये सीमेन्ट इतनी मंहगी हो गयी कि किसान के खरीदने की शक्ति से बाहर की बात है । इसके अलावा सीमेन्ट मिल नहीं रही है जिससे किसान ब्लैक में लेकर अपना काम चलाता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि जो सीमेन्ट का मूल्य निर्धारण किया जाय वही मूल्य डीलरों को लेना चाहिये उससे अधिक नहीं ।

मान्यवर, कोयला की यही हालत है । कोयला भट्टों वालों को न मिलने से ईंट की कीमत जो पहले तय हुई थी वह कीमत आज नहीं है । उस कीमत पर कोई ईंट देने वाला नहीं है जिससे निर्माण के जो कार्य हैं वह ठप पड़े हैं । इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोयले की समुचित व्यवस्था करें जिससे ईंट अधिक मात्रा में तैयार की जाय और निर्माण कार्य शुरू हों ।

मान्यवर, इस बजट में आपने यह किया है कि किसान का सारा गेहूं खरीद लेना चाहते हैं लेकिन रविवार को मैं नैनीताल गया था तो वहां जानकारी मिली कि एक सप्ताह तक क्रय केन्द्रों पर किसान बैठने के बावजूद वह परेशान होकर अपना गेहूं मंडी में ले जाकर 90 से 85 रुपये क्विंटल में बेच देता है । और वही गेहूं सेंटर पर आकर बिक जाता है । आपके यहां बोरी नहीं, पैसा नहीं । जो खरीदा हुआ स्टाक है, हजारों की संख्या में बोरियां पड़ी हैं, उनके ढोने के लिये ट्रक नहीं है । मैंने कारण पूछा तो बताया कि ट्रक वाले कहते हैं कि बोरियां एफ० सी० आई० गोडाउन में ले जाते हैं, तो प्रति बोरी वे दो रुपया लेते हैं । जब तक यह दिया नहीं जाता, तब तक ट्रक की अनलोडिंग नहीं होती । तो बुनियादी तौर पर जब आप कार्य करते हैं, तो इसकी व्यवस्था करें कि यह दो रुपया न लिया जाय । ढेर लगा हुआ है और गेहूं रखने की जगह नहीं है ।

दूसरी बात परचेंजिंग सेंटर की है 115 का गेहूं, 113 और 112 में खरीदा जाता है जबकि 113 और 114, दो रेट हैं । किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाता जबतक कि दक्षिणा नहीं दे दी जाती । तो बोरी, पैसा और ट्रक की व्यवस्था करें और सप्लाई विभाग सारी शक्ति लगा दे जिससे कि किसान समझें कि कोई सरकार हमदर्द आयी है । वैसे जनता पार्टी की सरकार के बारे में अब किसानों के दिलों में यह बात घर करती चली जा रही है कि यह सरकार किसान विरोधी है । तो कुछ ऐसे काम करिये कि जनता समझे कि यह सरकार किसानों के लिए भी कुछ करना चाहती है । आदमी जो महसूस करता है, वही कहता है । सरकार आज महसूस करा दें कि वह किसानों के हमदर्द हैं । वह तभी होगा जब गेहूं की खरीद बिना परेशानी और बिना रिश्वत के करा दें और बोरियों की व्यवस्था करा दें । तभी किसान समझेंगे कि आप किसानों के हमदर्द हैं ।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की है । आपका विभाग, आज से नहीं, भ्रष्टाचार की जन्यस्थली है । इस देश में भ्रष्टाचार का जो जन्म हुआ, वह सप्लाई विभाग

[श्री देव बहादुर सिंह--]

से हुआ । उसको कैसे दूर करेंगे ? हर बार जब-जब कमी आती है, विभाग के लिये अवसर मिलता है कि वह अधिक से अधिक कमा सके ।

मान्यवर, हमारे यहां लाखों क्विन्टल चावल खरीदा जाता है । 108 राइस मिलें हैं नैनीताल में । लेकिन प्रति बोरी पर दो रुपया रिश्वत अनिवार्य है । एक रुपया, जो सप्लाई विभाग का इंसपेक्टर है वह लेता है और एक रुपया एफ0 सी0 आई0 लेता है । बिना उसके गोडाउन में जायेगा नहीं । भ्रष्टाचार को दूर करते तो हम समझेंगे कि इस विभाग का काया कल्प हो गया ।

इन शब्दों के साथ माननीय सेठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी अपनी सारी शक्ति गेहूं की खरीद में लगा देंगे जिससे किसान समझ सकें कि सरकार हमारी हमदर्द है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे खाद्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं उसकी ताइद करता हूं लेकिन चन्द बातें, क्योंकि टाइम कम है, सुझाव के तौर पर रखूंगा ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रसद का ताल्लुक है, उसका बहुत बड़ा सम्बन्ध किसानों से है । आज गल्ले की खरीद परचेंजिंग सेंटर पर की जाती है । मैं बड़ी सफाई से बता देना चाहता हूं कि वहां पर किसानों के साथ ना-इन्साफी हो रही है । गल्ले की सप्लाई के लिए बोरों की बेइन्तिहा कमी है ।

मैं अपने जिले मुरादाबाद के मुताबिक बताना चाहता हूं कि वहां 119 सेन्टर्स हैं जिनमें से 90 सेन्टर बन्द पड़े हुए हैं । बोरी न होने की वजह से गल्ले की खरीदबारी नहीं हो रही है । किसान आता है और परेशान होता है । उसके साथ बेइंसाफी होती है । उसको कम कीमत पर अपना गल्ला बेचना पड़ता है । यह सहालग का टाइम है इसलिए उसको पैसे की जरूरत है । बहरहाल चाहे गन्ने का मामला हो या गल्ले का मामला हो हर मौके पर उसे खसारा उठाना पड़ता है और इस वक्त भी किसान को परेशानी हो रही है । जैसा अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे सीमेन्ट के मामले में दो राय नहीं है । उसकी सप्लाई दो तरह की है । एक तो ट्रेन के जरिये और दूसरे ट्रक्स के जरिये । मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी अपर और लोवर क्लास का हिसाब पैदा हो गया है । जब हमें सीमेंट लोअर रेट्स पर मिल सकता है और गुड्स ट्रेन से आ सकता है तो क्या वजह है कि हम ट्रेन से न मंगाकर ट्रक्स से मंगायें जो कि मंहगा पड़ता है और जिसकी वजह से ब्लेकमार्केटिंग हो जाती है । कोई शख्स पर्ची कटवा कर दुकानदार के पास जाता है तो वह कहता है कि हमारे यहां लोअर रेट का सीमट नहीं है चाहे उसके यहां मौजूद भी हो क्योंकि उसको इससे ब्लेक करने में मदद मिलती है । जहां तक मुमकिन हो सीमेंट ट्रेन से ही मंगाया जाय जिससे लोगों को सस्ती दर पर सीमेंट मिल सके । खसूसन उनका जिनके मकान बरसात में गिर जाते हैं या वे किसान जो अपने टूटे-फूटे मकानों की मरम्मत कराना चाहते है । उसके अलावा तेल की भी जगह-जगह कमी है । गरीब लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता । भट्टों पर ईटों के रेट्स भी बढ़ गये हैं क्योंकि कोयले के दाम बढ़ गये हैं । मुख्तसर में यह अर्ज करूंगा कि यह विभाग अवाम से और किसान से बहुत ज्यादा मुताल्लिक है । इसके अन्दर जो कर्मचारी हैं वह रिश्वतखोर और भ्रष्ट हैं । अगर

कोई आदमी डी0 एस0 ओ0 के दफ्तर में चला जाय तो वहां बिना पैसे दिये काम हो नहीं सकता । इसको जरा आप रोकें । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे ।

*श्री सुमेर चन्द गोयल (जिला सहारनपुर)--

माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और जो धनराशि चाही है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि बिना इसमें सुधार के प्रदेश का कल्याण संभव नहीं है । कटौती का प्रस्ताव जो रखा है और माननीय सदस्यों ने विरोधी दल की तरफ से यह कहा और चीजों के भाव पेश किये कि आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, जनता सरकार की आलोचना की, मैं यह समझता हूं कि सिर्फ उन्होंने विरोध करने के लिए विरोध किया है । आज चीनी का भाव पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं । हमको वह समय याद करना चाहिए जब लाइनें लगती थी और चीनी नहीं मिलती थी, डालडा नहीं मिलता था, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, सरकार को गालियां देते हुये लोग कोसते थे । आज हर चीज बाजार में उपलब्ध है और मिलती है । जो आवश्यक वस्तुयें हैं चीनी, गेहूं, डालडा, गुड़, उनके भाव पिछले वर्षों के मुकाबले हम देखें तो काफी ठीक हैं । लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा । बातों को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है ।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गेहूं की खरीद के लिए बोरे नहीं हैं तो हमारे शहर सहारनपुर से भी यही समाचार मिला है कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वे काश्तकारों से कह देते हैं कि बोरे नहीं हैं । इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यदि इस वर्ष संभव न हो तो अगले वर्ष से यह व्यवस्था करें कि बोगी में, ट्रकों में, जो किसान का गेहूं आ रहा है यह कैसे साबित हो कि किसान का ही गेहूं है । क्या उसके पास इसका कोई आइडेन्टिफिकेशन कार्ड है । हम देखते हैं कि शहरों में व्यापारियों के लड़के, मुनीम और कर्मचारी, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, गेहूं खरीदते हैं और वहां कर्मचारियों से मिली भगत करके उसी को बेच डालते हैं । गरीब, भोले-भाले किसान से कर्मचारी कहते रहते हैं कि गेहूं खराब है, अच्छा नहीं है, लिये जाने का नहीं है । किसान को सामान खरीदने की जल्दी रहती है, अपना सामान खरीदने आये रहते हैं, इसलिए व्यापारियों की दुकान पर डाल देते हैं और वह गेहूं ठीक हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस के बारे में काफी सतर्कता बरती जाय । ऐसे कर्मचारी जो इस किस्म का काम करें और मालूम हो जाय कि इस तरीके से उन्होंने गेहूं वापस किया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ।

मेरा एक सुझाव यह है कि आगे के वर्षों में क्योंकि हम किसानों की उन्नति करना चाहते हैं, किसानों के कुछ पहचान-पत्र हों । यह भी हो सकता था कि वे अपनी जमीन की फर्दें लायें और उन पर नोट कर दिया जाय कि इसका इतना गेहूं लिया क्योंकि मैं समझता हूं कि जमीन के फर्दें हर किसान के पास हैं । इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि परामर्शदात्री समिति मंत्री बनते ही माननीय मंत्री जी ने न जाने किन कारणों से खत्म कर दी । इन समितियों को शीघ्रताशीघ्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुमेर चन्द गोयल---]

बनायें । मेरा यह भी आग्रह है कि इन्हें जन प्रतिनिधियों के सुझाव के द्वारा बनावें । जन प्रतिनिधि चाहे किसी दल के हों उनकी बातों को वजन दिया जाय ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सहारनपुर में एक करतार चन्द बहुत बड़ा ब्लैकमार्केटीयर है । 6 दफे उस पर मुकदमा बन गया है । सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा, दिल्ली और सभी जगहों के अधिकारियों से उस की साठ-गांठ है । उसका इस तरह का काम है । इस तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर ये जो खाद्य मंत्री ने अनुदानें रखी हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं । हमारे सूबे से 3 प्रधान मंत्री हुए और एक बड़ी वजह वह हो गयी हमारे पिछड़ेपन के लिये कि हमारे जिले से मुख्य मंत्री जी हो गये । अब यह डर लगता है कि हमारा जिला भी उत्तर प्रदेश की तरह पिछड़ न जाय । हमारे यहां लोग सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं । हमारा इरादा यह है कि धान में भी हम सबसे अधिक रिकार्ड प्रदेश में रखें लेकिन जो हालात हमारे प्रदेश के किसानों के हैं उसे वही जानते हैं । किस तरह से हिम्मत करके, गल्ला पैदा करते हैं । लड़के-लड़कियां, घरवालियां सभी खेतों में काम करते हैं । जो गल्ला किसान उठा कर बाजार में लाया तो उसकी हालत खराब हो गयी । जिलाधीश ने तत्परता बरती फिर भी किसानों को वह राहत नहीं है जो उनको मुहइया होनी चाहिये । जो क्रय केन्द्र हैं वहां पर दो-दो दिन किसान को अपनी बैलगाड़ी लिये हुए पड़े रहना पड़ता है जिसका फायदा ठेकेदार तथा व्यापारी उठाते हैं । भूतपूर्व खाद्य मंत्री कोई नादान व्यक्ति नहीं थे । मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वह जानबूझ कर किया गया । भूल इसलिये की गयी थी ताकि यू० पी० के अन्दर सही वक्त पर गल्ले की खरीद के लिये सरकार के पास बोरियां न मिल सकें और किसान अपनी गाढ़ी कमाई को मजबूर हो कर बिचौलियो के हाथ में बेच दे । जिससे बिचौलियो को जबरदस्त फायदा सरकारी खरीद के अन्दर हुआ । मेरा निवेदन है कि हमारी जनता पार्टी किसानों के नाम पर जीत कर आई है और अगर किसानों की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व नहीं रह जाती है कि हम सरकार में रहें । हमको इस बारे में सचेत रहना चाहिये । सीमेंट गांव वालों को मिलता ही नहीं है । बरसात में सबसे ज्यादा घर गांव वालों के गिरते हैं । व्यापक पैमाने पर गांव वालों को क्षति होती है और वे बेघरबार हो जाते हैं लेकिन सीमेंट शहर के बड़े लोगों के यहां चला जाता है और गांव वालों को 5, 10 रुपये अधिक देने पर सुबह से शाम तक छोटे-छोटे बाबुओं की खुशामद करनी पड़ती है तब भी उनको जरूरत भर सीमेंट मुहइया नहीं होती । खाद्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सीमेन्ट का जो बहाव शहर तथा खास कर बड़े-बड़े लोगों की ओर हो रहा है उसे वह रोकेंगे और गांव वालों को जिनकी आबादी ८० प्रतिशत है उसी अनुपात से उनको गांव में सीमेन्ट मुहइया करायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय सदस्य ने कहा कि जनता सरकार किसान के बल पर जीत कर आई है लेकिन इस सरकार ने भी कांग्रेसी शासन की तरह किसान की गरदन को ही सबसे पतली समझा है और कांग्रेसी शासन की तरह उसकी गर्दन को ही दाब रखा है। चाहे गेहूं का सवाल हो या दूसरा सवाल हो पूरे प्रदेश में किसान को लूटा जा रहा है। जनता पार्टी के माननीय विधायक भी इसे कबूल करते हैं। गेहूं खरीद की शुरुआत हुए कुछ समय हो गया और शिकायतें भी आई लेकिन उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम शासन ने उठाये यह जानकारी नहीं मिल सकी। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि शायद ही वहां पर १० फीसदी किसान आपके क्रय केन्द्रों का फायदा उठा पा रहा हो। जहां पर आपके क्रय केन्द्र हैं, वहां पर वह पहुंच नहीं पाता है। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि वे इस दिशा में कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में यह भी घोषणा की थी कि १० किलोमीटर से ज्यादा किसान को अपना गेहूं बेचने के लिये नहीं ले जाना पड़ेगा किन्तु अभी इसमें पूर्णतः कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, हमारे इलाके में एक राजवपुर जगह है जो कि बाढ़-ग्रस्त इलाका है और इसी तरह से कुरसठ एक टाउन एरिया है जहां पर बहुत दूर तक क्रय केन्द्र नहीं है। अगर किसी तरह से किसान इन दूर के क्रय केन्द्रों पर जाता भी है तो उन्हे वहां से वापस आना पड़ता है। अतः मैं चाहूंगा कि इन दोनों गांवों में क्रय केन्द्रों की स्थापना के बारे में अगर कोई प्रशासनिक कठिनाई न हो तो, विचार कर लें और केन्द्र खोल दें ताकि वहां का किसान फायदा उठा सके।

मान्यवर, सीमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश सीमेन्ट की दिशा में अत्यन्त संकट के दौर से गुजर रहा है। सीमेन्ट की वितरण प्रणाली में भी दोष है और दूसरी बात यह है कि कानपुर में एक नकली सीमेन्ट बनायी जा रही है जिसको किसान मजबूरी में खरीद रहा है। जब वह उस सीमेन्ट को मकान में इस्तेमाल करता है और वह गिर जाता है तब इसका पता चलता है कि वह नकली सीमेन्ट है। तो इन चीजों को चेक किया जाना चाहिए। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सीमेन्ट की वितरण प्रणाली में जटिल समस्या है। इस बारे में मंत्री जी चिन्तित हैं कि इस वितरण प्रणाली को कैसे ठीक किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस वितरण प्रणाली को नहीं सुधारा जायेगा तब तक किसान कोई फायदा नहीं उठा सकता है ब्लाकों में, तहसील में, डी० एस० ओ० के यहां सीमेन्ट मिलती है लेकिन किसान को नहीं मिल पाती है। हरदोई में एक एस० डी० एम० हैं मिस्टर उपाध्याय जो कि पैसा लेकर सीधे परमिट काटते हैं। जब उनके यहां एस० डी० एम० ही ऐसा करते हैं तो उनके क्लर्कों के बारे में तो कुछ न कहा जाय, अच्छा ही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप कभी-कभी इस बत्ती की तरफ भी देख लिया करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं रेन्ट कंट्रोल के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। यह विभाग भी आपके ही मातहत है। अपने हरदोई जिले के रेन्ट कंट्रोल की जो

श्री राम आसरे वर्मा—]

कहानी है वह बहुत ही अजीब है । वहां पर ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसके पास डंडा है, उसको मकान मिल जायेगा और जो भलमन्साहत में रहेगा उसको कभी मकान मिल नहीं सकता है । यही मेरा हाल है । अगर मैं आर० एस० एस० या जनसंघ का होता तो मुझे सबसे पहले मिल गया होता लेकिन राम आसरे वर्मा जनसंघ के नहीं है और न आर० एस० एस० के हैं लिहाजा उनको मकान नहीं मिल सकता है । लखनऊ में एक ए० डी० एम० हैं मिस्टर आर० के० दुबे । जिनके यहां खाता खुला हुआ है । उनके यहां रुपया जमा करो, फौरन मकान मिल जायेगा । कोई आदमी वहां ऐसा नहीं मिल सकता है जिसने पैसा न देकर मकान लिया हो । इसी मंत्रिमंडल के एक माननीय सदस्य हैं, नाम लेना उचित नहीं समझता उनका बरदहस्त उनके ऊपर है अगर कहीं उनकी चिट्ठी पहुंच गई तो उनके पास एक काली डायरी है उसमें नाम नोट हो जाता है । जिसका नाम उस डायरी में नोट हो गया उसको समझलें कि मकान मिल गया ।

जो समितियां बननी हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं पहले भी जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर समितियां थीं । उस वक्त हमने कहा था जो तहसील स्तर की समितियां हैं उनमें हमको क्यों नहीं बुलाया जाता है, विधायकों को क्यों नहीं बुलाया जाता है । तत्कालीन जो मंत्री जी थे उन्होंने कहा कि सोने की छुरी से हम आलू नहीं कटवाना चाहते हैं । वह अब मंत्री नहीं हैं, केवल विधायक रह गये हैं तो उनको पता लग गया होगा कि विधायक सोने की छुरी होता है या लोहे का खंजर होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

तहसील स्तर की समितियों में विधायकों को होना चाहिये क्योंकि यह जीव होती हैं । मैं न्याय पंचायतों में खुलने वाली दुकानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इसमें नौकरशाही नग्न नृत्य कर रही है । वह जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं और जिससे सौदा पट जाता है उनके नाम प्रस्तावित कर देते हैं । मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों से इसमें परामर्श लिया जाना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी की क्षमता से वाकिफ हूं । उनका समर्थन करने की पूरी इच्छा है लेकिन विवश हूं क्योंकि इधर बैठता हूं इसलिए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

*श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)—

मैं माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । यहां जब से जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब से हमारे आपूर्ति विभाग में काफी काम हुए हैं । पिछले दिनों में जब यह खाद्य समितियां कायम थीं उस समय अधिकारियों पर ऐसा नियंत्रण था कि वह महीवारी खाद्य समितियों की बैठकें बुला कर उसमें पूरे जिले भर में किस प्रकार के खाद्य, सीमेंट कपड़ा, मिट्टी तेल का वितरण किया गया, कितना कोटा आया, कितना शहर को दिया गया और कितना देहात को दिया गया बताया जाता था । लेकिन जब से समितियां भंग हो गई हैं तब से अधिकारी मनमानी करने लगे हैं । मैं जनपद कानपुर की तरफ ध्यान आकर्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहता हूं । हमारे यहां गल्ला खरीदने से लिए सरकार की ओर से एजेंसीज खोली गई हैं लेकिन उनमें किसी में भी गन्ने की खरीद नहीं हो रही है । जब किसान जाता है तो उससे कह दिया जाता है कि बोरे नहीं हैं । मैंने अपने क्षेत्र में दौरा किया हमारे यहां के बरौल, वडोली, बुकीमऊ, नौनापुर और कुपरायां के क्रय केन्द्र में कहीं भी एक तोला गल्ला नहीं खरीदा गया है । बराबर यह कहा जाता है कि यहां पर बोरों की कमी है । इस प्रकार वहां बोरे की कमी की वजह से गल्ला खरीद बिलकुल बन्द है । ऐसा मालूम होता है कि क्रय केन्द्रों में गल्ला खरीदना तुरन्त थोड़े दिनों में बन्द हो जायेगा और बड़े-बड़े दुकानदारों से क्रय कर लेंगे और प्रतिदिन वह लोग सौ बोरे दो सौ बोरे खरीद लेंगे ।

सीमेन्ट के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार ने एक नीति बनाई थी, पहले सीमेंट सीधे कारखानों से स्टाकिस्ट के पास आ जाता था । अब सरकार ने सीमेंट के लिए लाईसेन्स प्रणाली लागू कर दी है । लेकिन वह केवल कागज पर चल रही है । मेरे जिले में आज तक किसी नये दुकानदार को नहीं बनाया गया है और न लाईसेन्स दिया गया है । जो २०, २५ साल के स्टाकिस्ट थे उनको ही लाईसेन्सधारी बनाया गया है । उनके खिलाफ तमाम अनियमितताओं के आरोप हैं । वह तीस रु० ३५ रु० बोरी बेचते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । जब अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वह कहते हैं कि सरकार ने इस किस्म की कोई नीति नहीं बनाई है कि सीमेन्ट का लाईसेन्स दिया जाय । मेरा निवेदन है कि जल्दी ही आप नीति निर्धारित करें और सीमेंट की एजेंसीज बनाई जायं ।

रेन्ट कंट्रोल के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि हमारे कानपुर में ५ अधिकारी हैं ए० डी० एम०, डी० एम०, एरिया राशनिंग अफसर व सप्लाई अफसर । इन लोगों को आपस में कुछ एरिया बांट दिया गया है और उसी हिसाब से वह हम लोगों को एलाट करते हैं । इसमें हमेशा यह लोग भारी-भारी रकम लेकर यह काम करते हैं । हमारे जिले के १४ में से ११ विधायकों और २ संसद सदस्यों ने वहां पर मकान एलाटमेंट के लिए अप्लीकेशन दिया है कि हमें मकान एलाट किया जाय, लेकिन आज तक एक को भी नहीं किया गया है । वहां का एरिया राशनिंग आफिसर और दूसरे सम्बन्धी लोग कांग्रेस के पोषक और कांग्रेसी विचारधारा के मालूम पड़ते हैं, जो यह समझते हैं कि जनता पार्टी चली जाएगी, यह रहने वाली नहीं है, इसलिए जनता पार्टी के किसी सदस्य को वह मकान एलाट करने की जुर्रत नहीं करते ।

*श्री ओंकार सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर बोलन का अवसर दिया और मैं उनका समर्थन करता हूं । साथ ही मैं कुछ सुझाव गेहूं खरीद के बारे में मंत्री जी को देना चाहता हूं । अभी पिछले सप्ताह मैं यहां सदन में नहीं आया और मैंने क्रय केन्द्रों का दौरा किया । अपने साथ बी० डी० ओ०, तहसीलदार और खरीद एजेंसियों के अध्यक्षों को लेकर मैंने वहां का निरीक्षण किया और उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं । यह बात निश्चित है कि खाद्य पालिसी केन्द्र द्वारा निश्चित होती है और वह सारा कार्य एफ० सी० आई० द्वारा किया जाता है । लेकिन जो गेहूं हमारी एजेंसियों द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओंकार सिंह—]

खरीदा जाता है, उसे जब हमारे ट्रक्स एफ० सी० आई० के गोदामों में गेहूं को उतारने जाते हैं, तो कोई भी ट्रक तब तक अनलोड नहीं किया जाता है, जब तक उससे ५०–१०० रुपया फी ट्रक नहीं ले लिया जाता है । इस समस्या को जब मैंने जिलाधीश के सामने रखा, तो उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह गोदाम और विभाग हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

(इस समय ३ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

इस लूट के अलावा वहां के पल्लेदार ७ रुपया से १०० रुपया तक फी ट्रक अलग से चार्ज करते हैं, नहीं दिया जाए तो वह उनके बोरों को गायब कर देते हैं और एक बोरा भी गायब होने से उन्हें कहीं ज्यादा का नुकसान हो सकता है । इस समस्या का, इस मजबूरी का जब तक आप इलाज नहीं करेंगे, उनकी लूट होती रहेगी और जब वह रुपया देकर आएंगे, तो वह भी उस घाटे को किसानों से वसूल करने को विवश हो जाते हैं । इसलिए हमारा सुझाव है कि एफ० सी० आई० पर कोई नियन्त्रण हमारी सरकार करे, अन्यथा वह स्वयं परचेज कर अपने गोदामों में अपने आदमियों द्वारा उसे रखने की व्यवस्था करें । हम गेहूं ११५ में लेकर एफ० सी० आई० को देते हैं और उससे ही उसे हम अपनी जरूरत पर १३० रुपया में लेते हैं । तो आप किसी भी प्रकार यह व्यवस्था करायें कि उनके अधिकारियों पर हमारा नियन्त्रण हो ।

कुछ लोगों ने गनी–बैग के बारे में बात कही है । जितने बोरे आगरा मंडल में पहुंचे सब से ज्यादा आपके मैनपुरी में चले गये, जब कि मैनपुरी में कोई खास गेहूं पैदा नहीं होता । मथुरा जिला अलीगढ़ को छोड़कर आगरा मंडल में सबसे ज्यादा गेहूं दिया था । आप बोरों का प्रबन्ध हमारे यहां पर कराएं । मेरा यहां बलदेव सेन्टर पर, सी० सी० एफ० का केन्द्र है, ६–५–७९ से एक बोरा नहीं पहुंचा, और गेहूं की खरीद नहीं हुई है ।

माननीय, इसके साथ मथुरा जिले का एक उदाहरण उपस्थित करता हूं । १४–५–७९ तक मथुरा में करीब डेढ़ लाख का गेहूं खरीदा गया और भुगतान कितने का हुआ ? केवल १२ लाख का । १–५–७९ के चेक २५–५–७९ तक कैश नहीं हुए । वहां पर एफ०सी० आई० का कोई असिस्टेंट मैनेजर आफ अकाउन्टस है वह बिलों को पास करके पेमेन्ट कराता है । वह इतना निकम्मा आदमी है । उसके सामने १४–५–७९ तक डेढ़ लाख का गेहूं खरीदा गया, उसने चेके नहीं पास की केवल १२ लाख का पेमेन्ट : जिन किसानों की बहनों और लड़कियों की शादियां थीं उनकी क्या दशा हुई होगी, वह क्या जाने । इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है । एक चीज और कहनी है स्पष्ट आदेश हैं कि एफ० सी० आई० सेन्टर के अन्दर ७२ घंटे के अन्दर जो गेहूं पहुंच जाय, उसका पेमेन्ट कर देना चाहिए । लेकिन उन आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है । हमारे खाद्य मंत्री जी वहां पर असिस्टेंट मैनेजर आफ अकाउन्ट्स की जगह पर दूसरे आफिसर की व्यवस्था करें जिससे पेमेन्ट हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । हमारे अन्य सदस्यों ने अपनी भावना सीमेन्ट के बारे में व्यक्त की है । उसके

सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सीमेन्ट लाने के लिए जो ट्रकों की व्यवस्था की है उससे समस्या को कम करने का प्रयास किया है। सीमेन्ट की समस्या पूरे प्रान्त में है, खास कर गांवों के लिए । उसके सम्बन्ध म मेरा दूसरा सुझाव है । जब चीनी पर कंट्रोल था तो खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर गांव-गांव घूमते थे । आज उनको कोई काम नहीं रह गया है । वह दफ्तरों में बैठे रहते हैं । मेरा सुझाव है कि वह इसकी जांच न करें कि सीमेन्ट की किल्लत को जरूरत है बल्कि यह जांच कर कि किसको सीमेन्ट दी गयी थी उसका सत्यापन करें ताकि गलत तरीके से जो लोग सीमेन्ट बेच कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं उस पर रोक लग सके । अगर ऐसा किया जायगा तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तीसरा सुझाव भ्रष्टाचार के बारे में यह देना चाहता हूं और उस सम्बन्ध में एक उदाहरण रखना चाहता हूं जैसा हमारे मित्र ने कहा खाद्य विभाग भ्रष्टाचार की जननी है । भ्रष्टाचार का जन्म इस विभाग से हुआ है । बस्ती में जिला पूर्ति कार्यालय से परमिट की कुछ रसीद बुकें गायब हो गयी थीं । पिछले वर्ष मार्च अप्रैल म । इस बारे में थाने में रीपोर्ट दर्ज की गयी । मैं मंत्री जी को आवेदन पत्र दिया और उन्होंने उत्तर दिया कि दो रसीद बुकें गायब हुयी हैं । इस साल जब प्रश्न किया तो जवाब मिला कि एक रसीद बुक गायब हुयी है । मैं नहीं समझ पाता क्या यह किसी व्यापारी की दूकान है उसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है । ऐसी गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ मन्त्री जी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें । मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, स्वर्णकार बदर्स हमारे यहां है । ७४ में उसके खिलाफ लिखकर दिया गया लेकिन कोई जांच नहीं हुयी सन् ७५ में मैंने एक आवेदन पत्र दिया तो विजिलेन्स से जांच हुयी और यह पाया गया कि यह फर्जी है और मुकदमा कायम किया जाय लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुयी तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने २०-३-७५ को एक सवाल किया तो उसके उत्तर में जबाब मिला कि एफ० आई० आर० दर्ज की गयी है लेकिन वह दर्ज नहीं की गयी थी मैंने पुनः प्रश्न किया तो ३०-८-७८ को जबाब मिला कि एफ० आई० आर० दर्ज नहीं है मैंने २१ सितम्बर, १९७७ को आवेदन पत्र-दिया जिसका उत्तर २३ नवम्बर को मिला कि इसकी जांच करायी जा रही है । मान्यवर, यह ७४ का मामला है और आज ७९ चल रहा है अब तक इसकी जांच होगी । इसका कौन जिम्मेदार है ३-४ मन्त्री गुजर गये हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोई बुनियादी परिवर्तन करना इस सरकार के बस की बात नहीं है यदि मंत्री जी यह प्रयत्न शील होंगे तो कुछ बुनियादी सवालों की ओर जरूर ध्यान देंगे । मान्यवर, किसान इस देश का सबसे बड़ा श्रमिक वर्ग है और अधिकांश सदस्य किसानों के घर से आये हैं । गेहूं, चावल, चना पैदा करने वालों की हालत अच्छी नहीं है उससे तो उन लोगों की हालत अच्छी है जो किसानों द्वारा पैदा की हुयी चीजों को बेचते हैं । मान्यवर, इस पर गौर करना चाहिए । यह स्थितियां है गन्ने के बारे में बराबर कहा गया। सरकार द्वारा जो निर्धारित कीमत है वह भी किसानों को नहीं मिल सकी सरकार के ही आंकड़े हैं कि जितना उत्पादन में खर्च होता है उस कीमत से यह कीमत कम है । पन्त नगर फार्म के आंकड़े हैं कि एक कुन्तल गेहूं पैदा करने में 17 रुपये खर्च होते हैं और उसकी कीमत 115 निर्धारित

श्री जयराम—]

की गयी है । मैं चेलेन्ज करता हूं कि एक भी खरीद केन्द्र ऐसा नहीं है जहां पर 115 रुपये में गेहूं लिया गया हो सीधे कह देते हैं कि 113 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते दो रुपये बोरी उनको देना पड़ता है । मकानों के एलाटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां पर जो दुकान फुटपाथ पर लगी हुई थी उनको इमरजेन्सी में हटा दिया गया और उन दुकानों को तोड़ कर नयी दुकाने बनवायी गयी । मान्यवर, गाजीपुर म वहां पर एक जाति की नाम का मुसहर ह जो पत्तलों के बेचने का काम करता है । उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है । जो उसकी वहां पर गुमटी थी वह भी उजाड़ दी गयी है । उस स्थान पर कुछ दुकानें बनी हैं । लेकिन 3 साल से उनका एलाटमेंट नहीं हुआ है । कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको दूसरों को एलाट कराना चाहते ह जब कि हम कटिबद्ध है कि इनमें से एक दुकान इसको ही मिले ।

लखनऊ में ही एक राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वहां पर मैं रोज़ घूमने जाता हूं । वहां पर मैंने देखा कि एक अधिकारी को एक बाबू समझा रहा था कि आप 3 आदमियों के नाम से ज़मीन ले लें, 2 पर मकान बनाकर किराये पर उठा देना और एक अपने लिए रख लेना ।

इसी प्रकार से यहां पर एक श्री आर० के० दूबे नाम के अधिकारी हैं वे लाल बाग में रहते हैं । एक मकान किसी ऐसे आदमी के नाम से एलाटेड है जो लखनऊ में तो क्या प्रान्त में भी नहीं रहता है । तो मैं जानना चाहूंगा कि कब तक इन बातों पर ध्यान दिया जायेगा । उस व्यक्ति ने अपना हलफनामा भी दे रखा है । इसी प्रकार से हमारे फैजाबाद में बारे मै भी स्थिति है । वहां पर माननीय त्रिसेन आदि ने अपने रहने के लिए दरख्वास्त दी, प्रायोरिटी के आधार पर उनका नम्बर 1 होना चाहिए । मैं यह तो नहीं कहता कि उनको दे दिया जाय । तो जब इस तरह की स्थिति आती है इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है । और ये इसलिए आनाकानी करने लगते हैं ।

अब मैं सीमेंट की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । सीमेंट के लाइसेन्स ऐसे चोरकटों को दे दिए गये है कि पता नहीं उसमें कहां तक हिस्सा जाता है । उनके खिलाफ मैं कई बार शिकायत भी कर चुका हूं लेकिन पता नहीं कि उन पर हमारे मंत्री जी सोचेंगे, जिले के अधिकारी सोचेंगे, किसी के अधिकार का पता ही नहीं चलता है । हमें जिन कमेटियों में रखा जाता है उनको भी समाप्त कर दिया गया है । इन कमेटियों में रहने के बावजूद भी हमारे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

अब मैं जिले में खाद्यान्न पदार्थों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । किसानों के सामान को सस्ती दरों पर लिया जाता है लेकिन उसके प्रयोग में आने वाली वस्तुएं सस्ते दाम पर नहीं मिल पाती है । मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ओर डाक्टर लोहिया के नाम लेकर कब तक उनको चिता और आप रोटियां सेंक कर खाते रहेंगे । आज किसानों की लूट होती है और उनको मंहगा माल मिलता है । आप इन दोंनों में समन्वय स्थापित करें जिसके बारे में डाक्टर लोहिया पूरी जिन्दगी लड़ते रहे ।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत की हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । अभी

हमारे माननीय मित्र ने कहा कि डाक्टर लोहिया की चिता पर आप कब तक रोटी सकेंगे। डा० लोहिया की अपनी एक फिलासफी है, उनका अपना एक दर्शन है, जो उसके अनुसार चलेगा वह सफल होगा। हम उस दर्शन पर चल रहे ह, हम सफल होंगे। आप कभी इधर नहीं आ सकते।

जी में आता है कि लगा दूं आग आशियाने में,
फिर ख्याल आता है कि मूसा बेवतन हो जायेगा।

भ्रष्टाचार की शिकायत में बहुत सुनता हूं। कोई ऐसा मेम्बर नहीं है जिसने यह कहा हो कि फलां विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है।

[× × ×

(व्यवधान)

श्री देव बहादूर सिंह—

माननीय, यह अपने को तो कह सकते हैं पर सारे सदस्यों के लिये कैसे कह सकते हैं कि वे भ्रष्ट हैं यह तो बहुत अनुचित है।

श्री बांकेलाल—

मैं सही बात कह रहा हूं, मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने 'हम सभी' कहा है।

श्री बांकेलाल—

मैं जो कहता हूं वह सही कहता हूं। जो आचरण है आज एम० एल० एज और एम० पीज़० का वही ले डूबेगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान आज जब अपना माल गाड़ी में लेकर जाता है आपके क्रय केन्द्रों पर तो जो आपके वहां पर सचिव होते हैं वे कह देते हैं उससे कि बोरे नहीं हैं। अब 5-6 मील से वह किसान बेचारा चल कर आता है, परेशान हो जाता है। फिर बात होने लगती है 2-3 रुपये की बोरा लेने की। जब किसान मजबूरीवश देने के लिये तैयार हो जाता है तब उसका माल यह लोग ले लेते है। यह परेशानी क्यों आती है? बोरे क्यों नहीं रख जाते है। आप बोरों का इन्तजाम क्रय केन्द्रों पर करायें यह मेरा निवेदन है।

जो नये नये लोग तोलने के लिये रखे गये हैं इनको तोलने का अनुभव भी नहीं होता है। वे चाहते हैं किसी तरह किसान को लूट कर अपना घर भर लें। इन क्रय केन्द्रों पर आपके विभाग का कोई अधिकारी नहीं रहता। न कोई भी जांच के लिये जाता है। कहीं कोआपरेटिव वाले तोलते हैं तो कहीं दलाल लोग तौलते हैं।

सीमेंट की भी जो महंगायी है वह तो है ही उस पर भी 2-3 रुपये और देने पड़ते हैं, कहीं परमिट बनवाने में तथा कभी जांच अधिकारी को खिलाने पिलाने में। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले हम लोग अपने में सुधार करें जब हम सुधर जायेंगे तो यह अधिकारी भी सुधर जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

(श्री अजीत सिंह सेठी का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)।

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय बांके लाल ने जो मेम्बरों को [××] कहा है, उसमें आप भी आ जाते हैं। मान्यवर, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बांके लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, कतई न निकाला जाय। जो मैं बोलता हूं वह बिल्कुल सही बोलता हूं और प्रमाण के साथ बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही में देख लूंगा।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, कुल मिलाकर 13 सदस्यों को खाद्य विभाग के अनुदान और कटौती के ऊपर आपने बोलवाया। मुझे यह महसूस हुआ कि सदन में विरोधी दलों को अपना विचार पेश करने को केवल 3 व्यक्तियों को आपने मौका दिया। एक तो मैं कटौती के आधार पर बोला, एक सी० पी० आई०, एक इंडिपेंडेंट। संदेह यह हुआ कि 13 के तेरहवों ने यह कह दिया है कि समर्थन तो करता हूं लेकिन अगर जनतंत्र सही रूप में चलाया जाय, तो उन्होंने कटौती के प्रस्ताव के आधार पर इस बजट की निन्दा की है। माननीय मलिखान सिंह को इस विभाग का मंत्री बना कर बैठा दिया गया है। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इस खाद्य विभाग की दीवालें बिलकुल रेत की हैं। खरीद के ऊपर रिश्वतखोरी के बारे में तो सभी माननीय सदस्यों ने कहा। क्या मान्यवर, सब को मान लेना सच्चाई नहीं है। इस देश की अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत श्री देवी लाल हरियाना के मुख्य मंत्री हुए उन्होंने ऐलान किया कि एक ही परचेजिंग संस्था केवल गवर्नमेंट ही होगी। इसको माननीय खाद्य मंत्री जी क्यों नहीं अपने मंत्रि परिषद् में पेश करते हैं। एक चीज जो सीमेंट के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात पेश की, बर्क साहब ने रेनी सीजन के बारे में कहा कि रेनी सीजन आ रहा है लेकिन सीमेंट की कठिनाई वही है। मकान बनवाने के लिए लोगों को बड़ी दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ रहा है जिसको थोड़ी सीमेंट की जरूरत है वह भी नहीं मिलती। तो रिटेल शाप 10 किलो, 5 किलो सीमेंट के लिए दुकान खुलनी चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि एम० एल० ए०, विधायक लोग अपने प्रार्थना-पत्र देते हैं, परन्तु सीमेंट मिलता नहीं है। अब आप जब सीमेंट देते नहीं हैं, तो मकान बनते भी नहीं। तो ऐसी व्यवस्था में आपके जितने आफिसर हैं जो नौकरशाही के सतून कहलाते हैं। अगर दुकानदार कोयला वगैरह नहीं मोहैया कर पाते हैं, तो उन्हें वे तो तंग न करें। कुछ माननीय सदस्यों ने कोयले की जो व्यवस्था बताई है, यह तो रसोईघर वालों को दिक्कत है। भट्ठी वाले जो कोयला 1100 रु० पर टन खरीदकर अपना कार्य करते हैं, जिनका सही रेट लगभग 200-300 रु० पर टन केवल है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में सब माननीय सदस्यों का जिन्होंने जनता पार्टी में होने के बावजूद सच्चाई को पेश किया, बांके जी का भी आभारी हूं जिन्होंने कहा दिल तो उखड़ता है आग लगा दूं, कोहतूर में, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जायेगा। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

नोट--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बाद में बोल लीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

गौरी शंकर जी ने हमारा दल ज्वाइन कर लिया है और यहीं से बोल रहे हैं ।

श्री मलिखान सिंह--

मैं सदन के सदस्यों का आभारी हूं जो उन्होंने इस समय अपने बहुमूल्य सुझाव दिये और विशेषकर सेठी साहब का जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा । मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा, समय के अभाव से बात करने का मौका नहीं मिला, उनको पूर्ण जानकारी नहीं है । जहां तक गल्ला खरीद का सवाल है कल 30 तारीख तक पूरे प्रदेश में 1041979 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया है जो पिछली खरीद से दुगने से कुछ कम है ।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

बोरे हैं नहीं, खरीद कहां से लिया ?

श्री मलिखान सिंह--

खरीदने के बाद गेहूं बोरों के अन्दर ही आया है और 10 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया इसमें बोरे लगते हैं । एक करोड़ चौबीस लाख के लगभग सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को बोरे दिये हैं । कल की खरीद तक 12379000 बोरे सरकार द्वारा बांटे जा चुके हैं । 18 लाख अब भी विभिन्न एजेंसियों पर हैं । जो कमी है वह कमिश्नरी लेविल पर है । कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं कहीं पर कम । लेकिन वितरण की बात जहां तक है, रोजाना कलकत्ते से हमारे यहां ढाई-तीन लाख बोरे आ रहे हैं । कमी का कारण क्योंकि हड़ताल बंगाल की फैक्टरियों में हुयी, रेलवे में हड़ताल हुयी, और जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जनवरी में इंडेंट गया तो पिछले साल से इस बार एक महीने पहले आर्डर गया है । यदि इंडेंट हमारा पहले पहुंच जाता तो हमको हड़ताल से पहले एक किश्त मिल जाती और कुछ कठिनाई का सामना न करना पड़ता । तो आज, जितना पिछले साल पूरे समय में खरीदा गया था उतने से थोड़ा कम आज तक खरीद लिया गया है और वह सब बोरों में आ गया है । यह कहना कि बोरों की कमी की वजह से खरीद नहीं हुई है यह सही नहीं है ।

मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले बार से इस साल खरीद केन्द्र ज्यादा किये गये हैं । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि खरीद केन्द्र देहातों में होंगे तो बिचौलिया कम आ सकगे क्योंकि व्यापारी नहीं पहुंच पाते हैं । तो इसीलिये हमने क्रय केन्द्र देहातों में दिये हैं इससे बिचौलियों को कम मौका मिला है और इसी कारण हमारी खरीद ज्यादा हुयी है । हमने सेंटर शहर के अंदर नहीं रखे हैं, नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर सेन्टर हैं और चेकिंग की व्यवस्था हर जगह पर मौजूद है । हमारी फूड सेल न भी चेकिंग की है । देहलवी जी ने पता नहीं किस आधार पर कह दिया, मैंने उनके कानपुर की चेकिंग किया है । मैंने वहां दो तीन केन्द्रों को पकड़ा है । इटावा में भी 3 केन्द्रों को पकड़ा है और सस्पेंड

[श्री मलिखान सिंह--]

किया। मैनपुरी में केन्द्र पकड़ा और सस्पेंड किया है। विभिन्न जिलों में सरप्राइज विजिट किया गया है। इसी तरह के आदेश अधिकारियों को भी दिये गये हैं लेकिन कहीं-कहीं पर जहां हमारे अधिकारियों ने पकड़ा वहां आन्दोलन खड़ा हो गया, तो जहां तक चेकिंग का सवाल है और खरीद का सवाल है दोनों तरफ ध्यान दिया गया है इसीलिये पिछले साल से अधिक गल्ला हमने खरीदा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

पिछले साल से कम्पटीशन क्यों कर रहे हैं?

श्री मलिखान सिंह--

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मई समाप्त होने जा रहा है। जून जुलाई तक जितना भी गल्ला आयेगा सरकार उस गल्ले को खरीदेगी और किसी तरीके से उस गल्ले को बिचौलियों तक नहीं जाने दिया जायगा। यदि इसमें कहीं कोई कमी है तो उस कमी को सरकार को इंगित करें, तुरंत कार्यवाही होगी।

दूसरा निवेदन मैं सीमेंट के बारे में करना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, सेठी जी जानते हैं कि सीमेंट का आबंटन केन्द्र से होता है। जितनी हमारी मांग है उतनी नहीं मिलती है, आवश्यकता से कम होती है। जहां चीज कम हो और मांग ज्यादा हो तो वहां समस्या अवश्य आती है। इसकी वितरण प्रणाली में, यह नहीं है कि गांवों में न जाती हो, 50 फीसदी विकास क्षत्र को दिया जाता है जिससे सीमेंट किसान तक पहुंच सके। उसका वितरण सही हो इसके लिये वहां पर रजिस्टर मेन्टेन है और यह कह रखा है कि हर तिमाही का विवरण अधिकारी भेजें। क्षेत्रीय विधायक को सूची जाय जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि फलां-फलां व्यक्ति को जो सीमेंट दिया गया है वह सही है या गलत है। इस तरह का आदेश वितरण प्रणाली के लिये किया गया है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

सीमेंट के बाद मिट्टी के तेल का जहां तक सवाल है, मिट्टी का तेल मार्च में तो कम आया था लेकिन हमको केन्द्र से आबंटन जितना पिछले साल हर महीने में मिला था उतना ही मिल रहा है और इस तरह की कोई कमी नहीं है। जून और मई मिट्टी के तेल के कंजम्पशन के महीने हैं लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है।

माननीय, कोयले की कमी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं सफ्ट कोक जलाने के काम आता है और यह पर्याप्त मात्रा में है लेकिन रेलवे वैगन की कमी के कारण हमें नहीं मिल पाता है और ट्रक से जो लाते हैं वह तेज पड़ता है। लेकिन ट्रकों की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। दूसरे प्रकार का स्लैक कोयला को ईंट के भट्ठों में इस्तेमाल होता है वह भी रेलवे वैगन्स की कमी के कारण जितना मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। माननीय, जनवरी से मई के अन्त तक हमें केवल दो रेक कोयला, इस महीने, आवंटित हुआ है। इसलिये वैगन्स की कमी के कारण हमने ट्रकों को एलाऊ किया है जिससे ईंट की यहां कमी न हो और निर्माण कार्य पूरे हो सकें।

माननीय, बोरों की रेगुलर व्यवस्था के लिए सरकार ने जो काम किया है वह यह कि बंगला देश से 51 लाख बोरे हमने ले लिये हैं जो कलकत्ता से चलना

शुरू हो गये हैं। उधर पी० सी० एफ० को दो करोड़ रुपये देकर 32 लाख बोरे ले लिये थे जिसमें से 28 लाख का इंडेन्ट मिल गया है और कलकत्ता से चल रहे हैं। इसलिए मान्यवर, बोरों की कमी नहीं होगी जिसके कारण गल्ला कहीं रुके।

मान्यवर, पहाड़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पिछले साल बाढ़ आयी थी तो राशन की कमी से वहां कठिनाई पैदा हो गयी थी इसलिये बाद में वहां राशन भेजना पड़ा। लेकिन इस साल शासन व्यवस्था कर रहा है कि 15 जून तक वहां गोदाम में भर दी जायं जिससे बरसात में कहीं गल्ले की कमी न हो सके।

मान्यवर, बोरों के सम्बन्ध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष के लिये शासन ने तय कर लिया है कि हम इकट्ठे बोरे खरीदेंगे क्योंकि खरीफ और रबी के लिए हर साल बोरों की जरूरत पड़ेगी इसलिई जुलाई-अगस्त में ही इतने बोरों की व्यवस्था करेंगे जिससे सम्भव है कि अगले वर्ष इस प्रकार की समस्या नहीं होगी।

मान्यवर, हमारे दूसरे विभाग नाप-तौल के सम्बन्ध में जैसा कहा गया है तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसका भी हमने विकेन्द्रीकरण किया है। मान्यवर, डंडी न मारी जाय उसके लिए पूरे प्रदेश में आदेश हमने कर दिये हैं कि इस तरह की चेकिंग और सर्वे हो जिससे डंडी से तुलाई न की जाय और कांटे से तुलाई हो और जो गलत बांट रखकर तौलते हैं उनका चालान किया जाय।

इसके बाद मान्यवर, इस विभाग में अभी तक सर्विस रूल्स नहीं बने थे लेकिन अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बना दिये हैं जिससे उनके प्रमोशन और दूसरी कठिनाइयां दूर होंगी। राजपत्रित अधिकारियों के लिए रूल्स अभी तय होना बाकी है।

दूसरी चीज, मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में कही गयी और उसको केन्द्र से भी जोड़ दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, यह मुझे नहीं मालूम। अखबारों में क्या लिखा है, इस पर जब तक पूरा विश्वास न हो, उसकी पूरी जांच न कर ली जाय, तब तक उसके बारे में यहां पर कुछ कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई माननीय सदस्य या जनता का व्यक्ति हमारे कार्यालय में लिखकर को भेजेगा, प्रमाण के साथ में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि शिकायत आती है, लेकिन बाद में जब मौके पर जांच करने के लिए गये, तो ज्यादातर पत्रावलियों में मैंने देखा कि मना कर दिया गया कि मुझे कोई शिकायत नहीं है,— प्रार्थना-पत्र रद्द समझा जाय— प्रमाण मजबूत देंगे, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हमारे विभाग का, बख्शा नहीं जायेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

हमारे मन्जूर साहब को तो बक्स देंगे ?

श्री मंजूर अली सिंह—

वह तो अधिकारि हैं, पुराने साथी हैं और आप भी। सभी जानते हैं कि कार्य-पद्धति क्या है।

[श्री मलिखान सिंह]--

तो, मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर क्योंकि अभी चन्द्रावती जी का भी अनुदान आने वाला है --माननीय सेठी जी से कहूंगा कि यह तो ऐसा बजट है जिसको पसे की और आवश्यकता है और आप कटौती की बात करते हैं। आप तो कहते हैं कि पहाड़ों पर भी गल्ला पहुंचे, किसानों का गल्ला खरीदा जाय, तो इसमें कटौती की बात कहां ? उसमें बढ़ोत्तरी की बात है। इसलिये आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको वापस ले लें और हमारे अनुदान को सर्वसम्मति से पास करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस नहीं लेता।

श्री गनेशी लाल चौधरी(जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी, मान्यवर, जब भी खड़े होते हैं, बोरों की भरमार कर देते हैं। यहां तो भरमार है, लेकिन खरीद केन्द्र पर कहते हैं कि बोरे नहीं। मालूम नहीं, कौन-सी बात सही है। मंत्री जी की या वहां की। यहां तो बोरे इफरात हैं, और वहां मिल नहीं रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप यहां से जाकर देखेंगे, तो पायेंगे कि बोरे मिल रहे हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, कीमतों के नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं। जनपद लेविल पर आदेश दिये कि प्राइस लिस्ट लगायेंगे। तो किस आधार पर लगायेंगे ? प्राइस नियंत्रण के बारे में नहीं बताया ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, मैं सेठी साहब को बता देना चाहता हूं कि यह तो पहले से ही लिखा है कि हर दूकान पर प्राइस लिस्ट टांगेंगे। जिस दूकानदार की दूकान पर प्राइस लिस्ट नहीं होगी, हमारे अधिकारी चालान कर देंगे।

दूसरी चीज--आपने भाव की बात की। मान्यवर, केवल बजट की वजह से उतने ही भाव बढ़े हैं। अंधाधुन्ध भाव बढ़ने की जो बात कही गयी है, वह नहीं है। जितना बजट बढ़ा है, उतने ही बढ़े हैं। एक रुपया प्रति किलो डालडे पर बढ़ गया है और उसी हिसाब से कुछ पैसा बढ़ा है। आपने आंकड़े देखें होंगे। एक ही आधार देखना होगा कि जब शकर दो रुपया पर थी तो गन्ना लकड़ी के भाव थी या नहीं। इसलिये गन्ने और गुड़ की वजह से परसेंटेज ऊंचा दिखाई देता है, नहीं तो 5% से ऊपर नहीं बढ़ा है।

श्री देव बहादुर सिंह--

बढ़ा है।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो किसानों को हफ्तों भुगतान नहीं होता, उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया ?

इसीलिए किसानों का शोषण हो रहा है और बिचौलियों को संरक्षण मिल रहा है जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते मूल्य पर उनका गल्ला खरीद लेते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मंत्री जी ने दो-एक चीजों की घोषणा की वह तो ठीक ही है । मैं एक बात नीति को जानना चाहता हूं । जिला स्तर पर खाद्य समितियां आपने बंद कर दी । जो वितरण व्यवस्था है उसमें अगर आप विरोध पक्ष का सहयोग लेना चाहते हैं तो उनको भी शामिल करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

खाद्य समितियां 15-20 जून तक बन जायेंगी और उनमें विरोध पक्ष और सभी राजनैतिक दल के लोग रहेंगे । उसको हम इतना प्रभावशाली बना रहे हैं कि उसके निर्णयों की अवहेलना अधिकारी न कर सकें ।

श्री औसान सिंह—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । पेमेन्ट के बारे में था ।

श्री मलिखान सिंह—

पेमेंट दूसरे दिन मिल जाना चाहिए यह आदेश हैं । उसमें कोआपरटिव सेन्टर्स में कुछ कठिनाई है । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि लिफ्टिंग नहीं होती । अगर मौके पर माल पड़ा रहेगा और एफ० सी० आई० को डेलीवर नहीं होगा । तो भुगतान नहीं होगा यह कठिनाई इसलिए थी कि पाइपलाइन में ज्यादा गेंहूं पड़ा हुआ था । यह 60 परसेंट था जिसको घटाकर अब नीचे ले आय हैं । अब यह शिकायत दूर हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62 संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,01,83,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101 संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,86,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## 1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 88--क-हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग--पूंजीगत परिव्यय

*हरिजन कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,86,22,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-क-हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 60,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, क्योंकि मेरा जो बजट था उसे तीन बजे शुरू होना था इसलिए मैं यह जानना चाहूंगी कि कितना समय इसके लिए निर्धारित किया गया है ताकि मैं उसी के अनुसार अपना कार्य करूंगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय कोई निर्धारित नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि यह साढ़े पांच, पौने छः बजे तक समाप्त कर दिया जाय । आप 5-7 मिनट बोल लें या माननीय सदस्यों को सुनने के बाद बोलें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह हरिजन समाज कल्याण विभाग है इसलिए इसके लिए समय बहुत ही कम है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो 6 बजे तक है । माननीय सदस्यों की दिलचस्पी देखेंगे तो समय बढ़ाया जा सकता है ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं संक्षिप्त में इस विभाग के बारे में चर्चा करूंगी क्योंकि जो सुझाव माननीय सबस्य इस बारे में देंगे उससे यह विभाग ज्यादा लाभन्वित होगा ।

मान्यवर, यह जो विभाग है इसमें समाज कल्याण की स्थापना 1955 में हुई और हरिजन विभाग की स्थापना 1948-49 में हुई । मान्यवर, समाज कल्याण विभाग जो है इसमें समाज के पीड़ित, महिलायें और बच्चे हैं जो निराश्रित हैं, उनसे यह विभाग सम्बन्धित है और जो हरिजन विभाग है वह हरिजन जनसंख्या के अनुसार है । इस विभाग को मैं मान्यवर, यह कहू कि यह बहुत ही मासूम और सर्वभौम और प्रगतिशील विभाग होना चाहिए था लेकिन इसके विपरीत इस विभाग को एक अनाथ की दृष्टि से देखा गया (तालियां) सर्वभौम की जगह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया और उपेक्षा के भाव में रखा गया । प्रगतिशील होने के नाते इसका जो बजट है वह अप्रगतिशील के भाव में रखा गया है । (शेम, शेम) मान्यवर, इसको प्रगतिशील बजट होना चाहिए क्योंकि इसका सम्बन्ध समाज के उन व्यक्तियों से है जिनकी आबादी प्रति वर्ष बढ़ती रहती है । उसी अनुपात में इस विभाग का बजट भी बढ़ना चाहिए था । लेकिन गत तीस वर्षों से इसकी जिस प्रकार से उपेक्षा की गयी वह एक शोचनीय और दुःख का विषय है ।

मान्यवर, जिस वक्त यह विभाग बनाया गया तो एक ऐसे मन से इसे बनाया गया जैसे किसी दान देने वाले के जेब में नोट भरे हों और केवल दस पैसे निकाल कर किसी भिखारी को दे ।

ठीक इसी प्रकार से इस विभाग की रचना हुई जिसमें वह साधनहीन बना हुआ है और जो अधिकारी काम करने के लिये भेजे जाते हैं उनमें भी हीनता का भाव भरा रहता है । जो अधिकारी किसी दोष से ग्रसित हो जाता है वह इस विभाग में डाल दिया जाता है । उसका मनोबल पहले ही गिरा हुआ होता है जिससे वह उतना नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिये । इस विभाग के अधिकारियों में एक कमी है कि वह मन से समाज सेवा के भाव से इसमें काम नहीं कर पाते हैं और जिस प्रकार से दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसी प्रकार से यह विभाग भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है । इस विभाग में उन पुरुषों तथा महिलाओं की दशा को सुधारने की बात है जो हमारे समाज द्वारा प्रताड़ित किये गये होते हैं । यह विभाग सुर तथा असुर प्रवृत्तियों का स्थल है । समाज में किस प्रकार से उन स्त्रियों का जीवन व्यतीत होता है पुरुष जाति इसको नहीं समझ पाता है । जो बच्चा विकलांग है, निराश्रित है या जो परिव्यक्त कर दिया गया है उनकी देखभाल किस प्रकार से इस विभाग के अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिये यह सोचने का विषय है । यह भी विचारणीय विषय है कि शासन द्वारा बहुत कम बजट इसमें दिया जाता है और हमेशा हमारा मनोबल गिराने की बात की जाती है और कहा जाता है कि ज्यादा रुपये का इसमें क्या होगा ?

[श्रीमती चन्द्रावती---]

मान्यवर, दूसरे विभागों का रुपया हर वर्ष बढ़ जाता है उसी अनुपात से इस विभाग का बजट भी बढ़ना चाहिये । जिस वक्त में इस विभाग की स्थापना हुई है तब से जितने अधिकारी इसमें थे उनमें आज तक कोई बढ़ोत्तरी, आज तक नहीं की गयी । अगर मैं यह कहूं कि उनके पास कार्य करने के लिये कोई साधन नहीं हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । इस विभाग की जो हाइयेस्ट अथारिटी मानी जाती है उसके पास न जीप है, न टेलीफोन है, न उसके पास अलग बैठने के लिये कमरा है । इससे कितनी हीनता की भावना पैदा होगी जब हम सुनते हैं कि उसको कचेहरी में एक अन्धेरी कोठरी में बिठा दिया जाता है । इससे उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा और वह क्या काम करता होगा, क्या उसकी मनोवृत्ति होगी ? जो समाज कल्याण अधिकारी इस विभाग का जिले में होता है वह मेरे लिये डाक बंगले का रिजर्वेशन नहीं करा पाता है । उसको हीनता की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि साधनहीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता है । मैं सदन के सामने माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि जहां आप आलोचना करें वहां इस बात के लिए भी आप मुझे सहयोग दें कि इस विभाग के अन्दर जो कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जा सके । जब तक मुझे आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मैं शासन से अपने प्रयास में असफल रहूंगी । मान्यवर, यह मैंने अपने विभाग की कुछ त्रुटियां और साधनहीनता बतायी । अब मैं दूसरी तरफ आती हूं । 1971 की जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1 करोड़ 85 लाख है और समूचे देश की अनुसूचित जातियों में से इस प्रदेश की अनुसूचित जाति का नम्बर चौथा था । यानी सम्पूर्ण देश की अनुसूचित जातियों के लोगों में से हर चौथा व्यक्ति इस प्रदेश में रहता है । प्रदेश में लगभग 2 लाख अनुसूचित जनजातियां हैं । मान्यवर, प्रदेश में 66 अनुसूचित जातियां हैं, 70 विमुक्त जातियां हैं और 58 पिछड़ी जातियां हैं । इस तरह से इन पिछड़े वर्गों की आबादी आधे से कुछ कम ही है ।

मान्यवर, इस विभाग के उत्थान के लिए कितना धन दिया जाता है । 30 करोड़ इस साल बजट में है और पिछले वर्ष से इस समय इसका बजट 9 करोड़ रुपये से बढ़ा है । इतने धन में हमको इस विभाग के और पूरी जनजातियों का उत्थान करना है, बच्चों का उत्थान करना है । इसमें हम तीन तरह के कार्यक्रमों द्वारा इस लक्ष्य का उत्थान कर रहे हैं---वे हैं शैक्षिक कार्यक्रम, आर्थिक और आवास निर्माण । ये तीन कैटेगरीज हैं जिनके मातहत हम कार्य कर रहे हैं ।

इसके साथ ही मैं थोड़ा सा वित्त निगम के बारे में जिक्र करना चाहती हूं सन् 75 में अनुसूचित वित्त विकास निगम बना था और इस समय उसमें 2 लाख रुपये की अंश पूंजी थी और बाद में 35 लाख कर दिया गया । 4 साल से लगातार इस वित्त विकास निगम में ऐसा कार्य कोई नहीं हुआ जो सराहनीय हो लेकिन पिछले साल से इस विभाग में 1 करोड़ 18 लाख रुपये का अंशदान इस निगम का उपलब्ध कराया गया । भारत सरकार ने 49/50 के अनुपात से हमें इस वर्ष 1 करोड़ 59 लाख रुपय की धनराशि देना स्वीकार किया है । इस प्रकार वित्त विकास निगम के पास पौने 4 करोड़ की अंश पूंजी हो जायेगी । व्यावसायिक बैंकों से रियायती दरों पर ऋण की सुविधा लेकर 10 करोड़ रुपये की पूंजी अनुसूचित जाति के निम्न वर्ग और बेरोजगार लोगों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए उपलब्ध हो सकगे । इस कार्य प्रणाली से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है उसके बारे में मैं जिक्र कर देना चाहती हूं कि 6000 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत

किया गया था वह वितरित कर दिया गया है और पशुपालन विकास योजनाओं तथा बैंकों के माध्यम से गत वर्ष ढाई हजार व्यक्तियों को मार्जन मनी और ब्याज अनुदान दिया गया है। इनमें 22.21 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत किये गये। 1837 व्यक्तियों को 17.15 लाख रुपया निगम द्वारा ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है और उनको राहत पहुंचाई गई। 18 सौ व्यक्तियों को 62 लाख विविध व्ययों के लिए 4 परसेन्ट ब्याज की दर पर दिया गया है। यह इसके कार्यों का विवरण रहा। इस वर्ष लगभग 24 हजार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की योजना है।

जब से हमारा वित्त विकास निगम बना है और जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय आये हैं यह बड़े परिश्रमी और कुशल हैं और उनकी मेहनत से इसमें काफी काम हुआ है। जो नीचे के गरीब हैं उनको पहले कम लाभ होता था और जो ऊपर के अमीर हरिजन हैं उनको ही लाभ मिलता था, अनुदान मिलता था। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि जो हरिजन स्थायी समिति है उसके सामने भी यह चीज है। नीचे के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात है। मेरठ जनपद में जिस वक्त कमेटी बैठी उनके सामने भी गरीबों को चैक द्वारा दिया गया था, यह बात प्रेक्टिकली विधायकों के सामने हुई। हमने अब निर्णय लिया है कि हर तीन महीने में रीजनल कमेटियां हुआ करेंगी और जितनी अर्जियां होंगी वह उनके सामने दी जाया करेगी। यह हमने कार्य प्रणाली बनाई है।

छात्रवृत्तियों में भी कमियां बतायी गई हैं उनको भी हटाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। लेकिन जो चोर होता है उसके अन्दर चोरी करने के गुण छिपे रहते हैं और वह चोरी करने की बात अच्छी तरह से जानता है। छात्रों के लिए पास बुक बनाई गई तो उसमें भी पता लगा है कि काट कर अपना परसेंटेज लेकर अपना काम चला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अगर कोई चीज इस तरह की होती है तो उसको ठीक करने में समय लगता है। जब तक अधिकारी वर्ग की भावना में अन्तर नहीं आता तब तक सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने सद व्यवहार से आदेश स्पष्ट कर दिए हैं कि जो अधिकारी इस तरह से दोषी होंगे वह चाहे किसी की सिफारिश लेकर आये उनको कोई राहत नहीं मिलेगी।

एक और बात महिलाओं की समस्या के बारे में है जिसको मैं यहां रखना चाहूंगी उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा और उसके लिए आभारी हूंगी। सन् 75 महिला वर्ष मनाया गया था और उसमें 10 लाख रु० महिला वर्ष के उपलक्ष्य में दिया गया जैसे कि इस वर्ष बाल वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है जिसके लिए 1 लाख रु० का अनुदान बाल वर्ष मनाने के लिये दिया गया है और 9 लाख रु० की एक निधि कायम की गई है जिसमें भवनों के लिए तीन लाख की अलहदा व्यवस्था की गई है जिसमें जिला स्तर में भवन बनाये जायेंगे। उसी तरह से महिला वर्ष में 10 लाख महिला वर्ष मनाने के लिये दिया गया लेकिन अब उसमें शासन चाहता है कि नयी विधवाओं को पेंशन न दी जाय और वह राशि वापस कर दी जाय।

मान्यवर, जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं की संख्या आधी है। यह जो राशि महिलाओं को दी गई है। उसको वापस लेने की बात हो रही है। यह योजना 1983 तक मनायी जायेगी तो उसमें कितनी विडम्बना है कि उसमें 1975

[श्रीमती चन्द्रावती--]

से लगातार 10 लाख की बढ़ोत्तरी का बजट होना चाहिए था लेकिन बढ़ोत्तरी के बजाय उसको कहा जाता है वापस कर दिया जाय। इस वक्त इसमें एक लाख की व्यवस्था की गई है उसको विधवाओं के भरण पोषण के लिए व्यय किया जायेगा वह धनराशि कम है। अब मैं कुछ निवेदन निराश्रित लड़कियों के बारे में करना चाहती हूं समाज से ठुकराई हुई जो लड़कियां और लड़के आते हैं, उनको हमारे यहां इन संस्थाओं में रखा जाता है। उनको पिछले वर्ष तक 70 रुपया मासिक दिया जाता था, उनके लिए अब 100 रुपया प्रति मास भरणपोषण के लिए बढ़ाकर रख दिया गया है साथ ही मैंने यह भी कोशिश की है कि जो लड़के-लड़कियां इस विभाग से प्रशिक्षण और सुरक्षा पाते हैं और जिन पर हम 15-20 हजार रुपया व्यय करते हैं--उनको जिस वक्त 18 वर्ष की अवस्था होती है, संस्था से मुक्त कर दिया जाता है, जबकि यह अवस्था हमेशा बालक-बालिकाओं के बिगड़ने की रहती है, तो यह कैसी व्यवस्था है कि उसकी इसको खतरनाक अवस्था में सड़कों पर छोड़ दिया जाता है चाहे वह जहां जाये। अतः हमने विभाग में आदेश दिये हैं कि जो ऐसे स्कूलों से लड़के-लड़कियां हैं, उनको पहले अपने विभाग में ही लगाया जाय।

दूसरे विभागों में जैसे आरक्षण की नीति चल रही है, उसमें यह भी किया जाय और इन बच्चों को फर्स्ट प्रिफरेंस दिया जाय। इस ओर हमने प्रयास किया है और काम भी शुरू हो गया है। मैंने 7 लड़कियों को जो विभाग से निकली हैं, उनको लिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक लड़की है और 3 लड़कों को अपने विभाग में नौकरी दी है। अभी जब मैं कानपुर अपने दौरे पर गयी थी, तो मैंने वहां जाने पर पाया कि एक लड़का जो स्कूल से छूट गया है, एम० काम० फर्स्ट क्लास है, किन्तु अब घूम रहा है। मैं उसे देखकर दुखी हुई कि इस बच्चे का जीवन कितना अंधकारमय है और ऐसी हालत में तो यह गुण्डों के चक्कर में आकर फर्स्ट क्लास गुण्डा बन सकता है। अतः हमने उसको अपने विभाग में रख लिया, जो इस वक्त डायरेक्टरेट में है। मैं अपने अन्तःकरण से ऐसे कामों को सही समझती हूं और ऐसे ही कामों द्वारा विभाग का और समाज का सुधार हो सकता है और इस ओर भी ध्यान दिया गया है कि ऐसे लड़के-लड़कियों की शादियां भी दहेज रहित विभाग द्वारा सम्पन्न करायी जा सकती हैं, और दहेज राशि की दुगुनी राशि का उन्हें बैंक बैलेंस दे दिया जाए। तो इससे अधिक इस विभाग से कोई सुधार नहीं हो सकता है। अभी मुझे माननीय सदस्यों के सुझावों से आभारी होना है और मुझे आशा है वह अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे। आलोचना के लिये तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। उनमें से कुछ के बारे में तो मैं सोच पाती हूं और कुछ पर सोचने के लिये हमें आपके सुझावों की अवश्यकता होगी। और यह अच्छे अच्छे सुझाव यहां वादविवाद से सामने आएंगे। मुझे आपके सुझावों के सहारे की जरूरत है और मैं उन्हीं की बहिन हूं। मैं चाहूंगी कि चूंकि मैं और यह विभाग खुद ही गरीब है, इसलिए वह मेरी कटौती करेंगे तो वह पुण्य से वंचित होंगे। आप एक नयी परम्परा प्रारम्भ करें और कटौती के स्थान पर कम से कम एक रुपया इस विभाग के लिये दान कर दें।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा तो नहीं है मंत्री जी कि कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करके इस विभाग को तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं है सरकार के पास। कहीं कटौती का प्रस्ताव तो यह नहीं मानने जा रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गुलाब सेहरा कटौती का प्रस्ताव पेश करें ।

(गुलाब सेहरा के खड़े होने पर)

श्री गौरीशंकर ऐडवोकेट (जिला इटावा)--

इतना स्पष्टवादी और अच्छा भाषण होने के बाद भी क्या वह अपने कटौती प्रस्ताव की आवश्यकता समझते हैं ?

श्री मोतीराम--

यह आश्वासन ले लें कि यह डिपार्टमेंट टूट तो नहीं जायगा ।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--हरिजन सहायक एंव समाज कल्याण विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88--क--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री उपाध्यक्ष--

सेहरा साहब, आप 15 मिनट में समाप्त करें ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मंत्री महोदय अगर भाषण न देतीं तो मैं और कम बोलता । लेकिन उनका भाषण इस ख्याल से हुआ है कि यह विभाग हीन भावना से ग्रस्त है । मुझे लगा कि यह हीन भावना मुझे देखने को मिली क्योंकि परम्परा रही है पिछले वर्षों की कि हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग के अनुदानों पर सदैव एक दिन मिलता रहा है लेकिन जनता पार्टी खुद इस बात की आमादा है कि इस विभाग को कोई महत्व नहीं देती । इस लिए आधे दिन का अनुदान रखा है जब कि इसमें उन परगणित और दलित लोगों की भावनाएं हैं, कि वह इस विभाग पर कुछ न कुछ अपनी बात कहें । सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि जिसको दंड देना हो उसको इस विभाग में भेजवा दिया जाय । मैं कहता हूं कि दंड आप को भी दिया गया । गन्ना विकास मंत्री से नाम पड़ गया था गन्ना विनाश मंत्री । यह हालत हो गयी कि गन्ना अब अंक नहीं उठ पाया । वहां का आंगन साफ कर आयीं । इसी दृष्टिकोण से हरिजन कल्याण विभाग को दिया गया । वहां आप विनाश कर आयीं । जहां जहां संतन के पग पड़ते हैं वहां वहां बंटाधार हो जाता है । हीन भावना से ग्रस्त हैं इस लिए हरिजन विभाग आप को दिया । आप मंत्री महोदय हैं । सचिव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुलाब सेहरा--]

एम० बी० लाल हैं। जिनके लिये कहा जाता है लुक हियर सी देअर। भगवान जाने विभाग लेगा या नहीं। बहुत लम्बी चौड़ी बात की गयी। यह जो बजट पेश किया गया इसमें एक बड़ा भुलावा दिया गया। अगर याद हो मंत्री महोदय को, पिछले वर्ष 22 करोड़ के लगभग बजट था।

श्रीमन् इस वर्ष 28 करोड़ की बात आयी। यह कहा जायगा कि हरिजन कल्याण बजट में 6 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व व्यय के ब्योरेवार के अनुसान, पेज नम्बर 510। इसमें बड़ा खुला लिखा है आयोजनागत और आयोजनेतर, दोनों की संख्या लिखी है। अनुसूचित जाति का कल्याण और अनुसूचित जनजाति का कल्याण इसमें एक नयी जाति जुड़ गयी है पिछड़ा वर्ग। बैकवर्ड्स का इस वर्ष आरक्षण हो गया, और उनको सुविधा मिल रही है। हरिजनों के लिए पिछले बीस वर्ष में इस संख्या तक पहुंचना होगा। लेकिन केवल पिछड़े वर्ग के नाम पर श्रीमन् आप देखें कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये 5,96,88,256 रु० और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये 43,63,530 रु० 1977-78 में आयोजनागत थे अब आप 1978-79 को देखें कि आय-व्ययक अनुमान 6,19,30,000 रु० रखा गया और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 7,32,20,000 रु० रखा गया। बैकवर्ड क्लास को रुपया देने के बाद यह कहा जाता है कि हरिजन बजट में पैसा बढ़ाया गया है। जो आपकी आरक्षण नीति है और उसको आप सफल बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग से एक विभाग बनाये। पिछले साल इस विभाग का बजट 22 करोड़ का था और इस साल 28 करोड़ का है।

मान्यवर, आप आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र को देखें और 160 पेज पर देखेंगे कि कितना रुपया किस-किस को दिया गया है। यह जो रुपया बढ़ा है उसमें किस मद में सबसे ज्यादा खर्च होगा वह भी पिछड़े वर्ग में होगा। पिछड़े वर्ग को 6 करोड़ रुपया आपने दिया है। इसमें उसकी पूरी तफसील दी हुई है। 30 वर्ष के शासन में कहा गया कि इस विभाग की उपेक्षा की गयी है। मैं बताना चाहता हूं कि 30 वर्ष के शासन काल में चौधरी चरण सिंह, चन्द्र भानु गुप्त, टी० एन० सिंह और बहुगुणा जी भी रहे हैं और जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं वह भी मंत्री मंडल में रह चुके हैं। मैंने राजस्व व्यय की बात बतायी। शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं आप देख। मैं इस हरिजन बजट के बारे में कह देना चाहता हूं, जब मैं सत्ता पक्ष में था तो हमारी पंचवर्षीय योजना में जो हरिजनों पर खर्च होने वाला था उसमें बढ़ोत्तर नहीं हुई बल्कि घटौतरी हुई। पंचवर्षीय योजना में टोटल प्लान में जो परसेन्टेज था वह पहले वर्ष में 2.09, चौथा प्लान में दूसरे वर्ष 2.36 और तृतीय में 0 हो गया और फिर 0 से लेकर .9 रह गया और चौथे साल केवल .69 रह गया। पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के उत्थान पर जो रुपया खर्च होना चाहिए था वह बढ़ा नहीं है बल्कि उस में घटौत्तरी हुई है। मुझे खेद है कि इस साल 3 लाख के करीब जो छात्रवृति का रुपया था वह लैप्स हो गया।

दूसरी बात मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको हरिजनों का उत्थान करना है तो पांचवी कक्षा से छात्रवृति कम्पलसरी कर दीजिये। आपको आरक्षण करना है तो हमें एतराज है क्योंकि इस में संपन्न जातियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है

आप बहुमत में हैं, सत्ता में हैं जो चाहे करें। अपने मेरिट में 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत निर्धनों पर दशमोत्तर के लिए बैकवर्ड के लिए पूरा दिया है। अगर आप हरिजनों को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें 6ठें, 7वें दर्जे से दीजिए। दशमोत्तर के बाद मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि वे 9वीं कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।

वित्त निगम की यहां पर बड़ी तारीफ की गयी। बड़े जोर शोर से उसकी पंजी 3 1/4 करोड़ रुपया बतायी गयी। लेकिन मेरा निवेदन है कि 3 1/4 करोड़ पूंजी तो ऐसे कितने ही कन्सर्न हैं जिनकी है। जब यह वित्त निगम बना था तो इसका केपिटल 25 लाख रुपया रखा गया था। वर्ष 1970 से यह बना है। इस 6 वर्ष में इन निगम की पूंजी 6 1/4 करोड़ रुपया है। अब कहा जा रहा है कि सेन्टर से अनुदान आयेगा। इन्होंने तो केवल 50 लाख रुपया ही दिया है। बारिश का इन्तजार किया जा रहा है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बारिश करेगी और वित्तीय निगम को रुपया मिलेगा।

आर्थिक क्षेत्र में उद्योग धन्धे लगाने के लिए लफ्फाजी का बहुत काम किया है लेकिन आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, यह बजट मधुकर दिघे जी का बजट है। इनमें शब्दों का बड़ा जाल है। कहा गया कि हरिजनों का बड़ा आर्थिक और सामाजिक कल्याण होगा लेकिन यथार्थ रूप में कहीं भी देखने को नहीं मिला है, यह जो किताब छपी है यह भी पुराने पेटर्न पर ही। मुझे तो विभाग की हीन भावना को देख कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ है। जिस विभाग के लोग अपने मन्त्री के लिए डाक बंगला भी रिजर्व नहीं करा सकते हैं, उसमें मन्त्री जी को रहना नहीं चाहिए या आप खुद रिजर्वेशन नहीं करा सकती तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे इस विभाग का उत्थान करायेंगी ?

इन्टरव्यूज में जाने के लिए हरिजनों के लिए कुछ रुपया तय किया गया है, शायद वह दो लाख रुपया रखा गया हैं लेकिन उसमें से कुल 1976 रुपया ही खर्च हुआ। किसी विभाग के आदमी ने कोशिश ही नहीं की कि इसका प्रयोग कराया जा सके। वर्ष 1978-79 में छात्रवृत्तियों के प्राविधान और उसके विवरण को देखिये। इस पुस्तक के पेज 92 को देखिए जिसमें उत्तर प्रदेश में हरिजनों एवं समाज कल्याण के बारे में वर्ष 1978-79 में पिछड़ी जातियों को शिक्षा सुविधा देने के लिए 6 करोड़ 83 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है प्लान के परिव्यय के बाहर। अनुमान यह था कि वह धनराशि खर्च हो जायेगी। श्रीमन्, पहले वष में 6 करोड़ रुपया दे दिया गया। मुझे याद है जब 1952-53 में 6 करोड़ का बजट नहीं था। केवल 1 करोड़ रुपये का पेड अप कैपिटल था।

उद्योग धंधों में देखिये कि आप क्या सहायता दे रहे है ? आप कहते हैं कि डाक्टर, इन्जीनियर, वकील आदि जो डिग्री ले कर जायगा उसकी आप मदद करेंगे। मगर क्या देंगे 2,000 रुपये। इससे तो एक पान की दूकान भी आज कल नहीं खुल सकती। उद्योग विभाग की ओर से वित्त निगम भी कुटीर उद्योगों के लिये सहायता करेगा यह कहा गया है। पेड अप कैपिटल का 50 प्रतिशत वह देगा। कोआपरेटिव सोसाइटी को आप 10 हजार देंगे। इसमें कोई कारोबार चल ही नहीं सकता है। इतने कम पैसों के कोई कुटीर उद्योग नहीं चल सकता। (व्यवधान) जो यह लोग डलिया बनाते हैं वह काम भी 3 हजार रुपये में चलने वाला नहीं है,

[श्री गुलाब सेहरा--]

फिर 3 हजार किसी को दिया नहीं जाता, 3 हजार के लिये यदि कोई प्रार्थना-पत्र देता है तो वह किसी को 1,500 तो किसी को 2 हजार मिलते हैं, 2,500 से ज्यादा आज तक वित्त निगम ने किसी को नहीं दिये हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसकी पेड अप कैपिटल को भी बढ़ाइये। जो फाइनेंशियल इन्सटीट्यूशन्स हैं जैसे इन्श्योरेन्स वगैरह इनसे आप मदद लीजिये। जहां इन लोगों की 2 करोड़ की आबादी हो वहां यह सहायता ऊंट के मुंह में जीरा है।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर आप अधिकारियों के लिये सुविधायें दें, उनके लिए दफ्तर की व्यवस्था कराइये, गाड़ी भी दीजिये। सामान्य प्रशासन पर चर्चा में बोलते हुए मैं चौधरी साहब के परिवार को गिनाया था, माननीय चन्द्रावती जी आप भी उनमें से है, आपका तो इतना जोर है कि आप कुछ कर सकती है, इन हरिजनों के लिए। यह लोग आपको याद करेंगे, इनकी आप कायाकल्प कर सकतीं है। आपकी एप्रोच तो ऊपर तक है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता है। (व्यवधान)।

मैं मान्यवर, बड़ी बहिन से निवेदन कर रहा था कि अभी भी चौधरी साहब का दबदबा बहुत है और आप कुछ कर सकती हैं। जो जिला स्तर पर हीन भावना है उसे आप खत्म कर सकती हैं। आपने वित्त विभाग को कागज भेजे भी है। मैं क्या कहूं जिस अनुदान पर पूरा दिन मिलता था उसमें भी कटौती हो गयी है। मैं घास काटने वाला नहीं हूं, अगर उपाध्यक्ष जी, आप वक्त नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं यह कह रहा था कि श्रीमन्, हरिजन उत्पीड़न एक नई चीज बनी है। हरिजन की पिटाई करो और मर जाय तो यह जनता सरकार उसको 5 हजार रुपया देगी। घायल हो जाय अपंग हो जाय, तो एक हजार रुपये देगी। इससे पहले किसी सरकार ने पहले से कफन का इन्तजाम नहीं किया।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यह हरिजन विभाग पर क्या बोल रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

1977-78 में हरिजन उत्पीड़न के लिए 6 लाख रुपया रखा गया। आप आश्चर्य करेंगे हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं होम के धनिकलाल जी मण्डल, उन्होंने यह कहा कि यू० पी० टाप्स इन एट्रासिटीज। 1 अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक के आंकड़ें दिये हरिजन उत्पीड़न के, इस आंकड़े में है कि 174 लोग हरिजन मारे गये। 5 हजार रुपये को 174 से गुणा कर लीजिये। तो यह उत्पीड़न में नहीं मिला, जो इस ऊंच नीच की बल्ली को छोड़ गया, उन्हीं को मिला। पहले तो हमारा यह एतराज है कि यह जो कफन का इन्तजाम हरिजनों के लिए पहले से कर रखा है, इस पर हमारा बहुत एतराज है। हरिजनों के घर जला दीजिये, हरिजनों को भून कर मार डालिय, हरिजन की महिला के साथ बलात्कार कर लीजिए, उसको जान से मार दीजिए, उसके बाद आप उसको 5 हजार रु० दे दीजिए, यह कहां की नीति है। हरिजन बागी हो जायगा, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका। यह जो अपंग होने का इनाम या जलने का इनाम आपने रखा है, यह उसके कफन की पहली सीढ़ी है। जिसको मारना है, उसके कफन का पहले इन्तजाम कर लीजिए। संसद में बयान दिया गया कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न है। 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक के समय को 174 से गुणा कर दीजिए, तब भी नहीं आता है। बाबू जगजीवन राम का बयान है।

इसमें उन्होंने हरिजनों के बारे में लिखा है । यह 1 जनवरी, 1979 की कटिंग है हरिजनों पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा करते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि आज हरिजन गोली से भूनें जा रहे हैं, उन्हें घरों में जिन्दा जलाया जा रहा है । पर इससे हरिजनों को चिन्तित नहीं होना चाहिए । यह क्रान्ति की शुरूआत है और क्रान्ति म बलि देनी ही पड़ती है । चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर दिल्ली में हुई किसान रैली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान का नारा बुलन्द किया जा रहा है लेकिन प्रश्न उठता है कि किसान कौन है ? जोड़ी बैल रखने वाला या जोड़ी बैल के पीछे जोतने वाला । खेत से लहलहाती फसल लेने वाला नीची जाति का ही हुआ करता है लेकिन पैदावार की आमदनी से मौज कोई और करता है । नीची जाति को उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता । मेरी नजर में किसान वही है जो स्वयं जोतता है । जो नहीं जोतता है, उसके पास कानूनन एक इंच भूमि भी नहीं रहने देनी चाहिये । यह बाबू जगजीवन राम का बयान है। श्रीमन्, हरिजन पिट रहा है, मर रहा है। हम नहीं कहते हैं कि उसके लिए 1 हजार रुपया, उसके उत्पीड़न के बाद रख दिया जाय । इस ओर श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं । स्वतन्त्र भारत 9 जनवरी, 1979, मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ने घोषणा की कि हरिजनों तथा कमजोर वर्गों को संरक्षण देने से सम्बन्धित आदेशों का कड़ाई से समुचित परिपालन सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय स्तर पर एक निगरानी समिति गठित की जायेगी । आज तक कोई समिति गठित नहीं की गई । घोषणायें इतनी होती हैं, बड़े दिलचस्प वायदे थ, बड़े रंगीन धोखे थे--

गुलों की आरजू में, जिन्दगी शोले उठा लाये ।

(व्यवधान)

नगर पालिकाओं, टाउन एरिया के चुनाव क्यों पोस्टपोन कर दिए। जनता जहां तक सोचती ह सही है । आरक्षण की बात मैं करता हूं । किताब निकली है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व । कहीं परसेन्टेज पूरा नहीं । आप आश्चर्य करेंगे कि जो शिड्यूल कास्ट का व्यक्ति परेशान हो जाता ह उसे डाइरेक्टर, सेक्रेटरी अपने विभाग में बुलाते है । जो विभाग हरिजन का हिमायती है, उसमें भी पूरा नहीं है । पब्लिक अण्डर टेकिंग्स में 74-75 कारपोरेशन्स हैं । वहां भी प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है । यह किताब है कितनी मोटी हो गई है । 60, 70 जी० ओ० हैं, लेकिन आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ । एक उदाहरण देता हूं । जहां आरक्षण पूरा नहीं होगा, उस जिलाधीश के कैरेक्टर रोल में एडवर्स इंट्री लिखी जायेगी, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ नहीं लिखी गई । राधा कृष्ण कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट की थी कि आर्थिक स्तर ठीक हो जायेगा तो छुआ-छूत, अस्पृश्यता दूर हो जायेगी, लिविंग स्टैन्डर्ड ऊंचा हो जायेगा । जितने भी कोटे हैं, इन्डस्ट्री में, कोयले का, कोई कोटा नहीं । लाइसेन्स, परमिट में कोई कोटा नहीं । अब उसमें एक और बैकवर्ड क्लास, 35-36 जुड़ गए हैं । हरिजनों को कुछ मिलने वाला नहीं, वे गए काम से । अखबारों की पूरे वर्ष की फाइल है । बनारसी दास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के 50 विधायकों की मीटिंग हुई और उसमें मांग की गयी कि उत्तर प्रदेश मन्त्रिमन्डल म हरिजनों के प्रतिनिधित्व की मांग श्री नरेश चन्द्र वर्मा ने की और उन्होंने मांग की कि मन्त्रिमन्डल में हरिजनों का आरक्षण नहीं है । भाई, मैं आपसे कहता हूं बहुत

[श्री गुलाब सेहरा---[

सफाई के साथ कि अगर गंगोत्री में कीचड़ रहेगा तो कानपुर में बहने वाली गंगा में भी कीचड़ रहेगा ।

अगर ऊपर के लोगों का आरक्षण नहीं पूरा करेंगे तो नीचे का आरक्षण पूरा नहीं होगा । मेरा कहना यह ह कि शुद्ध मन से साफ दिल से आरक्षण को अगर मन्त्रिमन्डल में पूरा कर तो नीचे भी आरक्षण होता । मैंने जो बताया वह हिन्दुस्तान के 11 मई, 1979 में निकला है, मन्त्रिमन्डल में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की मांग की गई है । श्रीमन् एक बात मैं और कहना चाहता हूं । "इंडियन एक्सप्रेस" जो जनता पार्टी का अखबार है, उसमें 17 मई को निकला है । उसकी हेड लाइन है State asked to set up special courts for Sc.

श्री उपाध्यक्ष---

आप समाप्त करें ।

श्री गुलाब सेहरा---

निर्देश दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट केसेज को करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं । यह जनता पार्टी की सरकार हरिजनों के लिए स्पेशल कोर्ट्स नहीं बना सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी को जेल भेजने के लिए स्पेशल कोर्ट बना सकती है ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

यही आपको खल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समाप्त करिये । दूसरे लोगों के लिए छोड़िये ।

श्री गुलाब सेहरा---

मैं तो निवेदन कर रहा था अपनी बड़ी बहिन से कि आप बहुत शक्तिशाली हैं । जिला लेबिल के अधिकारियों को पूरी सुविधा दें और पुरानी जितनी चीज चली आ रही ह, खराब हैं, खराब न होती तो हम इधर न आते । अगर आप उन गल्तियों को करेंगी तो आप जल्दी इधर आ जायंगी । मैं बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन की तनख्वाह 10 रुपये और 12 रुपय दे रहे हैं । दो घंटे सबेरे का और दो घंटे शाम को खोलने का रिस्ट्रिक्शन है । आप बतायें कि चार घंटे के लिए इतनी कम तनख्वाह पर आदमी मिल सकता है । मेरा केवल इतना निवेदन है कि जो आप घोषणायें करें, उनको कार्यान्वित करें । आप शक्तिशाली हैं । अगर आपने यह बात ठान ली कि विभाग को ठीक करना है तो प्रदेश के हरिजन लोग आपको याद करेंगे । आप इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का संकल्प ले लें ।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसे मन्त्री के बजट के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो सन् 1952 के बाद पहले मन्त्री हैं, जिन्होंने अनुसूचियों को बतलाकर अपने विभाग का बजट रखा है । मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं । कुछ बातें हमारे विरोधी दल के नेता ने भी रखीं हैं जो बातें अगर नहीं मालूम थीं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम से कम पूछ लेते । यह सर्वप्रथम मन्त्री हैं, जिन्होंने पूरी कलई खोल कर रख दी है । जहां तक मान्यवर, हरिजन विभाग का सम्बन्ध है, हरिजन विभाग कांग्रेस ने नाम का रखा और आज यह जनता पार्टी का नाम रख रही है । हरिजनों के हित की जितनी बातें मन्त्री जी कह सकतीं थीं, वह उन्होंने स्पष्ट रख दीं । पहले हरिजन विभाग किसी के अधीन नहीं था, लेकिन शनैः शनैः कांग्रेस की सरकार ने जैसे हरिजनों को गुलाम बना रखा था, उसी तरह हरिजन विभाग को गुलाम बना दिया ।

श्रीमन, यही नहीं, यह कमजोर को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की । इसलिए मैं मन्त्री जी से सब से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग और विभाग के अधिकारियों को स्वतन्त्र रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है । कांग्रेस सरकार ने इसको स्वतन्त्र नहीं रखा है और न जनता सरकार ही स्वतन्त्र रखे है। इसलिए निवेदन है कि सब से पहले संविधान में जो 18 प्रतिशत हरिजनों का रिजर्वेशन है, उसमें हरिजन विभाग का जो सबसे अच्छा अधिकारी हो, उसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाय कि वह देखे कि हर विभाग में हमारा जो आरक्षण है, वह पूरा किया जा रहा है कि नहीं । यदि नहीं तो हरिजन विभाग जवाब दे । मान्यवर, हमारी पहली मांग यह थी कि हरिजन विभाग द्वारा छोटे उद्योग खोले जायं, जिसका सम्बन्ध किसी दूसरे विभाग से न हो और उसका एक पृथक डाइरेक्टर हो । इसके साथ ही देहातों में, जो हरिजन कार्यकर्त्ता हैं, उन्हीं के द्वारा काम होना चाहिए और उनको सारी सुविधायें वैसी ही मिलनी चाहिये, जैसी कि दूसरे विभाग के अधिकारियों को मिलती हैं । लेकिन मैं दुःख के साथ कह सकता हूं कि हरिजनों को वैसी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । इसके लिए जनता सरकार को शर्म आनी चाहिए । हरिजनों की आर्थिक दशा और उनका मान-सम्मान उतना ही होना चाहिए, जैसे दूसरे अधिकारियों को और कर्मचारियों का होता है तभी जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इसलिए सबसे पहले छोटे उद्योग हरिजन विभाग द्वारा कायम होना चाहिए, जिससे हरिजनों का उत्थान हो । दूसरी बात हरिजन विभाग के मन्त्रियों और अधिकारियों को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार के जो दूसरे विभाग हैं, उनमें हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा हुआ है कि नहीं, यदि नहीं तो उसको पूरा करायें ।

मान्यवर, सरकार हरिजनों की बहुत बात करती है, लेकिन हरिजनों के लिए कुओं और मकानों का पता नहीं है । सरकार ने जो पशुओं के लिए कर्जा दिया है, उसमें दो-दो सौ रुपये ब्लाक के कर्मचारी और डाक्टर खा जाते हैं, किन्तु गरीब हरिजन कर्जदार बन जाता है और अदा न करने पर उनके घरों की नीलामी का सवाल आ गया है । इसके अलावा मान्यवर, जितने इस सरकार के विभागों में हरिजन अधिकारी हैं, वह सब दुखी हैं ।

हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है, इस सरकार से कहना पड़ता है कि सरकार इस तरह ध्यान दे और उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उतना ही मान-सम्मान दिया जाय जितना दुसरे अधिकारियों का होता है । बार-बार कहने और लिखने का बावजूद भी, मान्यवर, अभी तक ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि हैं तो सभी एक । कभी मन्जूर भाई इधर, तो उनके साथी कभी इधर । जुल्म करने में एक, प्रोत्साहित करने में एक, नाजायज फायदा उठाने में एक । जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सारे परेशान और दुखी हैं । यदि हमारे मन्त्री महोदय को अधिकार हो जाय तो इधर देख सकती हैं, जांच करवा सकती हैं । दुख तो

[श्री हरी सिंह--]

इस बात का है कि नाम का केवल हरिजन विभाग और हरिजन मंत्री बना दिया है। बजट को देख लें। उनके मकान देख लें, इण्डस्ट्री देख लें। जहां अरबों का अनुदान देना चाहिये, वहां सबसे कम केवल नाममात्र को हरिजन विभाग को अनुदान दे रहे हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि अगर सच्चाई और ईमानदारी से करना है, तो इसके बजट को दुगुना कर दिया जाय ताकि हरिजन विभाग में सफलता के साथ कार्य कर सके। मेरा नम्र निवेदन है मंत्री जी से कि वह भी होशियार और तैयार रहें। अगर उनके मन के हिसाब से काम नहीं होता तो लात मार कर इस्तीफा दे दें। कोई जरूरी नहीं कि मंत्री रहें। इसलिये अपनी बात मनवाने के लिये पूरी तरह से तैयार रहें। मुझको मंत्री जी पर पूरा विश्वास है और हम जानते हैं कि वह इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि हरिजन विभाग का उत्थान हो और हरिजनों का कल्याण हो।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कमियों के बारे में स्वयं कह दिया है और ऐसा लगता है कि ये बेचारा सा विभाग है। इसको बेचारा नहीं होना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी अपनी ताकत को आजमायें। आखिर वह भी मंत्री हैं और मंत्री की जो ताकत है, उससे विभाग को कड़ा बनायें और विभाग में अनुशासन लाने की चेष्टा करें।

मान्यवर, हरिजन विभाग के इस बजट में बहुत कम प्राविधान किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये जो बजट में प्राविधान किया गया है, वह बहुत ही कम है। माननीय मंत्री जी को इसके लिये लड़ना चाहिये था और इस विभाग के बजट को काफी बढ़ाना चाहिये था। ज्यों-ज्यों हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से बजट भी बढ़ना चाहिये।

जिले के अधिकारियों के बारे में बात हुयी। आज के जमाने में वहां के अधिकारियों के लिये तेज सवारी और टेलीफून की व्यवस्था न हो तो हमारे अधिकारी काम नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह इस बात के लिये लड़ें और जहां जरूरत हो, वित्त विभाग से लड़े और उन अधिकारियों और हरिजनों के काम में तेजी लाने के लिये, उनके साथ जरूर मिलें।

शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है और विशेषकर छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में तरक्की हुयी हैं। लेकिन वहां भी अवहेलना की गयी है और हरिजनों को छात्रवृत्ति इस साल नहीं दी गयी है। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी इसमें दोषी हों, उनके बारे में माननीय मंत्री जी देखें कि क्या-क्या कर सकती है। होस्टल के निर्माण के कार्य में कोई काम नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां हरिजनों की समस्या आ जाती है, उनके लड़कों की समस्या आ जाती है, शहरों में लोग सुन लेते हैं कि यह हरिजन हैं तो रहने को जगह नहीं देते। किस हालत में हरिजन बालक पढ़ रहे हैं, यह हमीं जानते हैं। शहरों में जगह नहीं मिलती और हास्टल का निर्माण नहीं हो पाता और क्यों नहीं हो पाते। क्या दूसरी चीजों के लिए जब स्थान का एक्वीजिशिन किया जा सकता है तो मैं मंत्री जी को यह सलाह दूंगा कि हरिजन होस्टलस के लिए भी स्थान का एक्वीजीशन करावें। इस तरह से इस काम में गति

आवेगी । दूसरे यह कि पढ़-लिखे हरिजन लड़के बेकार घूम रहे हैं, इधर-उधर भटकते फिरते हैं । सरकार जिन पर इतना पैसा खर्च करती है तो फालो अप भी होना चाहिए । जहां तक मकानों का सम्बन्ध है, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एक हजार रुपया जो आप देते हैं उससे क्या इस गिरानी के जमाने में मकान बन सकता है । इस धनराशि को बढ़ावें । साथ ही वित्त निगम जो काम कर रहा है उसे लघु उद्योगों को लेना चाहिए । यह जो एक आदेश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का सं० 158275, दिनांक 20 अप्रैल, 1976 है इसमें एक प्राविधान है कि हरिजनों की संख्या वर्ष के अन्त में दाखिल की जाय । लेकिन इसका पालन नहीं हुआ । इसको मंत्री जी कार्यान्वित करवायें ।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण का स्वागत करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक परम्परा सी चली आ रही है कि एक पक्ष बजट प्रस्तुत करता है तो दूसरा पक्ष कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। मैं तो ऐसा समझती हूं कि अगर वह हरिजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं और हरिजनों के लिए उनके दिल में दर्द है तो उनको यह देखना चाहिए था कि जो धनराशि उनके कल्याण के लिए रखी गयी है क्या वह काफी है और यदि नहीं, तो उसमें बढ़ोतरी करवाना चाहिए थी । लेकिन चूंकि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की एक परम्परा बन गयी है इसलिए उसी परम्परा का अनुसरण करते हुए कटौती का प्रस्ताव रखा गया । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने विभाग में जो कमियां हैं उनको स्पष्ट रूपसे हमारे सामने रखा । मैं अधिक न बोलकर कुछ सुझाव रखना चाहूंगी क्योंकि मंत्री जी भी हैं और विभागीय अधिकारी भी हैं । आज आजादी मिले 32 वर्ष हो गये लेकिन इस विभाग में काम करने वाला कर्मचारी आज भी अपने को हीन महसूस करता है । ऐसा क्यों ? हमको देखना चाहिए कि समाज का कौन वर्ग कमजोर है और किस वर्ग के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं जिससे वह समान स्तर पर आ सके । जो वर्ग कमजोर है, शिक्षित नहीं है और उसके पास आर्थिक साधन नहीं हैं तो हम उस वर्ग के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दें । मैं तो अपने भाइयों से यह कहना चाहती हूं कि जहां हम एक विशेष वर्ग एक विशेष क्लास को लेकर कहना प्रारम्भ कर देते हैं तो हमारे सोचने का जो ढंग है उसे हम बदलें तो अच्छा होगा । मैं समझती हूं कि महिला वर्ग से पिछड़ा कोई दूसरा वर्ग नहीं है । हम विचार करते हैं हरिजन समाज कल्याण पर तो महिला कल्याण भी इसमें जुड़ा है । समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण बोर्ड है जिसकी अनेक स्कीमें हैं । ये जितनी स्कीमें हैं उनमें जितने भाई हैं वे आपस में एक दूसरे को शिक्षा तो देते हैं, सुधार नहीं करना चाहते । झोला कंधे पर लटकाते हैं जिस पर महिलाओं की ओर से झूठी स्कीमें पेश कर सारा पैसा खा जाते है फर्जी पैड उनके पास बने रहते हैं किसी महिला के विषय में कोई चिन्तन नहीं, बालकों के बारे में कोई चिन्तन नहीं । माननीय, कोई उद्योग सही ढंग से चल रहा हो इस पर मुझे सन्देह है । मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि कोई भी स्कीम हो वह नीचे के स्तर की महिलाओं के लिए लाभकारी हो बच्चों के लिए लाभकारी हो । उसका प्रयास किया जाना चाहिए । विदेशों में हमारी बहनें चली जाती हैं । अभी दिल्ली में एक कानफ्रेन्स अटेन्ड की जिससे बड़ा निराशा मुझे हुई । किस प्रकार का सारा ढांचा बना हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस बात का प्रयास किया जाय कि किस प्रकार से महिलाओं का उद्धार हो सकता है । बाल

[श्रीमती मालती शर्मा—]

वर्ष हम मना रहे हैं लेकिन बच्चे दुकानों पर कप प्लेट साफ करते अपनी हाथ की अंगुली काट खा बैठते है । किस प्रकार से दुःखी महिलायें जीवन निर्वाह अच्छी तरह से न कर सकने के कारण क्या कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होतीं ।

( लाल बत्ती जलने पर )

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दें कभी बोलती नहीं हू । जब तक सब के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक कोई विकास इस दिशा में नहीं हो सकता ।

मान्यवर, एक निवेदन, मुझे यह करना है कि विधवा महिलाओं के लिए सरकार से साधन उपलब्ध कराने चाहिए, उनके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले । विधवा महिलाओं का जो भी मानसिक स्तर हो, योग्यता हो उसके अनुसार सरकार उनको सर्विस दे ।

इसके साथ ही मैं कुष्ठ रोगियों के बारे में कहना चाहती हूं । समाज में इनकी भी एक दयनीय स्थिति है । अस्पताल उनकी चिकित्सा तो करते हीं हैं लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं किया जाता ।

छात्रवृत्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि क्यों नहीं बालकों को जितनी शिक्षा सम्बन्धी सामग्री है वह उपलब्ध करायी जाय और छात्रवृत्ति न दी जाय । छात्रवृत्ति से माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि चोरी होती है। पूरी धनराशि बालकों तक नहीं पहुंच पाती । उन्हें शिक्षण सम्बन्धी सारी सुविधायें उपलब्ध करायी जायं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ।

एक निवेदन में और करना चाहूंगी और वह यह कि समाज कल्याण का एक दफ्तर लखनऊ के अंदर है उससे काम नहीं चल सकता । जिले स्तर पर भी अधिकारी नियुक्त किये जायं जो जिला स्तर पर महिलाओं के लिए उद्योग खोलने की ओर ध्यान दें ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

हरिजन समाज कल्याण बजट जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उससे सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में कुछ सुझावों के साथ में अपनी बात रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, पहले तो इस सरकार से, इस सारे सदन से, निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वर्गीय सरकार प्रदेश और देश में बैठी है, वर्गीय आधारों पर जो बनी है इसे पहले यह सोचना होगा कि हमारे देश में मापदण्ड किस चीज का बना हुआ है । अर्थ का माप दण्ड सबसे सर्वोच्च माना गया है और इसलिए देश के लोग अर्थ के लिए, धन के लिए लगे हैं जिस कारण शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार का कोई निराकरण नहीं हो सकता चाहे माननीय मंत्री जी सुझाव देते रहें चाहे बजट पेश करते रहे चाहे माननीय सेहरा साहब कटौती का प्रस्ताव पेश करते रहें। सवाल इस बात का है कि पूंजीवादी व्यवस्था से शासन को विमुक्त कैसे बनाया जा सकता है । सवाल इसका है कि इस देश के अन्दर सरकारें वर्गीय चरित्र पर आधारित तीस वर्षों से अपना चेहरा बदलती आ रही है । कभी ये उधर गये और कभी इधर आये ये सरकारें चेहरा बदल कर जो हरिजनों के कल्याण की बात करती हैं यह कल्याण कभी हो नहीं हो सकता । हरिजनों को जो जमीन मिली थी

और जबरिया उन पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है इसके लिये जी० ओ० निकला था कि 5 साल की सजा होगी लेकिन लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं, किसी को सजा नहीं हुई ।

पिछले साल हरिजनों को जो छात्रवृत्तियां दी गयीं वे पूरी आबंटित नहीं हो पाईं और वापस हो गयीं, धन लेप्स हो गया । इसका परिपालन करने वाले वही लोग हैं जो हरिजनों का कल्याण नहीं चाहते जो उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और हरिजन भी उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं भले ही कुछ कह न पाते हों। वह लड़ नहीं पाते और संघर्ष नहीं कर पाते अपने अधिकारों के लिये लेकिन आपके प्रति उनको भी वही भावना है जो आपकी उनके प्रति है । यह जो रोना रोया जा रहा है, घड़ियाली आंसू बहाये जा रहे हैं इससे हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है । जिस दिन वह मैदान में हथियार लेकर निकलेंगे उस दिन यह सरकार उनको उनके अधिकार देगी, ऐसे कुछ नहीं देगी । किसी सरकार ने आज तक बिना लड़े कुछ दिया भी नहीं है । यह पूंजीवादी व्यवस्था है । यह कभी हरिजनों का कल्याण नहीं कर सकती, न शोषित तथा पीड़ित जनता का उद्धार करेगी । इस बजट से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है, यही पूंजीवादी व्यवस्था की देन है । जिस दिन यह शोषित, गरीब जनता हथियार लेकर निकलेगी तब इनको पता चल जायगा कि दुनिया को बदलने वाली शक्ति क्या होती है ? बाबा धर्माधिकारी की किताब में लिखा है, जय प्रकाश या बिनोबा जी के दर्शन में लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था की आधारशिला ही चोरी, सट्टा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट होती है। जो कारण हैं उनके विनाश से ही समाजवादी व्यवस्था आती है । लिहाजा इस देश की शोषित, पीड़ित जनता को क्रान्ति करनी होगी तभी छुआछूत पिछड़ापन, गरीब–अमीर का भेद–भाव मिट सकेगा । आज यहां एक ही व्यवस्था है जिसके पास जितनी दौलत है, चाहे वह किसी भी तरह से, फेयर और फाउल ढंग से अर्जित की हो । हरिजनों का कल्याण तभी हो सकेगा जब वह गोली बारूद लेकर मैदान में संघर्ष करने के लिये उतर पड़ेंगे न कि इस तरह से मांगने से उनको अपने हुकूक मिलेंगे ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)––

मैं भी दो मिनट चाहता हूं । हरिजनों के इलाके में मैं अपने क्षेत्र में गया था ।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, हरिजन समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन कर रहा हूं और समर्थन करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या हम वाकई में ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसके लिये हमको अपने अन्दर झांकना पड़ेगा कि पिछले 32 सालों से बराबर हम इस पददलित वर्ग को उठाने की बात तो करते रहे लेकिन उनके लिये किया कुछ भी नहीं गया । उदाहरण के लिये मैं आपके सम्मुख कुछ तथ्य लाना चाहता हूं कि संविधान बनने के पश्चात् हरिजनों को आरक्षण दिया गया लेकिन आरक्षण देने के बावजूद भी आज स्थिति यह है कि क्लास वन और क्लास टू सर्विसेज में भी केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेश चन्द्र—]

6 प्रतिशत लोग ही हैं। यानी आरक्षण के बावजूद भी जितनी सीटें उनके लिये होनी चाहिए थ उतनी उन्हें नहीं दी जा रही हैं और ढिंढोरा पीट रहे है कि हम उन्हें आरक्षण दे रहे हैं। जनता शासन आने के बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई और उसको लेकर प्रदेश में तमाम अशांति पैदा की गई। आरक्षण का जो जी० ओ० जारी किया गया है अगर मान्यवर, आप उसे देखें तो पता चलेगा कि वह केवल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तक ही वह जी० ओ० सीमित है। सहकारिता विभाग पर वह जी० ओ० लागू नहीं होता है। मने प्रयास किया लेकिन आज भी वह जी० ओ० जारी नहीं हो पाया है। इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस शोषित समाज के वर्ग की तहे दिल से सेवा करना चाहते ह तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे देख कि आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां और प्रोन्नतियां हो रही हैं या नहीं।

मान्यवर, मैं जनपद खीरी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां थारू प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपया दिया गया लेकिन अधिकारियों ने उसे यूटिलाइज नहीं किया। आज भी वह सारा धन बेकार पड़ा हुआ ह। कोई सम्पर्क मार्ग नहीं बनाये गये हैं। थारुओं के लिये एक स्कूल भी नहीं बना और सारी धनराशि लैप्स होती जा रही है। मान्यवर, लखीमपुर खीरी में एक आश्रम पद्धति के स्कूल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां मुश्किल से 100 विद्यार्थी होंगे जिन पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन वहां पर सारी सामग्री होते हुये भी आज उन बच्चों को रोटियां अपने हाथ में और पानी कुल्हड़ो म पीना पड़ता है। गत वर्ष माननीय राम सिंह जी हरिजन कल्याण मंत्री थे तो उन्होंने अपने सामने बच्चों को थालियां बांटी थीं लेकिन आज फिर उनकी दशा खराब हो गई है। इसे माननीय मंत्री जी देखें। इसके अतिरिक्त में जिला परिषद् खीरी में जो नियुक्तियां और प्रोन्नतियां हुई है, के बारे म कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में कोई बात नहीं सुनी जाती है। 30–32 साल से एक भी हरिजन अधिकारी वहां पर नहीं हैं। वहां पर एक जयेन्द्रनाथ संस्था है जिसको हम अपने प्रयास से चला रहे हैं कई बार सरकार को अनुदान के लिये लिखा गया किन्तु अभी तक नहीं दिया गया। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संस्था को अनुदान दें जिससे यह संस्था आगे चल सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग इत्मिनान से बैठें, सबको समय मिलेगा।

श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, यहां मैं चन्द सुझाव ही पेश करूंगा। मान्यवर, हरिजन और समाज कल्याण दो विभाग हैं। पहले अलग–अलग थे। इसका काफी कार्य बढ़ गया है इसलिए हमारा सुझाव है कि इसे दो विभागों में पूर्ववत् अलग–अलग कर दिया जाय जिससे काम में सुविधा होगी।

जिला स्तर पर हरिजन कल्याण अधिकारी रखे गए हैं। पहले यह 22% हरिजनों का काम करते थे अब 21% जो है पिछड़ वर्ग का काम इन पर लाद दिया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि हरिजन कल्याण अधिकारी के साथ सहायक हरिजन कल्याण अधिकारी रखे जायं। जहां तक इनके लिए साधनों का सवाल है यह प्रश्न बहुत दिनों से उठाया जा रहा है लेकिन उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई। वास्तव में देखा जाय तो ब्लाक स्तर में बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के लिए जीपें दी गई हैं और उनके कार्यालयों में टेलीफोन की भी व्यवस्था पहले से ही की गई है लेकिन हरिजन समाज कल्याण अधिकारी हैं जो जिलों का दौरा करते हैं उनके लिए वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीपों की और अन्य साधनों की व्यवस्था उनके लिए की जाय।

उपनिदेशकों की जगहें खाली हैं वे लोग मुख्यालय से भेजे गये हैं। तो इस प्रकार जो जगहें खाली हैं उनकी पूर्ति की जाय और कुछ जगहें जो नई निकाली गई हैं लेकिन उनमें भर्ती नहीं हुई है उनको भी शीघ्र पूरा किया जाय।

जिला स्तर पर हरिजन कल्याण दफ्तरों में तहसीलवाइज सुपरवाइजर रखे गए हैं और पूरे जिले का काम उनको करना पड़ता है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि ब्लाक स्तर पर ए० डी० ओ० की तरह हरिजन वेलफेयर ए० डी० ओ० रखे जायं ताकि वह ब्लाक स्तर पर काम करें क्योंकि काम में काफी बढ़ोतरी हो गई है। काफी सुविधा बढ़ जायेगी।

माननीय मंत्री जी ने इन कामों में काफी दिलचस्पी ली है। मुझे पता चला है कि वह मुख्यालयों पर हरिजन हास्टल खोलने जा रही है। मुख्यालय में हरिजन हास्टल खोलें ठीक है लेकिन जिन जिलों की तहसीलों, कस्बों में डिग्री कालेज हैं या इंटर कालेज हैं वहां भी यह हास्टल खोले जायं तो बहुत अच्छा होगा इससे ग्रामीण हरिजन छात्रों को बड़ी सुविधा मलेगी।

बाल सदन में जो बच्चे रहते हैं उसमें मंत्री जी ने सुझाव दिया है कि बाल सदन में 14 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं उनको वहां से निकाल दिया जाता है तो मेरा सुझाव है कि जिन बालकों पर हजारों रुपया खर्च करते हैं वह बाल सदन से निकलने के बाद इधर-उधर भटकते हैं। इसलिए उन्हें आरक्षण के आधार पर किसी भी विभाग में नौकरी दे दी जाय ताकि उनके जीवन का सुधार हो जाय। इसी उद्देश्य से, उनके जीवन को सुधारने के लिए बाल सदन या ऐसे ही दूसरे स्कूल खोले गए हैं।

माननीय सेहरा जी ने बताया कि वित्त विकास निगम से अनुदान की तीन ही हजार रु० की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मुझे याद है कांग्रेसी शासन में ढाई सौ से ज्यादा नहीं मिलता था बाद म पांच सौ रु० का माल दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने यह नियम बनाकर हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके आगरा में ही कम से कम 7-8 लाख रु० गया है। इस तरह से तीन हजार अनुदान से लेकर 5 हजार तक ऋण हरिजनों को दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि इसमें हरिजन नवयुवकों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए अधिक धन दिया जाय ताकि उनकी बेकारी दूर हो सके। विधवा महिलाओं की पेंशन जारी रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल विद्यार्थी--

इस निगम में जो अन्वेषक रखे गए हैं, वह बहुत कम हैं । मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक-एक अन्वेषक रखा जाए और निगम का काम देखने के लिए अलग से स्टाफ रखा जाय, तभी यह सफल हो सकता है अपने काम में । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदया के अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री मोती राम--

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रदर्शित करते हुए बजट का समर्थन कर रहा हूं । अभी कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सेहरा जी को मैं काफी समय से सुन रहा था और ऐसा मालूम देता था कि वह बिना निशाने के फायर कर रहे हैं । कोई विवाद नहीं था, जबकि माननीय मंत्री ने अपने विभाग की निष्क्रियता, अपनी ववशता और विभाग के भ्रष्टाचार को इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से मान लिया । उसके बाद कुछ कहने को ज्यादा नहीं रह जाता, लेकिन उन्हें चूंकि कहना था, कह गए । इसमें कर्तव्य की भावना तो कम दया की भावना काफी राजनीतिज्ञों में रही है और राजनीतिज्ञों ने एक वोट हथियाने साधन के रूप में 30 साल से इसका प्रयोग किया है । प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं और प्रदेश में 17 करोड़ से कुछ अधिक अयोजनेतर खर्च है और 4 करोड़ 84 लाख योजनागत खर्च हैं । तो सवा दो करोड़ आदमियों का कल्याण सवा पांच करोड़ रुपये से हो रहा है । यह राशि प्रति व्यक्ति कितनी कम है, इसपर आप विचार करें ।

एक हम विभाग सम्बन्धी किताब आज ही दी गई है, जो कि विभाग की क्षमता को दर्शाती है । पहले मिली होती तो पढ़कर कुछ तैयारी कर लेता । उसमें आपने कहा है शैक्षिक, आर्थिक और आवास सम्बन्धी तीन मुख्य काम विभाग के हैं और शिक्षा में मुख्य रूप से छात्रवृत्तियां शामिल हैं । पिछले हफ्ते ही मैंने और पालीवाल जी को इस बारे में एक चर्चा यहां आई थी कि दशमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों का 31 मार्च, 1979 को रुपया ड्रा किया गया । तो यह विभाग की क्षमता का एक नमूना है । जबकि इसी विभाग ने पिछड़ी जातियों की स्कालरशिप पहले से ही बांट दी । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वह विभाग इतना सजग है कि एक वर्ग का वजीफा बांट सकता है और दूसरे वर्ग का 31 मार्च यानी लास्ट डेट आफ दि फाइनेन्शियल इयर ड्रा करता है, तो यह कहां तक उचित है । तो यह कब तक चलेगा और शासन कब तक चलते रहने देगा । मैं मंत्री महोदया से मांग करता हूं और यदि वह अपने को अक्षम पाती हैं तो श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले में यह विभाग जो 31 मार्च तक सोता रहा, उसको रखने का औचित्य क्या है, आज तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? की गई तो उसको सदन के सामने रखा जाय ।

मान्यवर, दसवीं कक्षा के बाद हरिजनों को वजीफा देते हैं । जो विद्यार्थी दसवीं कक्षा तक नहीं पढ़ेगा उसको वजीफा नहीं देंगे । बेसिक शिक्षा में वजीफा नहीं देते मेरा निवेदन है दसवीं कक्षा से पहले वजीफा दिया जाय । आर्थिक विकास की बात कही गई है । उसके नाम पर वित्त विकास निगम की स्थापना की गई है । इसमें वित्त शब्द का भी अपमान है । दैट इज ए फाइनेंशल कारपोरेशन विदाउट फाइनेंस । जहां तक मेरी जानकारी है एक नये पैसा का फाइनेंस का

अधिकार उसको नहीं है। पहले जो विभाग बैठ कर देता था, एक हजार मुर्गी पालन के लिए, एक हजार जूता गाठने के लिए, वह उधर निकाल दिया और ह्वाइट एलीफेंट हमारे सर पर लाद दिया।

अगर ईमानदारी के साथ सरकार उसको चलाना चाहती है तो उसको समुचित धन और अधिकार दे। उसी तरह से निर्बल आयोग बना दिया गया। उसके पास एक नया पैसा खर्च करने को नहीं है। (श्री उपाध्यक्ष द्वारा हरिपाल सिंह शास्त्री को बोलने के लिए बुलाये जाने पर एक मिनट में समाप्त करता हूं। एक किताब दी गई है सेवाओं में हरिजनों के प्रतिशत वाली। एक मखौल है। इसमें दिया गया है, जनवरी, 1978 तक की इस प्रदेश में जो संख्या दी गई है, क्लास वन में 3,800 में शैड्यूल्ड कास्ट के 106, प्रतिशत 2.79। क्लास 2 में 15,535 में शेड्यूल्ड कास्ट 688, प्रतिशत 4.13 क्लास 3 में 2,45,511 में शैड्यूल्ड कास्ट 20, 106, प्रतिशत 8.18, क्लास 4 में 2,04,407 में शेड्यूल्डा कास्ट के 91,701, प्रतिशत 15'51। अगर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पूर नहीं होता तो इस डिपार्टमेन्ट को रखने से क्या लाभ है।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत हरिजन समाज कल्याण का बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही श्री गुलाब सेहरा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसका घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, सारे प्रदेश के अन्दर जहाँ हरिजन समाज कल्याण की समस्या की बात कही जाती है मैं आपके सामने महिला समाज के कल्याण के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सारे प्रदेश के अन्दर यदि आबादी का अनुपात देखा जाय तो 50 फीसदी आबादी महिलाओं की है। इसलिए महिलाओं के कल्याण की ओर भी विशेष ध्यान होना अत्यन्त आवश्यक है। एक समय कहा जाता था-स्त्री शुद्रों नाधियताम् इति श्रुते। इस प्रकार श्रुत वाक्य कह कर अपमानित किया जाता था कि इस देश के हरिजन और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार की समस्या पैदा हो गयी थी। जहां हरिजन पीड़ित था वहां उनके साथ साथ महिलाओं का वही स्थान था जो हरिजनों का था। इस लिए आज माननीय मंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में घोषणा करनी चाहिए कि महिलाओं के उद्धार के लिए कुछ काम करना होगा। महिला निदेशालय की स्थापना अपने प्रदेश के अन्दर होना चाहिए जिससे उनका महिला समाज का उत्थान हो सके। जिस प्रकार की व्यवस्था गुजरात और महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार की व्यवस्था अपने प्रदेश में रहे। इसलिए महिल निदेशालय स्थापित होना चाहिये इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर महिला वित एवं विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए जिससे महिलाओं को काम करने में सुविधा हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों मे इस प्रकार के उद्योग धंधे हैं जिनको विकसित किया जा सकता है जिनमें महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में महिलाओं के शोषण को बचाने के लिए कार्य किया जा सकता है। हमारे गांवों में छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको करने के लिए अगर सरकार उन महिलाओं को सहायता दे तो निश्चित रूप से उन महिलाओं का उत्थान होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सम्त्रांसनी समाज संस्थाओं में संवात्सनी औरते हैं उनको एक निश्चित आयु के बाद निकाल दिया जाता है जिसके कारण उनकी समाज में और दुर्गति

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री--]

हो जाती है मेरा सुझाव है कि जो इस प्रकार की महिलाये हैं उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए और उनके बच्चों को शिक्षा के लिये साधन जुटाने चाहिए जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें। जो निराश्रित और परित्यक्ता महिलाये हैं जिनकी आयु 30-40 वर्ष हो जाती है और जो योग्य हैं लेकिन उनके योग्य होने के बाद भी वे समाज में तिरष्कृत रहती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि उनको आयु सीमा से छूट दी जानी चाहिए और जो 27 वर्ष है उनकी आयु सीमा 35 से 40 वर्ष चाकरी के लिए होनी चाहिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि महिला और निरीक्षित व अपंग महिलाओं को जो उनको जीवन निर्वाह भत्ते का पैसा दिया जाता है वह मनीआर्डर से या चेक द्वारा भेज देना चाहिए, उनको आने जाने में बहुत पैसा-खर्च करना पड़ता है। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी सामूहिक रूप से प्रदेश के लिए जिम्मेदार हैं। माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी असमर्थता का बयान किया इस से प्रदेश के तमाम हरिजनों का जो आपसे उनको उनको उम्मीद थी उनका मन बैठ गया है। मान्यवर माननीय मंत्री जी को चाहिए था कि यह जो आपने सदन में कहा कि हमारे विभाग की उपेक्षा हुई है, यह चीज उनको कैबिनेट में मुख्य मंत्री और सबके सामनें कहनी चाहिए थी 30 साल में हरिजनों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया है, उनकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया है। चुनाव के टाइम पर एक आध आदमी का काम दिखा दिया जाता है और उसी के आधार पर सबको बताया जाता है कि मैंने यह काम किया है। आपको यह रवैया बदलना पड़ेगा।

मान्यवर, जिलों में जो दफ्तर खुले हैं वहां पर हरिजनों की उपेक्षा की जाती है। हरिजनों की जो स्थिति है वह किसी से छिपती नहीं है। जिस समय यह कार्यालय में आते हैं वह अपनी तुतली भाषा में डरते हुए अपनी बात कहते हैं। बाराबंकी की बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। एक आदमी सहायता के लिए गया तो उससे इंगलिश में बड़े शिष्ट ढंग से बात की गयी। जब उसने अपनी भाषा में अपनी बात कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में इसकी बात नहीं आती है और उस के साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया तो मान्यवर, चाहिए तो यह कि जसा कि हमारी सरकार का नारा है हरिजन अधिकारी गांवों में जाकर हरिजनों की बस्तियों में एक दो दिन निवास करें और अगर उन्हें एक महीने में अवकाश न मिले तो कम से कम 2 महीने में अवश्य जायं और देखें लेकिन वे हरिजनों के बीच में जाकर कभी नहीं रहते।

इसके अलावा हरिजनों की सहायता का जहां तक ताल्लुक है वह पहले जिलों के दफतरों से मिल जाती थी लेकिन अब उनको इसे प्राप्त करने के लिए वित्त निगम के कार्यालय में जाना पड़ता है। अगर कोई आदमी बस्ती से उस सहायता को प्राप्त करने के लिए आता है तो उसे बहुत खर्चा वहन करना पड़ता है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस वित्त निगम की शाखायें प्रत्येक जिले में खोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जाय । इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में 48 जिलों में प्रति जिले में 4-4 हरिजनों को भूमि खरीद कर भूमि दिए जाने की एक योजना थी लेकिन किसी भी हरिजन को वह भूमि खरीद कर नहीं दी जा रही है । इस प्रकार की लापरवाही हमारे कार्यालयों में चल रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मन्जूर अहमद---(जिला मेरठ)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं चूंकि यह हरिजनों के कल्याण को रोकने वाला आज मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें आजकल के हालात में एक शायर का एक शेर पढ़े देता हूं :

नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी,
रात तेरी ही सही चरण सिंह, अटल बिहारी, बनारसीदास,
सुबह हमारी होगी ।

मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि एक हरिजन मंत्री बेचारे को कोई विभाग नहीं होमगार्ड दे दिया है । दूसरे हरिजन मंत्री को बेचारे को लघु सिंचाई दे दिया है । शेष जो माननीय बनारसी दास के चेले हैं उनको प्रदेश के प्रमुख विभाग दे रखे हैं ।

आज बदकिस्मती है कि हमारे प्रदेश की जो हरिजनों के शत्रु हैं मन से आत्मा से, रूह से, वे ही हरिजन कल्याण मंत्री हैं । पूरे समाज में पूरे देश में आज हरिजनों के प्रति एलर्जी हो रही है । उस बिरादरी से जिसमें पैदा हुए हैं । मंत्री जी भी मन से नहीं जुबान से बहुत बोल रही थी । उन्हें तो मंत्रिमंडल चाहिए । जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में एक हरिजन मंत्री बेचारे को कोई विभाग नहीं होम गार्ड ही दे दिया गया है । दूसरे हरिजन मंत्री को बेचारे को लघु सिंचाई दे दिया है । शेष जो माननीय बनारसी दास के पुराने चेले हैं (व्यवधान) उन्हें प्रमुख विभाग दे रखे हैं जो लूटने में माहिर हैं ।

यह बड़े दुख की बात है कि हजारों साल की लानत हमारे प्रदेश में आज भी कायम है । (व्यवधान) आज उधर जब बैठने वाले जब इधर थे तो दूसरी बात कहते थे, उधर बैठ जाते हैं तो दूसरी बात कहने लगते हैं । पशुओं से भी ज्यादा बदतर हालत हमारे देश में हरिजन समाज की है । आजादी के बाद भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है । आज हरिजन अधिकारी को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं । जिलों में एक अधिकारी, 4 क्लर्क आदि रखे हैं । यह ए० डी० एम० (पी०) के अधीन रखे गये हैं । निदेशालय में भी इनको कोई अधिकार नहीं है । राजनैतिक उपलब्धियों के लिये इनका प्रयोग किया जा रहा है । (व्यवधान) जो सम्पन्न हैं, जिनके हाथ में डंडा है, वे इन हरिजनों को वोट तक नहीं डालने देते । (व्यवधान) आप जानते ही हैं कि छपरौली में सरदार प्रीतम सिंह चौधरी साहब के मुकाबले खड़े हुये, उनको मार डाला गया (शोर-व्यवधान) ।

(श्रीमती रामरती देवी का नाम पुकारे जाने पर ।)

[श्री मन्जूर अहमद—]

आप मुझे बोलने दें । मेरा नाम मंजूर अहमद है । यह बनारसीदास जी और पूरी सरकार (व्यवधान) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज के पहरे में भी निकल नहीं पायेंगे (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । (व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद—

मैं वही कह रहा हूं जो आपके जगजीवन राम जी कहते हैं—

परख सके न मुहब्बत के आबगानों को,
मिली जो फुरसत तनको गम कमीनों को,
न पल रहे हों इनमें कहीं सांप जहरीले,
झटक कर देख तो लो अपनी आस्तीनों को ।

(शोर—व्यवधान के बीच श्री मंजूर अहमद की कुछ बात सुनायी नहीं दी) ।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंजूर भाई बहुत बड़े शुभचिन्तक हरिजनों के बन रहे हैं और नियत की बात तो यह है कि अगर एक हरिजन भी उनके बगल बैठ जाय, अपनी पुकार उनसे कहे, उनकी पुकार सुनना तो दूर रहा, उसको बगल नहीं बैठायेंगे । आज जो हरिजन का बजट रखा गया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूं । यह विभाग, जब से कांग्रेस सरकार बनी, उसी समय से उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है, कारण यह है कि कांग्रेस के समय से बराबर इस बात की चर्चा की गयी कि यदि सरकार की नियत सही है, सचमुच यह सरकार हरिजनों की शुभ चिन्तक है, तो अन्य राज्यों में जो हरिजन विभाग हैं, उसी तरह से अपने यहां भी हरिजन विभाग को क्यों नहीं करते हैं । यह बराबर चर्चा होती चली आई है कि हरिजनों का उत्थान किया जाय और आज जब जनता पार्टी की सरकार आई, वही बात दोहराई जा रही है । कांग्रेस के समय से ही यह परम्परा चली है । मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस सरकार इन हरिजनों की उपेक्षा करती चली गयी, आप भी उन्हीं की बनाई हुई परम्परा से काम करेंगे ? मैं नम्र निवेदन प्रार्थना करती हूं कि उनकी परम्पराओं को उठा कर फेंकिये । यदि गरीबों का हित चाहते हैं, तो हरिजनों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा ।

माननीय, आज हरिजनों की यह हालत है कि हमारे जिला फैजाबाद में अनुसूचित जाति की समिति जो है, उसमें समाज कल्याण अधिकारी बुलाये गये थे । वहीं हम लोगों ने बातचीत की, हमने तो समझा कि हमारे ही जिले की यह कहानी होगी, लेकिन हरिजन छात्रों को पूरे सूबे में छात्रवृत्ति नहीं दी गयी । इससे बढ़कर उपेक्षा और क्या हो सकती है । मेरे जिले में तो समाज कल्याण का बाबू श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव 22 हजार रु० छात्रवृत्ति का निकाल कर फरार हो गये और आज तक उसका पता नहीं चल रहा है । गरीबों की संस्था है । इसको चाहे कोई लूट के खा डाले । इसको कोई पूछने वाला नहीं है । तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब उपेक्षायें हैं । आखिर ये उपेक्षाएं क्यों बरती जा रही हैं । हमारी माननीया मंत्री जी यह सब बातों को मंत्रिमंडल के सामने रखें, और ये हरिजनों की शुभ चिन्तक हैं । इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए । हमारे एक साथी महिलाओं के बारे बहुत हित की बातें कही है । मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं से कागज छपा छपाया उनको मिल गया । उनकी हृदय की हमदर्दी नहीं है । लेकिन वे कागज के ऊपर बोल गये । तो मैं चाहती हूं कि अगर वह महिलाओं के शुभ चिन्तक हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि माननीया मंत्री जी मंत्रि-मंडल के सामने हम लोगों की मांगों को हृदय से रखें और अपनी इतनी लियाकत मंत्रिमंडल के सामन दिखावें, जिद करें और सारी बातें मनवाने के लिए तैयार हो जायं, तब तो समझूंगी कि उनका हृदय इतना मजबूत है । यह तो सारे लोग जानते हैं कि यदि महिलाओं की उपेक्षा होगी, तो सचमुच समाज अपंग बन जायेगा । हरिजन विभाग के अन्दर महिलाओं के कल्याण के लिए अगर सुधार लाना है, तो मेरी मांग है कि महिलाओं की आधी संख्या होने के कारण महिला वर्ग के उत्थान के लिए एक हरिजन निदेशालय की अलग व्यवस्था होनी चाहिए । इस तरह से अगर व्यवस्था हो गयी, तो मैं यह नहीं कहती हूं कि केवल वह हरिजन वर्ग की महिलाओं को ही इससे राहत मिलेगी, जो अपर कास्ट की औरतें जो विधवा हो जाती हैं, किस चालाकी से हमारे भाई उनकी जायदाद हड़प लेते हैं, मारी-मारी फिरती हैं । आपके सामने यह समस्या होगी । अगर एक निदेशालय की व्यवस्था हो जाती है तो सभी महिलाओं के लिए अच्छा होगा ।

(शोर)

महिलाओं की सभा सोसाइटियों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी फिर एक परम्परा चली कि जो निराश्रित ह, जिनकी रोजी-रोटी का कोई सहारा नहीं है उनको 40 रुपये प्रति मास दिया जाये तो इस तरह से मैं इस बजट का स्वागत करती हूं ।

(श्री गौरी शंकर को बुलाने पर ।)

(शोर)

श्री मान सिंह आजाद--

मैं अपन क्षेत्र से कह के आया हूं, मैं कितनी बार उठूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जब तक आपका नाम न लूं आपको उठना पड़ेगा ।

श्री मान सिंह आजाद--

आप समय देंगे या नहीं ? आप समय न दें तो हम न उठा करें । भगवान के मंदिर में अगर इतना उठक बैठक करूं तो भगवान मिल जायें ।

(शोर)

उपाध्यक्ष--

मैं आपको चेतावनी देता हूं । यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय, आप उच्चाधिकारी हैं । आपको तैश में लेकर कहना कि, आप समय देंगे या नहीं, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है । इस तरह भविष्य में कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

एक सदस्य--

मंजूर अहमद के लिए आपका कोई कायदा कानून नहीं है जो चाहते हैं करते हैं । इन चीजों को देखकर मजबूर होकर कहना पड़ता है क्योंकि आप रक्षक हैं और सबके साथ बराबर का ख्याल रखना चाहिए ।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपने मुझे कई बार इंगित किया, मगर कई माननीय सदस्यों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने आपके आदेश का पालन और माननीय सदन की परम्पराओं का पालन नहीं किया और बोलते रहे तो उनके खिलाफ कायवाही क्यों नहीं की ? मंजूर अहमद को इंगित कर सकते हैं तो उनको क्यों नहीं कह सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको चेतावनी दे दी है कि इस तरह की बात न करें ।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री आजाद ने कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया, केवल कहा मुझे बोलने का मौका दिया जाये । राजधानी से सम्बन्धित हैं, हरिजनों के बारे में....।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझको इस हरिजन अनुदान पर दो शब्द कहने के लिये समय दिया है । आदरणीय मंत्री जी ने सदन के सामने साहस से सारी बातों को स्वीकार किया है, यह भी स्वीकार किया है कि जितना अनुदान इस विभाग के लिये होना चाहिये था उतना नहीं है मैं निश्चित रूप से मंत्री जी के साहस की सराहना करना नहीं भूलना चाहता हूं और अपना दायित्व मानता हूं । उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पहली बार सदन में कहा कि जितना बजट होना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह कह कर जो तोप का मुंह उनकी तरफ था उस तोप का मुंह उन्होंने श्री दिघे जी और श्री बनारसी दास की तरफ कर दिया है ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

आपका मन, दिल और दिमाग इसी तरह से साफ रहा तो जो हो गया वह हो गया अगले वर्ष हमको चाहे जो कुछ करना पड़े मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री का घेराव करना पड़े इस हरिजन बजट को हम बढ़वा के रहेंगे इस बात का आश्वासन मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

पूरा बजट 1780 करोड़ रुपये का है । उसमें से केवल 28 करोड़ रुपया इस विभाग के लिये मिला है । आप समझ लें कि लगभग एक प्रतिशत ही आता है । पूरे प्रदेश में लगभग ढाई करोड़ हरिजन हैं । बैक वर्डस, विमुक्त जातियों, अनुसूचित जन-जातियों को जोड़ लिया जाय तो लगभग 50 प्रतिशत आबादी इस विभाग के अनुदान के अन्तर्गत आती है । स्थिति यह है कि 1780 करोड़ रुपये के बजट में मात्र २८ करोड़ रुपये मिले हैं। एक प्रतिशत पूरे बजट का मिला है । अगर हिसाब लगाया जाय तो १० पैसे प्रति व्यक्ति आता है । इसमें से अधिकारियों की तन्ख्वाह मोटर गाड़ियों का खर्च टेलीफोन का खर्च निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति ४ या ५ पैसे आता है तो बहुत हो गया हरिजन कल्याण, बहुत हो गया जन जातियों का कल्याण, बहुत हो गया बैकवर्डस का कल्याण, बहुत हो गया निराश्रित विधवा महिलाओं का कल्याण, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिये । आपका दिल और दिमाग साफ है मैं बधाई देता हूं कि आपने बजट पर्याप्त न मिलने के कारण कागज-पत्र फाड़ दिये थे । लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगा कि या तो आप इस विभाग को छोड़ दीजियेगा, इस्तीफा दे दीजियेगा अगर इसी तरह का बजट अगले वर्ष आपको मिले । मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसी तरह बहादुरी से कदम उठायेंगी । एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगें राम मैं ऐसी नियत से नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई नुकसान हो । मुझे आशा है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगी हम सब आपके पीछे हैं । मैं आपकी हिम्मत की प्रसंशा करता हूं इस संदर्भ में मैंने यह बात कही है, । आज आवश्यकता क्वांटिटीफिकेशन की है, मात्रीकरण की जरूरत है । मैं कहना चाहता हूं कि कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवेल्स, सड़कें और दूसरी योजनायें इसके हिसाब से गयी हैं । केवल कहने के लिये हरिजनों बैक वर्डस की बात कही जाती है, मैं जानता हूं कि मुझे पता है कि क्वांटिटीफिकेशन नहीं हो पाया है । इसको ठीक से करायें । अड़ियल घोड़े जो बैठे हैं और तीन-तीन हजार रुपये लेते हैं यह सफेद हाथी पूरे प्रदेश को खोखला कर रहे हैं । जहां जितने बजट की आवश्यकता है और कहां किस तरह से काम होना चाहिए किसी का ध्यान उधर नहीं है ।

मान्यवर, अकबर के दरबार में नौरत्न थे । लेकिन यहां तो २७ रत्न हैं । कोई मर्डर में एक्सपर्ट है, कोई एग्रो डकारने में एक्सपर्ट है कोई सहारिता डकारने में एक्सपर्ट है कोई प्रेसीडेंट की मर्सी अपील का एक्सपर्ट है । किसी विभाग की नीति ठीक से कार्यान्वित नहीं होती है, इस तरफ किसी को देखने की फुरसत नहीं है, किसी को खयाल नहीं आता है । मैं इसीलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री एस० एस० खेरा, आई० सी० एस० कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी सैबोटेज कर रही है अन्डयू कंपलायेंस के द्वारा । आप चाहें जो स्कीम लायें यह पालन करने वाले नहीं हैं । अधिकारी अगर स्वच्छता और ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक कार्य करे तो अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं । ३० सालों के आरक्षण के सम्बन्ध

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट--]

में कहना चाहता हूं कि आरक्षण क्लास वन में ढ़ाई परसेंट, क्लास टू में ४ परसेंट, क्लास-3 में 4 परसेन्ट और क्लास फोर जिसमें से झाड़ू लगाने वाले, टट्टी पेशाव वाले भी आते हैं उसमें भी आरक्षण केवल १३ परसेन्ट हैं। तो इन ३२ सालों में आरक्षण की यह स्थिति है। अगर यही स्थिति रखनी है तो इसे समाप्त कर दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण समाप्त करें लेकिन इसके पहले कहना चाहता हूं कि यह सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता की खाई को पाट दें। तो मुझे खुशी है कि आरक्षण समाप्त कर दें किन्तु बिरला, टाटा और डालमिया आदि के कारखानों को ध्वस्त करके गरीब लोगों को छप्पर दे दें, बड़े-बड़े फार्मों को समाप्त करके ५ बीघे जमीन उन गरीबों को दे दें जिससे विषमता की खाई पट सके।

मान्यवर, इस चीज का भी राष्ट्रीयकरण किया जायेगा कि एक अमुक जाति टट्टी नहीं उठायेगी, झाड़ू नहीं लगायेगी, मरे पशुओं को नहीं उठायेगी, चमड़ा नहीं बनायेगी जिससे उसको सामाजिक विषमता की दृष्टि से हेय समझा जाता है, इसलिये इसका राष्ट्रीयकरण करें तो मैं कहता हूं कि आप आरक्षण समाप्त कर दें। नहीं तो जैसे कुत्ते के सामने मांस का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है उसी प्रकार का यह आरक्षण है और हरिजनों के उत्थान की बात केवल कोरे नारे हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि बजट कम मिला लेकिन आपके विभाग की जितनी आलोचना की जाय और विभाग के निकम्मे अधिकारियों की जितनी आलोचना की जाय यह कम है। पता नहीं किन परिस्थितियों में गत वर्ष ढ़ाई करोड़ रुपया आपके विभाग के अधिकारियों ने सरेन्डर कर दिया, इसके लिये तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिये। इंग्लैंड में तो इस असफलता के कारण मंत्री इस्तीफा तक दे देता है।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े भाई बोल रहे थे कि यह हरिजन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता सरकार, चाहे सतिया कांड हो, हो, हडौरा कांड हो, बहेड़ा कांड हो शेरपुर कांड हो या प्रदेश से बाहर बेलछी कांड हो सभी में इतिहास गवाह है कि हरिजन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये हैं। इसलिये हरिजन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये शासन को प्रभावी कदम उठाना चाहिये नहीं तो हरिजन समाज के मन में जो आक्रोश है वह सामन्तवादी व्यवस्था को नहीं चलने देगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि उनके मन की भाषा को व्यक्त करना मैं अपन दायित्व समझता हूं।

इन शब्दों के साथ मन से इस हरिजन अनुदान का मैं समर्थन करता हूं और विशेष रूप से वित्त मंत्री का जिन्होंने पर्याप्त अनुदान नहीं दिया। उनको यह पंक्तियां भेंट कर रहा हूं :--

गर ये कयामत का सामान लिये बैठे हैं
तो हम भी मर मिटने का अरमान लिये बैठे हैं।
दर्दे दिल शोज जिगर चाके गरेबां की कसम
अपनी हर आह में तूफान लिये बैठे हैं।
गर तड़प उठे तो बदल जाए जमाने का निजाम
गो लाख हाल हम परेशान लिये बैठे हैं।
काफिले वालों संभलकर न भटक जाना कहीं
फितने हर गाम पर शैतान लिये बैठे हैं।

**बाबा राम आधार यादव--**

मान्यवर, मैं हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बात सही है कि यह बजट ऐसा ही मालूम पड़ता है जैसे लोग कुत्ते को टुकड़ा फेंकते हैं, उसी तरह यह बजट है। आप देखेंगे कि हर विभाग को कितनी बड़ी-बड़ी धनराशि मिली है और ऐसे विभागों को जो अध्याश हो रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार और जनता सरकार के बजट में कोई अन्तर नहीं है। मान्यवर, गुलाब सेहरा जो कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वह कोई दूसरी बात कहेंगे लेकिन उनको भी हरिजन जाति के प्रति पीड़ा है जबकि वह हरिजन कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके नाक नक्शे को, उनके कपड़ों को देखें तो यह हरिजन कहां रह गये हैं। इसलिये यही कारण है कि जिन हरिजनों को जो मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिल रहा है और यह दूसरे लोग उनको लूट कर खाये जा रहे हैं और बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू हरिजन के नाम पर बहाते हैं। यही लोग, चाहे हरिजन हों या बैकवर्ड हों, हरिजन व पिछड़ी छोटी जातियों का शोषण करते हैं। मुझे अब तक तो यही मालूम होता था कि सवर्ण ही आरक्षण के विरोधी हैं लेकिन अब तो श्री सेहरा भी आरक्षण के मामले में पिछड़ी जातियों के विरोधी बन गये हैं। यह बिल्कुल सही और साफ बात है। आज तक मैं ही सोचता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि जिस सरकार में 20 साल तक रहे, जिनकी वजह से रहे, उनके लिये कुछ नहीं किया लेकिन जनता सरकार दूरदर्शी है। उसको मालूम है कि अगर 20 प्रतिशत हरिजन हैं तो 60 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इसलिये सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और हमारे आरक्षण को मानना पड़ेगा। नहीं तो वही हालत होगी जो बंगाल और हैदराबाद के अंदर देखते हैं। मान्यवर, नक्सलपंथी ऐसे वैसे हरिजन नहीं--बहादुर हरिजन हैं। यहां पर भी क्रान्ति होगी और भयंकर क्रान्ति होगी और वे अपना हक लेकर रहेंगे। हम इस मांग के बहुत पक्ष म नहीं हैं। यह मांग मिले या न मिले, हम तो अपने नव जवानों और हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों से कहूंगा कि तुम अपने अधिकारों के लिये कमर कस करके तैयार रहो। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है।

मान्यवर, जहां तक हरिजन समाज कल्याण विभाग की बात है, उसके लिये तो माननीय मंत्री जी खुद रोयी हैं कि किस तरह से उनके विभाग की उपेक्षा हो रही है। मैं बतलाना चाहता हूं जिन अधिकारियों को दंडित किया जाता है, उनको हरिजन विभाग में भेजा जाता है। उसी तरह से हमारे हरिजन कल्याण मंत्री हैं। उनको भी गन्ना विकास से हरिजन विभाग में बिठा दिया गया है--इसमें दो राय नहीं है। यह तो इस प्रदेश की परम्परा है कि जिस डाक्टर या अधिकारी को सजा दी जाती है, उसको पिथौरागढ़ या चमोली भेजा जाता है। उसी तरह से यहां पर भी इस विभाग में अधिकारियों और मंत्री को भेजा जाता है।

अब मैं कहना चाहूंगा कि पिछड़ी जाति के लिये देखिये। आपके मंत्रि परिषद् में 27 मंत्री हैं। सिंचाई म लघु सिंचाई मंत्री बना दिया गया। पुलिस में होमगार्ड और पी० आर० डी० मंत्री अलग से बना दिया गया। हरिजन समाज कल्याण मंत्री बना दिया गया। उसी तरह से पिछड़े वर्गों के लिये भी एक विभाग बनाना चाहिये। इसके लिये भी एक विभाग होना चाहिये। यह बिल्कुल उचित बात है। कई माननीय सदस्यों नें कहा है कि प्राम्त से कागज

[बाबा राम अधार यादव---]

चलता है और दफ्तर में लटका रहता है । फिर जिला, तहसील और ब्लाक में लटका रहता है और कोई काम नहीं होता । इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला स्तर, तहसील स्तर और ब्लाक स्तर पर कमेटियां बनायी जायं और उनके सुपुर्दगी म काम रखा जाय ।

जहां तक अधिकारियों के लिये सुविधाओं की बात है, मेरे इलाहाबाद में खुद डिप्टी डायरेक्टर, समाज कल्याण के यहां फोन नहीं है । एक छोटा सा कमरा है जिसमें बेचारे बैठते हैं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विभाग है कि हमारे इलाहाबाद में माननीय मंत्री जी खुद गयी थीं । वहां अधिकारियों को पकड़ा । उनके स्थानान्तरण किया लेकिन क्या हुआ ? मुकदमा दायर कर दिया और आज 10 महीने हो रहे हैं और विभाग के अधिकारी जानबूझ कर जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको नोट करें और क्या कारण है, क्यों यह हो रहा है, इसको देखें। जो थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, वह भी नहीं मिल पाती ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि इस विभाग में अच्छे अधिकारी भेजे जायं।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हरिजन और समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलन के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, इस हरिजन और समाज कल्याण विभाग में, सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे छठी में हो, चाहे 9वीं में हों, चाहे हाई स्कूल या इण्टर और बी0 ए0 में हों, उनके कार्यों को देखना चाहिये क्योंकि उनको वजीफा ठीक समय से नहीं मिल पाता है । अव्वल तो जिलों में मौके पर हरिजन समाज कल्याण की मीटिंग नहीं होती और अगर यह मीटिंग होती है तो वहा के जो प्रिन्सपल हैं वहां से फार्म नहीं जाते । नतीजा होता है कि साल-साल भर तक लड़कों को वजीफा नहीं मिल पाता है और वे मायूस हो जाते हैं। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सन् 1952 से आज तक इतनी महंगाई बढ़ गयी लेकिन हरिजन छात्रों का वही वजीफा चला आ रहा है । इसमें वृद्धि होनी चाहिए और कम से कम इस धनराशि को दुगना कर देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि हमारे विभाग में जितने कर्मचारी हैं चाहे सुपरवाइजर हों या बाबू या अन्य तो कम से कम वह जिस जिले के हों उस जिले में उनको न रखा जाय क्योंकि इससे वहां सबसे ज्यादा करप्शन होता है । कम से कम एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में रखा जाना चाहिये । तीसरी बात यह कि अनुसूचित जन-जाति की कमेटी है जिसके अध्यक्ष चौधरी गणेशी लाल हैं । वह जिस विभाग को बुलाते हैं और पूंछते हैं कि तुम्हारे क्या प्रतिशत है तो कोई कहता है कि 2 प्रतिशत, कोई कहता है चार प्रतिशत और कोई कहता निल है । मंत्री जी बैठीं हैं और वित्त मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें । मैं दो बार कह चुका हूं । अब लिखा नहीं जायेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नन्द राम--

[ × × × ]

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव रखना चाहूंगा । हरिजन और समाज कल्याण को कार्य की दृष्टि से अगर वास्तविकता की ओर ले आना है तो एक द्रुतगामी दल की स्थापना होनी चाहिए जो गांव स्तर पर जाकर दुखियों के दुःखों का आकलन करें और उसकी रिपोर्ट शासन के पास आये और फिर शासन को ठोस उपाय करने चाहिए । मान्यवर, तहसील स्तर पर भूमि व्यवस्था की जांच होनी चाहिए । मेरा विश्वास है कि तहसील स्तर पर अगर धरती की जांच करायी जाय तो किसी भी गांव में कोई हरिजन या पिछड़ी जाति का व्यक्ति भूमिहीन नहीं रह सकता और यदि भूमिहीन नहीं रहेगा तो शासन से मिलन वाली सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा । इनके निवास की व्यवस्था शासन की ओर से होनी चाहिए । इस वष मेरे क्षेत्र में यमुना नदी के बाढ़ का प्रभाव पड़ा । मुहाल के मुहाल ध्वस्त हो गये । शासन की ओर से तीन सौ रुपये की सहायता दी गयी। जो आज भी खण्डहर खड़ा करके बैठे है, उनकी सहायता छाजन के लिये की जाय । यदि आप हरिजन कल्याण और समाज कल्याण को वास्तविकता की ओर ले जाना चाहते हैं तो गांव स्तर पर इसकी जांच पड़ताल की जाय और सुयोग्य व्यवस्था की जाय । हाई स्कूल, इण्टर कालेज और डिग्री कालेज में गांव स्तर पर छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावासों को बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सरजू प्रसाद···

श्री नाथू राम शिक्षक--

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया··

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव दें··

श्री सूरज प्रसाद--

सुझाव ही दे रहा हूं पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं । सेहरा साहब भी नहीं हैं और न मंजूर साहब । मैं एक शेर कह रहा हूं "हम वफा करते रहे और तुम जफा करते रहे, अपना-अपना फर्ज दोनों अदा करते रहे ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री सूरज प्रसाद--]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे दस सुझाव हैं उनको प्रस्तु त करना चाहत हूं ।

जो आज हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग का अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करन के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, में माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हरिजन कल्याण और समाज कल्याण के लिए धनराशि है उसको ज्यादा से ज्यादा दें । यह मेरी प्रार्थना है ।

मान्यवर, प्रत्येक जिले मे हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को ताकत मिलनी चाहिए । उसे एस० डी० एम० की पावर मिलनी चाहिए ताकि वह ठीक से अपना काम कर सके ।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को एक जीप दी जानी चाहिए जिससे वह अपने जिले का दौरा कर सकें ।

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के लिए कार्यलिय में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए ।

प्रत्येक जिले में हरिजनों पर होने वाले अत्याचार की जांच के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाय ।

प्रत्यक तहसील में और जिले में हरिजन छात्रावासों की स्थापना की जाय ।

प्रत्येक जिले में हरिजन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाय जिससे हरिजन उत्पोड़न म कमी हो ।

प्रत्येक ग्राम में हरिजन पंचायत घर बनाये जायं ।

हरिजनों की अधिक आबादी वाले ग्रामों में हरिजन कालोनी बनायी जाय ।

प्रशिक्षण प्राप्त हरिजन छात्रों के लिए नौकरी दिलवाने का प्रबन्ध किया जाय।

इसके साथ-साथ में आपका ध्यान अपने जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। जब सवर्णों द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है। मेरे जिले शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न निरन्तर हो रहा है। कुछ नजीरें आपके सामने पेश कर रहा हू । जलालाबाद तहसील की बात कर रहा हूं जो एक थाना भी ह । 17/18 सितम्बर को दो हरिजनों को वहां के दारोगा ने गोली मार दी। उनके परों में गोली लगी····

श्री उपाध्यक्ष--

श्री जयराम··

श्री सूरज प्रसाद--

इसके साथ ही····

श्री उपाध्यक्ष—

आप बठिय । श्री जय राम····

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से.....

श्री सूरज प्रसाद--

गिरफ्तारी....

श्री जय राम--

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों....

श्री सूरज प्रसाद--

अभी दूसरी घटना जलालाबाद की बता रहा हूं। एक लड़के को....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये....

श्री सूरज प्रसाद--

पकड़ कर ले गये....

श्री उपाध्यक्ष--

श्री जयराम....

श्री सूरज प्रसाद--

उसको मारा पीटा और पांच सौ रुपये छीन लिये उसके बाद छोड़ा। निरंतर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। आपके माध्यम से माननीय हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की बातों पर दखल दें और उन हरिजनों को उत्पीड़न से बचाने में सहयोग करें। और उस हरिजन उत्पीड़न को बचाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम--

मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्य तथा इस पक्ष के सदस्यों को पिछले जमाने की ओर ले जाना चाहता हूं जब राजाओं का राज्य था अंग्रेजों का राज्य था। इस देश के एक दो प्रतिशत लोगों को ही बराबर सुख सुविधायें का उपयोग करने को मिला है और आज भी इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपति 80,85 घराने के लोग पूरे देश की सत्ता तथा शक्ति तथा सम्पति पर हावी हैं उस तरह से अगर देखा जाय तो अनुसूचित तथा अनुसुचित जन जाति के नाम पर इस देश के एक प्रतिशत लोग लाभ भी उठा रहे हैं। रिजर्वेशन की बात कही जाती है। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं जिसके सभापति गनेशी लाल जी हैं। बराबर मीटिंग्स में एक ही बात कही जाती है कि प्रतिशत नौकरियों में हरिजनों को रिजर्वेशन दिया गया और उसी बात पर बहस होती है। लेकिन 99 प्रतिशत

[श्री जयराम---]

हरिजन जो गांव में रहता है उसके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार होता है लेकिन उनके बारे में कोई बहस नहीं होती। अभी गाजीपुर में शेरपुर तथा मिरकुटा गांव फूंक दिय गये और 4, 6 रोज हुए हमारे यहां ऊंचाडीह गांव फूंक दिया गया। नारायण सिंह नये राजस्व मंत्री जी से हम मिले और बताया कि ऊंचाडीह में हरिजनों को पट्टे पर जमीन दी गयी, कागज पर नाम हो गये, जमान बोये हुए हैं लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग उनको काटने से रोक रहे हैं जो काबिज हैं उनके लिये कुछ भी नहीं हो सका गरीब हरिजनों को जो इस तरह से सताया जा रहा है उसे यह सरकार देखें। हरिजन विद्यार्थियों को स्कूलों में एक वर्ष हो गया उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली, इसे यह सरकार देखे।

श्री बाबूलाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)---

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग द्वारा लावारिस लाशों को दफन करने के लिये कुछ रुपया दिया जाता है लेकिन इस विभाग के द्वारा यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी ऐसी लाशें हैं जो लावारिस हैं जिनके लिये वह पैसा खर्च किया जाय ? मेरा सुझाव ह कि यह पैसा पुलिस विभाग को दिया जाय क्योंकि उनको यह जानकारी रहती है कि वे लाशें किसकी हैं और कहां इस तरह की लाशें पाई जाती ह।

मान्यवर, लोक सेवा आयोग के द्वारा विभागों में वरिष्ठ पदों की भरती होती है उस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ५० प्रतिशत ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी चाहिये जिससे उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति का मौका मिले। जैसे सुपरवाइजर से यदि कोई भरती हुआ तो वह सुपरवाइजर पर ही रिटायर हो जाता है उसे पदोन्नति का मौका नहीं मिलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ५० प्रतिशत से ऐसे लोगों को आग बढ़ाया जाय जो उसी विभाग में काम कर रहे हों। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन समाज कल्याण विभाग में एक आडिट सेल होना चाहिय जिससे साल भर में विभाग द्वारा एक मर्तबा जांच हो सके। मान्यवर, परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूलों तक ही छात्रवृत्ति दी जाती है। जो कि बहुत कम दी जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाय और ज्यादा छात्रों को दिया जाय ताकि अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। अनुदान पाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं में कम से कम वर्ष में एक बार विशेष जांच अभियान होना चाहिये जिससे उनमें जो गड़बड़ियां हो जाती है वे दुरुस्त हो जांय। साथ ही हरिजन कल्याण अधिकारी का दर्जा निम्न स्तर का है उसको एस० डी० एम० तक के दर्जे का होना चाहिये। उसको एक जीप मिलनी चाहिये। अन्त में मैं मौजूदा वित विकास निगम की स्थापना की सराहना करता हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और कुछ नहीं सुनाई दिया।)

डा० जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, सुझाव तो मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी को दे चुका हूं कि कैसे इस विभाग को सुधारा जाय और कैसे हरिजनों का कल्याण हो और कैसे जो अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति हो। इसके पूर्व माननीय रामसिंह

जो समाज कल्याण मंत्री थे उनको मैंने सुझाव दिये थे। मैं चाहता हूं कि उन सुझावों को देख लिया जाय और उस फाइल को निकाल लिया जाय, उन सुझावों को केबिनेट में रखा जाय तो हरिजनों का कल्याण होगा।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार दिये। उनके कुछ विचार तो मैं समझता हूं कि वे काफी आलोचनात्मक भी थ जिनके बारे में मैं एक-एक लाइन में कह देता हूं। मान्यवर, कुछ लोगों ने कहा कि जन संख्या के आधार पर आरक्षण के बारे में दुबारा विचार होना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं। समाज कल्याण विभाग इस बात को देखे कि आबादी के हिसाब से आरक्षण का कोटा होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जैसा कुछ लोगों ने कहा जितनी भी आरक्षण के सम्बन्ध में सुविधायें हैं, जितने जी० ओज० हैं, १९३५ में नौकरी करने वाले लोगों के सर्विस रूल्स बने थे, उनका कोई जिक्र नहीं था। इन जी० ओज० का जिक्र उन सर्विस रूल्स मे नहीं था। अगर शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति लीगल या कानूनी सहायता लेने के लिये अदालत में जाता है तो सर्विस रूल्स में इन सुविधाओं का कोई जिक्र नहीं होता है। अगर आपको विभाग में से इनको लेजिसलेशन के द्वारा कम्पलसरी कर दिया तो आरक्षण में मुझे विश्वास है एक वर्ष में फर्क आ जायेगा और जहां आरक्षण नहीं होगा वहां अनुसूचित जाति के वेतन भोगी लोग न्यायालय का दरवाजा सर्विस रूल्स में समाविष्ट हो जाने से खटखटा लेगा। इससे स्थिति में सुधार आ जायेगा।

दूसरी बात उत्पीड़न के बारे में कहनी है। बिहार गवर्नमेन्ट ने "आर्म्स टु हरिजन" का प्रबन्ध कर दिया है। जिन जिलों में, जिन गांवों में हरिजनों का उत्पीड़न होता है वहां आप उनको रुपया न दें और हथियार दे दें तो मैं समझता हूं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी आप यह कह दें तो फिर उत्पीड़न नहीं रहेगा। जनता पार्टी के शासन में हरिजनों के घर मौत ठहर गई है। जहां देखा हरिजन है मार दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि--

यों तो मौत बसा करती है
शमशानों में दूर सन्नाटा लिये बिया बानों में,
ऊंचनीच जब खाती है जवां जिस्मों को
मौत ठहर जाती है बस्तियों और मकानों में।

आज हरिजनों के गावों में और घरों में मौत ठहर गई है जहां देखा मार दिया। तो उत्पीड़न की बात हर माननीय सदस्य ने कही है। इसलिए बिहार सरकार की तरह से आप भी आर्म्स दीजिये पांच हजार रुपये के बजाय उनको आप राईफल दीजिये जिससे वह लोगों का मुकाबला कर सकें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

आपको इन्दिरा गांधी इसका विरोध कर रही हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

एक बात और कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर जो हरिजन वेलफेयर आफिसर है वह पहले चयन समिति का सेक्रेटरी होता था । आजकल वह सिम्पली मेम्बर रह गया है । इसलिये वह आरक्षण के मामले में कुछ नहीं कर पाता है । इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर के लिए कोई इनसेंटिव नहीं है । वह चट्टान की तरह से जमा हुआ है । ए० डी० ओ० से बी० डी० ओ०, बी० डी० ओ० से ए० डी० एम०, ए० डी० एम० से एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर हो जाता है आपके प्लानिंग विभाग में लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसर जो है वह ऐसा टापू है जो १८ साल से उसी स्थिति म जमा हुआ है ।

तीसरी बात सभी लोगों ने कही कि हरिजन निदेशालय अलग बनना चाहिये । मेरा भी कहना है कि इस मामले में वह जरूर सोचें कि हरिजन निदेशालय अलग हो । बाकी बातों को मैं छोड़ रहा हूं लेकिन एक बात बाबा राम अधार जी ने कही कि सेहरा साहब न शक्ल से हरिजन लगते हैं और न अक्ल से और न नाम से तो शक्ल तो मुझे ईश्वर ने दी है, नाम मेरे मां बाप न दिया है और बुद्धि मुझे बाजार से नहीं खरीदनी पड़ी है वह जन्म से है । तो जनता पार्टी के लोगों को अगर बुद्धि खरीदनी है तो वह पनसारी की दुकान में बिकती है वहां से ले लें । एक बात गौरी शंकर जी ने कही कि यह मंत्रिमंडल बड़ा विचित्र है । तो आप देखें इसमें मधु भी है, मधुकर दिघे, इसमें मुलायम भी हैं, मुलायम सिंह, इसके बावजूद भी क्या कारण है इसमें संघर्ष है, इसमें सभी का सम्मिश्रण है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

गुलाब को अलग क्यों करते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं तो मंत्रिमंडल में नहीं हूं । तो यह एक सब का मतैक्य है जिसमें मुलायम सिंह भी हैं और मधुकर दिघे भी हैं । और फिर जोश खरोश करने वाले भाई मलखान सिंह भी हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

गुलाब विरोध कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

विरोध भी मेरा गुलाब की तरह हलका और मुलायम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री गुलाब सेहरा--

अन्त में मंत्री महोदय से कहूंगा कि लोगों ने बड़ी वेदना के साथ सुझाव दिये हैं । लोग इन दोनों विभागों के संबंध म बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं, आप उनको करें और इस निदेशालय को हीन भावना से मुक्त करें और आगे आने वाले साल में आप इसमें कुछ चेंज करके हाउस में आयें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

(व्यवधान)

आने वाले साल आप यह न कहें कि हमें याद नहीं ।

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं, बहुत से अच्छे सुझाव आये हैं। वह इस प्रकार है, जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगी। होस्टल की जो समस्या बताई गयी है, यह सही है कि अभी तक ३० सालों से इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और होस्टलों को बनवाने की कोई परिपाटी नहीं थी। लेकिन इस वर्ष से विभाग स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बनवाये जाने वाले होस्टलों को, भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील हैं, विभाग ने उसके लिए व्यवस्था की है। उसके लिए हम अनुदान देंगे। और शासन द्वारा जो होस्टल बनवाने की व्यवस्था है, वह भी बहुत कुशल नहीं थी, किन्तु इस वर्ष से इसमें भी प्रयास किया गया है। हम देख रहे हैं कि किन-किन जिलों में ऐसे होस्टल निर्माण के लिये जमीन उपलब्ध है। उसके अनुसार १८-२० जिलों में जमीन उपलब्ध है और अन्य जिलों हेतु भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है। नहीं उपलब्ध है तो क्रय करने की भी व्यवस्था कर दी गयी है। शासन द्वारा होस्टल बनाने की स्कीम को गति दी जायेगी और स्वैच्छिक संस्थाएं जो बनाने वाली हैं, या बन चुकी है, उनको भी अनुदान दिया जायेगा और इस हेतु १५-२० लाख रुपया रखा गया है।

एक बात और जो माननीय सदस्य बोले, वे एक संकीर्ण दायरे में ही रह गये अर्थात् दूसरे भाग समाज कल्याण के बारे में उन्होंने ध्यान देकर सुझाव नहीं दिये। उसमें भी सुझाव दिये जाते तो बहुत अच्छा होता। फिर भी मैं बहिन मालती शर्मा, हरपाल सिंह जी और रामरती जी की आभारी हूं कि उन्होंने इसके बारे में भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर उनके कल्याणकारी कामों के लिए धन मिलना चाहिए और इसमें उस हिसाब से धन की बहुत कम व्यवस्था है। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं के आर्थिक विकास कल्याण के लिए एक वित्त निगम होना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी दशा सुधारी जा सके। इस योजना के ग्रामोणोन्मुखी होने के लिए हमारे पास 50 शिशुशालाओं की एक योजना है, ग्रामीण मजदूर खेतिहर महिलाओं के बच्चों के लिए। उनके बच्चों की देखभाल के लिए, उसमें पौष्टाहार देने की भी व्यवस्था की गई है। दो-तीन बातें जो उठाई गई हैं उत्पीड़न के सम्बन्ध में इसके बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट के भी हैं। गुलाब सेहरा जो ने कहा कि आठ करोड़ का बैकवर्ड क्लासेज के लिए दिया है बजट में। यह अनुसूचित जातियों के लिए है। इसमें परेशान न हों।

मैं अन्त में सब को हृदय से धन्यवाद देती हूं जो आपने सहयोग देने की भावना से मेरा मनोबल बढ़ाया है। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं कि मेरे विभाग की आलोचना की गई। लेकिन अच्छा काम करने के लिए अगर पद भी छोड़ना पड़े तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पद तो आते-जाते रहते हैं। लेकिन काम हमेशा चलता रहता है। मैं माननीय गुलाब सेहरा से कहूंगी कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री गुलाब सेहरा से) आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जितना उन्होंने कहा उतना अगर करवा देंगे तो अगले बर्ष कट मोशन नहीं दूंगा ।

एक सदस्य--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं इजाजत नहीं देता ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,86,22,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48-क--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-क-हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 60,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज एक सूचना श्री रवीन्द्र सिंह और श्री श्रीनारायण की प्राप्त हुई है, जो 29 मई, 1979 को जौनपुर में गश्त कर रहे दो सिपाहियों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है । मैंने इसको स्वीकार किया । 8 जून को इस पर वक्तव्य होगा ।

## उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन

(वित्त मंत्री) श्री मधुकर दिघे—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 म उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाय। इसमें जो संशोधन हैं वह मात्र जनहित को ध्यान में रखकर, कृषि में लगे हुए लोगों के हित में है। यह यहां पर आने वाला था परन्तु उसमें थोड़ी सी गलती हो गई कि समय के अन्दर नहीं आ सका। जो पूरा संशोधन है वह यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन खंड संख्या 2 में उप-खंड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाय :—

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

(क) 'कृषि' और 'कृषि प्रयोजन' में भूमि को खेती के योग्य बनाना, खेती करना, भूमि सुधार (जिसके अन्तर्गत सिचाई के स्रोतों का विकास करना भी है) फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना, उद्यान कृषि, वन विज्ञान, पशु प्रजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, शूकर पालन, कुक्कुट पालन, बीज कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और ऐसे अन्य क्रिया-कलाप सम्मिलित है जिन्हें सामान्यतः उपयुक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और इनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(1) कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय, उनका संग्रह और परिवहन,

(2) ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से सम्बन्धित उपकरणों, और मशीन का अर्जन

(3) गोबर गैस संयन्त्रों का अर्जन, और

(4) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए पद 'कृषि सेवा केन्द्रों' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है जहां उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उन्नमी बीज, उर्वरक कीटनाशी, नाशी कीटमार या कृषि उपयोग अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते हैं।

माननीय, नीचे स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है कि प्राइवेट व्यक्तियों को निजी तरीके से कोई कारखाना खोलकर शासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसका दुरुपयोग न कर सकें। इसीलिए स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया गया है। यह किसानों के हित में किया गया है और इसलिए इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

**श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--**

मान्यवर, अभी यह कहा गया है कि सारे यन्त्र उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा निर्मित होंगे। फ्री कम्पटीशन में उसको आना चाहिए। अगर आप उसको संरक्षण प्रदान करेंगे तो इसके द्वारा जो यन्त्र निर्मित होंगे वह अच्छे नहीं होंगे जितने कि दूसरे कारखाने बना सकेंगे। जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हों और आप उनको एप्रूव करें इसमें से एग्र-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से निकाल दें। वह फ्री कम्पटीशन में आवे। उसकी हालत आप जानते हैं कि ढाई करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है और उसने यन्त्र बनाना समाप्त कर दिया है। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करें और जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसको हटा दें तो यह किसानों के हित में होगा।

**श्री मधुकर दिघे--**

मेरा ख्याल है कि थोड़ा आपको समझने में भ्रम हो गया है। यह सेवा कृषि सेवा केन्द्र के लिए है। इसमें लिखा है कि कृषि सेवा केन्द्रों का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है जहां उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उद्यमी बीज, उर्वरक कीटनाशी, नाशी कीटमार या कृषि उपयोग के अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी क्रिया द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि खंड संख्या 2 में उप खंड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :—

अर्थात (क) "कृषि" और "कृषि प्रयोजन" में भूमि को खेती के योग्य बनाना, खेती करना, भूमि सुधार (जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है), फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना, उद्यान कृषि, वन-विज्ञान, पशु-प्रजनन, पशु-पालन, दुग्ध उद्योग, शूकर पालन, कुक्कुट पालन, बीज-कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन ऐसे अन्य क्रिया-कलाप सम्मिलित हैं जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और इनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(1) कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय, उनका संग्रह और परिवहन,

(2) ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से सम्बन्धित उपकरणों और मशीन का अर्जन,

(3) गोबर गैस संयंत्रों का अर्जन, और

(4) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए पद 'कृषि सेवा केन्द्रों' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है जहां उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उद्यमी बीज, उर्वरक कीटनाशी, नाशी कीटमार या कृषि उपयोग अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक 31 मई, 1979 ई०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

सूची

महापालिका, आगरा में इस समय निम्न मैला ढोने वाली गाड़ियां एवं वाहन उपलब्ध हैं :—

| | |
|---|---|
| 1—एक ड्रम वाली मैला ढोने की ह्वीलवेरोज | 1000 |
| 2—दो ड्रम वाली मैला ढ ने की ह्वीलवेरोज | 500 |
| 3—कूड़े ढोने की छोटी ह्वीलवेरीज | 600 |
| 4—कूड़े ढोने की लकड़ी के ठेले | 100 |
| 5—कूड़ा उटाने वाली गाडी (ट्रक) | 25 |
| 6—कूड़ा उठाने की ट्रैक्टर ट्राली | 2 |
| 7—कूड़ा ढोने वाली टगर कैरियर | 2 |
| 8—कूड़ा ढोने वाली डस्टविन | 12 |

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

सूची

1--मेसर्स दि लार्ड कृष्णा शगर मिल्स, सहारनपुर ।

2--मेसर्स दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, सरसावा (सहारनपुर)।

3--मेसर्स मवाना शुगर वर्क्स, मवाना (मेरठ) ।

4--मेसर्स महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर, (सहारनपुर) ।

5--मेसर्स अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, (मुजफ्फरनगर)।

6--मेसर्स दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, (मेरठ) ।

7--मेसर्स मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, (गाजियाबाद) ।

8--मेसर्स पन्नी जी शुगर एंड जनरल मिल्स लि0, (बुलन्दशहर) ।

9--मेसर्स रघुनाथ शुगर मिल्स कम्पनी, शाहगंज, (जौनपुर) ।

10--मेसर्स दि काशी सहकारी चीनी मिल्स, औराई (वाराणसी)।

11--मेसर्स अवध शुगर मिल्स कं0 लि0, यूनिट रोजा शुगर वर्क्स, रोजा, (शाहजहांपुर) ।

12--मेसर्स दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, मझोला (पीलीभीत) ।

13--मेसर्स न्यूली शुगर फैक्ट्री, न्यूली, (एटा) ।

14 --मेसर्स शंकर ऐग्रो इन्डस्ट्रीज लि0, कप्तानगंज, (देवरिया) ।

15--मेसर्स दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, (नैनीताल) ।

16--मेसर्स दि बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, बलरामपुर, (गोन्डा) ।